खण्ड-464, अंक-7
गुरुवार, 14 आषाढ़, शक संवत् 1929
(5 जुलाई, 2007 ई0)

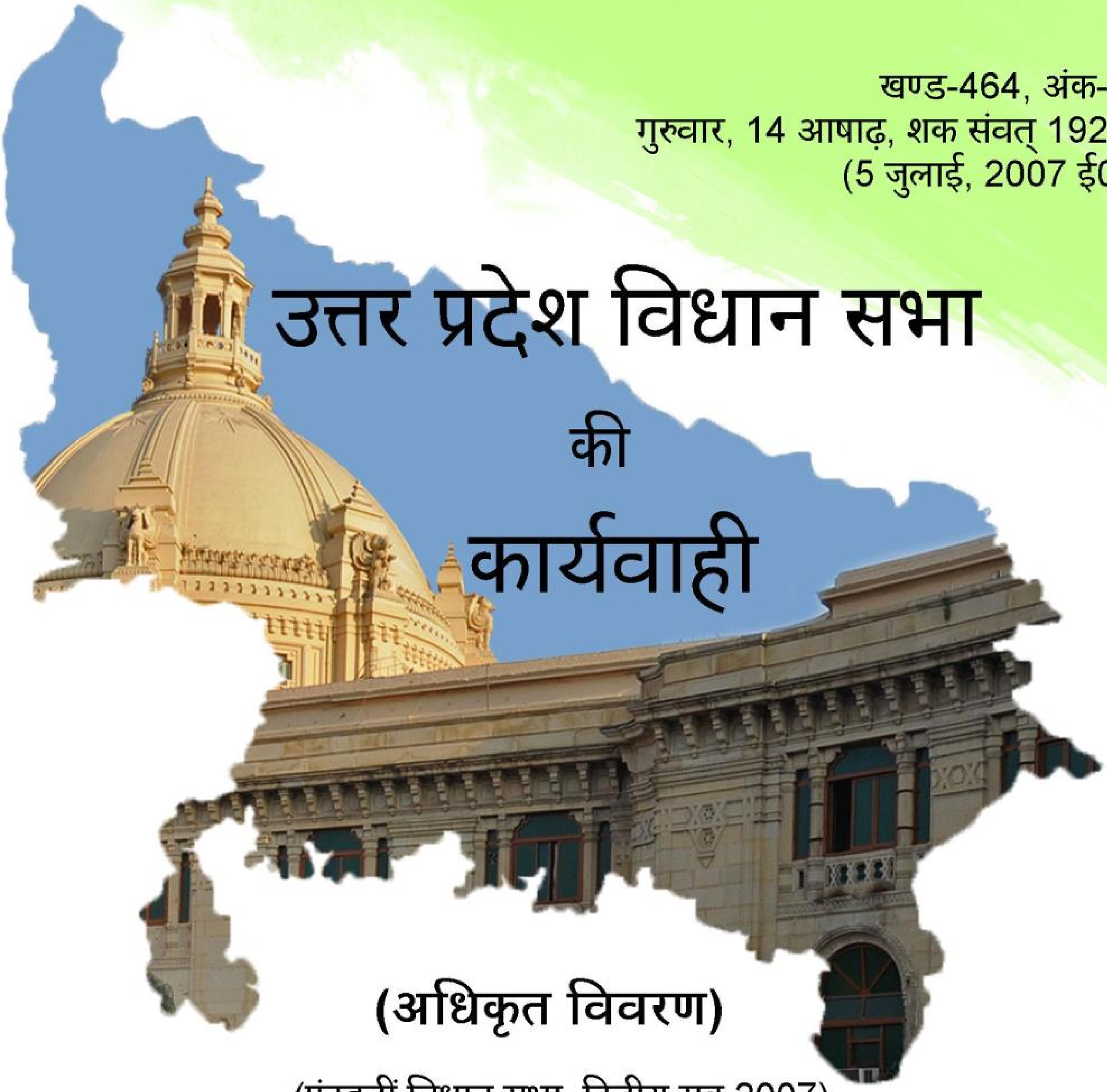

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 464 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
मिट्टी के तेल के कालाबाजारी विषयक प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार किये जाने सम्बन्धी श्री अध्यक्ष द्वारा दी गई सूचना	1
प्रश्नोत्तर	1-38
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	38-39
खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत गोविन्द शुगर मिल ऐरा के जहरीले धुएं एवं जहरीले पानी द्वारा हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39
मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्रान्तर्गत मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति बहाल करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	39-40
सीतापुर के बिसवां क्षेत्रान्तर्गत नहरों से सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी एवं सीपेज से हजारों एकड़ भूमि में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
घाघरा एवं सरयू नदी के बायें पार्श्व पर स्थित बेलहा-बेहरौली क्षतिग्रस्त तटबन्ध की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	40-41
थाना माधौटांडा, जनपद पीलीभीत के एस0 एच0 ओ0 एवं चौकी इंचार्ज द्वारा की जा रही उत्पीड़न की कार्यवाही रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41
वर्ष 2006-2007 में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत की गयी 7 कि0मी0 सड़क योजना के अन्तर्गत झांसी में सड़कों का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत असेवित विकास खण्ड में महाविद्यालय की स्थापना कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	42
इलाहाबाद के फूलपुर तहसील में शारदा सहायक खण्ड 30 के वारी रजबाहे पर स्थित गांव हेमापुर की टूटी पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42-43

विषय	पृष्ठ-संख्या
कुशीनगर के सेवरही क्षेत्रान्तर्गत तहसील तमकुहीराज के बाढ़ विस्थापितों के नाम अपात्र व्यक्तियों को दिये गये आवास निरस्त करने एवं पात्र बाढ़ विस्थापितों को इन्दिरा आवास आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	43
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	43
दिनांक 4-7-2007 को सदन अव्यवस्थित होने के कारण तारांकित प्रश्न संख्या-3 जो गन्ना के भुगतान के सम्बन्ध में था, पर अनुपूरक प्रश्नोत्तर से सदस्यों के वंचित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	44-46
दिनांक 4-7-2007 को सदन अव्यवस्थित होने के कारण तारांकित प्रश्न संख्या-6 जो प्रदेश की बढ़ती हुई महंगाई रोकने के सम्बन्ध में था, पर अनुपूरक प्रश्नोत्तर न हो पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	46-48
विधान सभा में समितियों का गठन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	48-51
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	51
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	51-52
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	52-54
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ...	54
उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित)	54-55
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	55-63
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ...	63-71
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 (पारित)	71-79

विषय				पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	...			79-87
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)	...			87-148
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	148-150

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 05 जुलाई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य 346

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	[illegible]जाबाद
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली

आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	सीतापुर
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर(भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	[illegible]पुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संजय, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनौद कुमार शाक्य (दीपू भइया), श्री	बरेली
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट-आबकारी लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मिट्टी के तेल के कालाबाजारी विषयक प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार किये जाने सम्बन्धी श्री अध्यक्ष द्वारा दी गई सूचना

श्री अध्यक्ष-

कल मिट्टी के तेल के कालाबाजारी के सम्बन्ध में प्रश्न पर चर्चा के सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्यों ने जनहित में चर्चा की मांग की थी इसमें मैंने नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली है।

(मेजें थपथपाई गईं)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गुटखा तथा पान मसाला के बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की जानकारी

**1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तम्बाकू तथा अन्य सामग्रियों के मिश्रण से बनाये जाने वाले गुटखा तथा पान-मसाला आदि के प्रयोग से होने वाले दूरगामी हानि को देखते हुए क्या सरकार गुटखा तथा पान-मसाला आदि के बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

तम्बाकू तथा अन्य सामग्रियों के मिश्रण से बनाये जाने वाले गुटखा तथा पान-मसाला आदि के प्रयोग से होने वाली दूरगामी हानि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28-09-2005 द्वारा सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उसके व्यापार/वाणिज्य, उत्पाद प्रदाय तथा वितरण का विनियमन करने के लिये नगर विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधीन तैनात समस्त मुख्य खाद्य निरीक्षक तथा खाद्य निरीक्षकों तथा समस्त पुलिस निरीक्षकों को अपनी अधिकारिता क्षेत्र में उक्त कार्य के लिये अधिकृत किया है, ताकि सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद से होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पर नियंत्रण रखा जा सके।

शासनादेश दिनांक 18-12-2001 द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। प्रदेश में सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के प्राविधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर एण्टी टोबैको सेल की स्थापना की गयी है। तम्बाकू उत्पाद, गुटखा तथा पान-मसाला आदि की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

गुटखे तथा पान-मसाला एवं उसमें प्रयुक्त होने वाले अन्य पदार्थों की नियमित जांच जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में की जाती है। गुटखे तथा पान-मसाला में गैम्बियार और टाइटेनियम डाई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आक्साइड आदि हानिकारक पदार्थ पाये जाने पर दोषी निर्माता/विक्रेता के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमावली, 1955 के अधीन अभियोजन/वाद दायर करने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, उत्तर से बड़ी निराशा हुई है। स्पष्ट है कि सरकार जनस्वास्थ्य की अपेक्षा रेवन्यू को ज्यादा महत्व दे रही है। मान्यवर, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अनेकों विशेषज्ञों द्वारा यह बताया जाता रहा है कि भारत में सबसे अधिक मुख कैंसर के रोगी पाये जाते हैं और यह जो गुटखा और पान मसाला है उसमें उसका बड़ा योगदान है। अब हम यह भी देखते हैं कि तमाम छोटे-छोटे बच्चे तक यह पान मसाला और गुटखा के पाउच लेकर घूम रहे हैं और जहां-तहां वह इसको खाते रहते हैं और इसके दुष्परिणाम है इसलिये मैंने यह सवाल लगाया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, उसके निष्कर्ष और अन्य-अन्य चिकित्सकों के द्वारा जो निर्देश जारी किये जाते हैं उसको संज्ञान में लेते हुए और जन स्वास्थ्य को वरीयता देते हुए क्यों नहीं यह सरकार इसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाये, यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 19-7-2002 को प्रदेश सरकार द्वारा गुटखा और पान मसाला के उत्पाद/बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया था, लेकिन मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28-10-2002 द्वारा निरस्त कर दिया। मान्यवर, चूंकि यह निरस्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के कारण इसमें प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं दूसरा प्रश्न, सरकार की विवशता है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश द्वारा उसे निरस्त कर दिया, यह पूछना चाहता हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो आप कानून में संशोधन कर सकते हैं। जो कमियां थी जिसके कारण निरस्त कर दिया उन विसंगतियों को दूर करके कोई कानून में संशोधन लायेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उच्चतम न्यायालय से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है और उन्होंने निरस्त कर दिया। लेकिन जहां तक उसके उत्पाद से जनहानि का सवाल है, इसमें गेम्बियार तथा टाइटेनियम डाई आक्साइड नामक दो हानिकारक पदार्थ होते हैं। अधिनियम में है, खाद्य निरीक्षक के माध्यम से कार्यवाही की जायेगी अगर अपमिश्रण पाया जाता है । यह जो सबसे ज्यादा हानिकारक पदार्थ है, इसमें पाया गया तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि टाइटेनियम डाई आक्साइड और गेम्बियार नामक दो हानिकारक पदार्थ हैं। तो, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कितने थानों में यह हानिकारक पदार्थ मिले पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी। माननीय महाना जी लिखकर दे दें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी विवशता सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण बतायी। उनका निर्णय इस आधार पर नहीं है कि यह हानिकारक नहीं है अगर सर्वोच्च न्यायालय ने यह मान लिया होता कि यह गुटखा है या अन्य जो इस तरह की चीजें हैं यह स्वास्थ्य के लिये बहुत अच्छी हैं, हानिकारक नहीं हैं इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए तो आज हम यह प्रश्न नहीं करते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल तकनीकी आधार पर, विधायी क्षमता के आधार पर केवल शासनादेश के आधार पर रोक लगाने की वजह से इस पर प्रतिबन्ध को खारिज कर दिया तो अगर आप मानते हैं कि हानिकारक है और हानिकारक मानकर के ही आपने इस पर रोक लगाई थी तो जो विधायी कार्य हैं कानून में संशोधन करने का विधेयक लाने का क्योंकि मान्यवर, शासनकाल में तो हर दिन विधेयकों की बाढ़ है, तीन दिन, चार दिन निरसन विधेयक, फला विधेयक आ ही रहे हैं तो एक विधेयक जो जनमानस से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है, विधेयक ला करके नियम में संशोधन कर के आप अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री लालजी वर्मा-

अब मान्यवर, मैंने तो उत्तर दे दिया। अब इसकी जन भावनाओं के अनुसार ही चूंकि सर्वोच्च न्यायाय ने प्रतिबन्ध लगाने पर रोक लगा दी।

श्री अध्यक्ष-

जन-स्वास्थ्य को देखते हुए सिगरेट वगैरह पर इन्जूरियस फार हेल्थ लिखा रहता हैं यानी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक है, लिखा रहता है। इस पर भी हम लोग विचार करें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें आपत्ति यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की बात आप कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आपने पढ़ा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस बात के ऊपर नहीं है, गुणवत्ता के आधार पर नहीं है कि यह स्वास्थ्य के प्रति बहुत लाभदायक है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

यह है कि जिस आदेश के अन्तर्गत इस पर रोक लगाई गई है वह आदेश विधि के अनुरूप नहीं है। अगर विधि के अनुरूप हो जायेगा तो रोक स्वतः समाप्त हो जायेगी। आप अध्यादेश लाइये कानून में संशोधन कर लीजिए। यदि आप सहमत हों तो यह वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। मैं उत्तर यह चाह रहा था, और आप सर्वोच्च न्यायालय को बार-बार बीच में ले आ रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह हानिकारक है और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई उपाय किये हैं। शासनादेश दिनांक 28-09-2005 द्वारा सिगरेट/तम्बाकू का विज्ञापन प्रतिबन्धित कर दिया गया है, केन्द्र सरकार के सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 ए के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति बेचने खाने एवं प्रेरित करने का प्रतिबन्धित किया गया है। शैक्षिक संस्थाओं के सौ मीटर की परिधि के अन्तर्गत इसकी बिक्री को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेधित कर दिया गया है और साथ ही साथ मुख्य खाद्य निरीक्षक और खाद्य निरीक्षक को उत्पाद एवं बिक्री स्थल की तलाशी और जांच का अधिकार दिया गया है कि इसमें किसी तरह का अमिश्रण न होने पाये। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक कारणों से तकनीकी कारणों से निरस्त किया ? मान्यवर, कोई तकनीकी कारण से किया है या अन्य किसी कारण से किया है ? मुझे जहां तक जानकारी है कि उस बीच माननीय हुकुम सिंह जी भी मैं समझता हूं कि सरकार में थे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जब हम सरकार में थे, उस वक्त अगर ये सवाल हमसे किये होते तो निश्चित रूप से मैं कहता कि इस पर हम विधेयक लायेंगे और संशोधन करेंगे। आपने सवाल तो किया होता। मैं जवाब यह देता। आज मैं सवाल कर रहा हूं, आप क्यों नहीं यह जवाब दे रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें परीक्षण कराया जायेगा और परीक्षणोपरान्त सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसका परीक्षण करा लिया जायेगा, अब बात खत्म हो गई। श्री राम शिरोमणि शुक्ला जी, आप कोई प्रश्न करना चाहते थे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, वर्ष 2002 में जो आपने शासनादेश द्वारा रोक लगायी वह सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी। किन्तु उसके बाद भी आंशिक तौर पर मान्यवर, आप देखें कि जैसे आपने विधान सभा के परिसर में तम्बाकू आदि के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है किसी न्यायालय ने उसको

निरस्त नहीं किया है। अभी माननीय मंत्री जी ने उसको रेगुलेट करने के दूसरे उपायों का जिक्र किया कि विज्ञापन नहीं होगा और दूसरी चीजों को बताया। मान्यवर, आप देखें कि यह एक तरह से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का हमला है इस उदारीकरण के दौर में बाजार पर। जो सशक्त कम्पनियां हैं वह तम्बाकू निर्माण के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर स्थापित कम्पनियां हैं मारडोले आदि। वह उत्तर प्रदेश को विशेष तौर पर निशाना बनाये हुई हैं आगरा में श्रीमन् उसके अध्यक्ष ने आकर उसकी आर्फेसिव मार्केटिंग करने के लिये प्रदेश को आधार बनाने का काम किया हैं मान्यवर, सिर्फ शासनादेश को निरस्त करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कोई ऐक्ट लेकर आप यहां नहीं आये थे कि उस कानून को अवैध घोषित किया हो। क्या ऐसा कोई विधेयक लाने पर सरकार विचार करेगी ताकि इन चीजों को रेगुलेट किया जा सके। अगर पूर्णतया प्रतिबन्ध नहीं कर सकते हैं तो यह तो हो सकता है कि किस उम्र तक के लोग इसका उपभोग कर सकते हैं या इन लोगों को नहीं बेचा जायेगा और किन को लाइसेंस दिया जायेगा ताकि यह जो पान मसाला गुटका सिगरेट और दूसरे तम्बाकू के उत्पाद है उनकी बिक्री को उनके इस्तेमाल को रेगुलेट किया जा सके ताकि कम से कम स्वास्थ्य को हानि पहुंच सके।

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने कहा है कि परीक्षण करायेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कोई विधेयक लाने का इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह सरकार तम्बाकू के सेवन से होने वाले नुकसान को स्वीकार करते हुए भी ऐसे किसी विधेयक के लाने के बारे में सोच नहीं रखती है। आप देखें जबकि रोज दर्जनों विधेयक सदन के सामने आ रहे हैं। यह प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है और इस विधेयक पर विचार भी नहीं करना चाहते हैं तो यह निन्दनीय है।

श्री राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, यह जो टाइटेनियम डाइ आक्साइड है यह कलरिंग एजेन्ट है, तम्बाकू के अन्दर जिसे पाया जाता है वह निकोटिन/निकोटिनिल ऐसिट पायी जाती है तो जो गुटका आदि है इनमें आप तम्बाकू के प्रयोग पर प्रतिबन्ध कर दें। गुटका बने रहने दें और जो चीजें हैं वह उसमें रहने दें तब भी उपयुक्त होगा। क्योंकि उसमें निकोटिन/निकोटिनिल ऐसिट पायी जाती है जो हानिकारक है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप अपना लिखित सुझाव माननीय मंत्री जी को दे दें।

श्री राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गुटका पान मसाला के अन्दर तम्बाकू को शामिल किये जाने को प्रतिबन्धित करने का काम करेगी ?

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे पर यह गुटका आदि ये जो सामान हैं इसके विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। तो यह बताना चाहूंगा कि ऐसा कहीं नहीं है और इसकी निगरानी के लिये जिनको भी जिम्मेदारी दी गयी है वह इसे देख नहीं रहे हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी यह जो प्रतिबन्ध लागू है 100 मीटर के दायरे पर बिक्री पर दुकान खोलने पर उसको सुनिश्चित करायेंगे कि वह लागू हो और उस नियम का कड़ाई से पालन हो।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसका कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु पहले से ही निर्देश दिया जा चुका है। माननीय सदस्य को कहीं अगर जानकारी होगी और सूचित करेंगे तो निश्चित रूप से उसको हटवाने की कार्यवाही करेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं सदन के अन्दर कह रहा हूं। बनारस के अन्दर तमाम शिक्षण संस्थाओं में यह नियम का उल्लंघन करके दुकानें खुली हुई हैं और बिक रही है तो आप इसका संज्ञान ले लें।

श्री अध्यक्ष-

शिक्षण संस्थाओं में है और प्रतिबन्ध भी है इस पर तो संज्ञान ले लें।

तारांकित प्रश्न

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कुडाना में चकबन्दी प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने की मांग

*1-श्री हुकुम सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद के ग्राम कुडाना में विगत 30 वर्षों से चल रही चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है तथा चकबन्दी अधिकारियों द्वारा कृषकों का उत्पीड़न किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार चकबन्दी प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

जी नहीं। ग्राम कुडाना परगना व तहसील शामली का धारा-4(2)का प्रकाशन दिनांक 19-8-1979 को हुआ था। ग्राम में कब्जा परिवर्तन दिनांक 13-10-93 को पूर्ण हो चुका था। दिनांक 7-2-94 को ग्राम के अभिलेख चोरी होने के कारण अभिलेख पुनः निर्मित किये गये। ग्राम

के भौतिक अभिलेखों एवं स्थलीय स्थिति में एकरूपता लाने के लिये विधिवत जांच के पश्चात् चक निगरानियों का निस्तारण अप्रैल, 2007 में किया जा चुका है तथा वर्तमान में ग्राम के अन्तिम अभिलेख तैयार किये जा रहे हैं। रिट याचिका संख्या-63472/06 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21-11-2006 द्वारा धारा-52 के प्रकाशन पर रोक लगायी गयी है। कृषकों का कोई उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो यह सम्बन्धित है गांव से, 20,000 की आबादी का गांव है और आपके उत्तर से स्पष्ट हो गया कि 79 को धारा 4(2) का प्रकाशन हुआ और आज हम 2007 में खड़े हैं। प्रश्न यह है कि जो इसमें मैंने अनियमितता पाई है और गांव वालों ने उसका उल्लेख किया मेरे सामने, मैं आपका और सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। यह 40 अनियमिततायें है चकबन्दी के दौरान की। आपकी अनुमति हो तो मैं यह 40 की 40 माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दूं इस आश्वासन के बाद कि वह कहें कि इनको देखने के बाद वह कार्यवाही करेंगे, मैं आपके माध्यम से दे दूंगा, मैं आपके पास भिजवा रहा हूं। यह मैं आपकी सुविधा के लिये दे रहा हूं। (पैकेट भिजवाया गया)

मान्यवर, मैं एक प्रश्न करूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला अभी भी लम्बित है और सर्वोच्च न्यायालय का आपने भी हवाला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में क्या लिखा है 4 लाइन का आदेश है आपके पास है मैं पढ़कर सुना देता हूं ताकि सदन की सम्पत्ति बन जाये और आपको जानकारी मिल जाय कि उच्च न्यायालय चाहता क्या है ? उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है जिस प्रकार के कब्जे के प्राविधान की बात कही गयी है वह अवैधानिक है। 3 बार उच्च न्यायालय इसमें आदेश दे चुका है स्टे करने के, चकबन्दी आयुक्त दे चुका, लेकिन इस प्रकार के वहां अधिकारी लगे हुए थे भ्रष्टाचार के आधार पर गांव वालों से करोड़ों रुपये लूट कर चले गये और गांव को बरबाद कर दिया। बार-बार मैंने यह सवाल चकबन्दी का मुजफ्फरनगर [illegible] या है लेकिन तत्कालीन सरकार जिनके सहारे चल रही थी उनका एक अधिकारी पर ऐसा वरदहस्त था कि 3-3 विभाग उसके पास थे यहां मंत्रियों के पास आधे-आधे विभाग रह जाते हैं। उसके पास 2 तहसील थीं और एक एस0ओ0सी0 का विभाग था सारे हमारे क्षेत्र को चौपट करके चला गया मेरे बार-बार आग्रह करने के बाद कार्यवाही इस पर नहीं हुई। मंत्री जी से मैं आग्रह [illegible] हूं कि जो मैं पैकेट भेज रहा हूं [illegible] परीक्षण करने के बाद में उस पर कार्यवाही सुनिश्चित कर लें ताकि उस गांव की जान बचे ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैं कार्यवाही करा दूंगा, आप पैकेट भेज दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पिछले दो वर्षों से राजस्व विभाग द्वारा जिन गांवों की चकबन्दी हेतु आदेश जारी किये गये हैं क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह बतायेंगे कि उन गांवों की चकबन्दी कब तक करा दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है खन्ना साहब, थोड़ा मदद कर दें। जो प्रश्न आया है वह स्पेसिफिक गांवों के सन्दर्भ में आया है, शेष जो जानकारी आप करना चाहते हैं, उसके लिये अलग से समय पर प्रश्न लगा दें, बात आ जायेगी। यहां माननीय मंत्री जी के पास कहां सूचना है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने इसीलिये शाहजहांपुर का नाम नहीं लिया कि आपके पास नहीं होगी सूचना। अब मैं जानना चाहता हूं कि जिन गांवों के सम्बन्ध में चकबन्दी किये जाने हेतु आदेश दिये जा चुके हैं, वहां चकबन्दी पेन्डिंग है। जब माननीय मंत्री जी ने विभाग का काम टेकओवर किया होगा तो कम से कम उन्हें यह मालूम हुआ होगा तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उनकी पालिसी क्या है, जो दो वर्ष पूर्व आदेश जारी हो चुके हैं, माननीय मंत्री जी, उन आदेशों के अन्तर्गत उन गांव में चकबन्दी करायेंगे या नहीं, क्या नीति है, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

जब कोई अधिसूचना जारी होती है तो धारा-4 का प्रकाशन होता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मंत्री जी जवाब इसका दें। जो दो वर्ष पूर्व आदेश दिया गया था वह इस समय अस्तित्व में है, उसके सम्बन्ध में पालिसी क्या है, क्या उसे निरस्त करेंगे या उस पर कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, आप लिखकर दे दीजिये, उन गांवों के बारे में, हम दिखवा लेंगे।

नोएडा के आवासीय भूखण्ड आवंटन में हुई गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नोएडा के आवासीय भूखण्ड आवंटन में हुई गड़बड़ी की जांच एक सदस्यीय जांच आयोग को सौंपी गई थी ? यदि हां, तो प्राप्त जांच रिपोर्ट क्या है ? और उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

जी हां।

लगभग दो वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जांच आयोग द्वारा जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत नहीं की गयी। रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण अधिसूचना संख्या-2212/77-4-07-65एन0/05, दिनांक 01-06-07 द्वारा आयोग अस्तित्वहीन कर समाप्त कर दिया गया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, यह मामला लगभग 1300 प्लाटों के सम्बन्ध में है और इसमें बहुत कुछ गड़बड़ी की गयी जिसके कारण यह जांच संस्तुत करनी पड़ी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि किन प्लाटों के आवंटन में किस प्रकार की अनियमितता की गयी, कौन-कौन से लोग इसमें संदिग्ध पाये गये और जो जांच संस्तुत की गयी थी, वह दो वर्ष बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत नहीं हो सकी ? क्या सरकार ने इसको जानने का प्रयास किया ? यदि जानने का प्रयास किया तो क्या कारण है और क्या इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए, सरकार सी0बी0आई को जांच हेतु सुपुर्द करने पर विचार करेगी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला था। नोएडा के अन्दर 1250 प्लाट थे जो आवासीय भूखण्ड थे मान्यवर, इसमें आवंटन की प्रक्रिया 2-7-2005 को की गयी थी जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाले प्रकाश में आये थे और जैसा माननीय चौधरी साहब कह रहे हैं, इस घोटाले में ब्यूरोक्रेट भी शामिल थे और जहां तक मुझे ज्ञान है, इसमें राजनेता भी शामिल थे और संकोच के साथ कहना चाहूंगा वह खुलासा हो जायेगा लेकिन जुडीशियरी से जुड़े परिवार वाले भी शामिल थे। बहुत बड़ा घोटाला नजर आया था और बड़ा प्रेस मीडिया में हल्ला मचा था तब जाकर इसमें 14-7-2005 को आयोग का गठन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो इलाहाबाद के है श्री ए0एन0 गुप्त की अध्यक्षता में यह आयोग बना था। मान्यवर, तीन महीने के लिये इस आयोग का कार्यकाल निर्धारित किया गया था लेकिन रिपोर्ट प्रेषित नहीं हुई। लगभग 4 बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया और दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी इसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई इसलिये बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो अभी हमारी सरकार बनी है। इस आयोग की रिपोर्ट न आने के कारण और समय व्यतीत हो जाने के कारण इस आयोग को समाप्त कर दिया गया है और जहां तक चौधरी साहब जैसा चाहते हैं कि सी0बी0आई0 की जांच हो तो हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहती है, जिसने जो भी घोटाले किये हैं, उसका पर्दाफाश किया जायेगा। उच्च न्यायालय ने सी0बी0 आई0 जांच का आदेश दिया था लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने विशेष अनुमति याचिका दायर करके स्टे ले लिया था। 14 जून को ग्रीष्मकालीन जो अस्थायी बेंच है उसमें ग्रेटर नोएडा को भेजा गया था कि वह अपनी एस0एल0पी0 को वापस ले ले लेकिन

माननीय न्यायालय ने कहा था कि इसको रेगुलर बेंच मे सुना जायेगा। एस0एल0पी0 वापस हो जायेगी, इसकी सी0बी0आई0 से जांच करा दी जायेगी, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, इसकी सी0बी0आई0 जांच हो जायेगी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर भाषण में जो कुछ कहा गया, उनके उत्तर से एक नया प्रश्न निकल आया है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने अपनी दिली ख्वाहिश रख दी है और आप उसे अनुपूरक बना रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस घोटाले में बहुत सारे राजनेता थे, जुडिशियरी के अधिकारी थे, इस प्रकार से इसमें कई लोगों के नाम हैं। मैं चाहता हूं कि जिन राजनेताओं, अधिकारियों के नामों की बात इसमें की गई है, उनका क्या नाम हैं ? क्योंकि मान्यवर, इस तरह की बात से तो सारे के सारे राजनेताओं को एक शंका की दृष्टि से देखा जाता है और सारे अधिकारियों को भी उसी दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, उनके नाम प्रकाशित कर दिये जाएं ताकि कम से कम जिनके नाम नहीं हैं वह लोग तो सुरक्षित हों। कम से कम उन लोगों को शंका की दृष्टि से न देखा जाए, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके नाम प्रकाशित कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ नेताओं से मतलब सबसे न लें, अभी कहा जाए कि दो पुरुष आये थे और कहा जाए कि पूरे देश के पुरुष अपमानित हो गये तो इस प्रकार से कैसे काम चलेगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, यह सारी चीजें सी0बी0आई0 जांच में आ जायेंगी।

प्रदेश में नदियों की बाढ़ से प्रभावित बस्तियों को बचाने की मांग

*3-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों की बाढ़ से प्रभावित बस्तियों को बचाने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या इसमें बाढ़ पीड़ित बस्तियों को ऊंची जगह बसाने एवं पक्के मकान बनाने की योजना भी सम्मिलित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला आपदा प्रबन्धन परामर्शदात्री समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है और उसमें बाढ़ से सम्बन्धित विभाग जैसे-सिंचाई, राजस्व, ग्राम्य विकास, नगर विकास, विद्युत, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आदि के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होते हैं। यह समिति जिले की बाढ़ योजना तैयार करती है। जनपद के बाढ़ प्रभावित ग्रामों को चिन्हित किया जाता है और बाढ़ चौकियों व बाढ़ सुरक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाती है।

ऐसे ऊंचे सुरक्षित स्थानों को चिन्हित किया जाता है जिन पर बाढ़ के आने पर ग्रामीणों एवं उनके पशुओं को अस्थायी रूप से सुरक्षित ठहराया जा सके। ऐसे चिन्हित स्थानों पर अस्थायी आवास, कपड़ा एवं दवाइयां आदि की व्यवस्था की जाती है। क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु भी सहायता अनुमन्य है। सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत मवेशियों आदि को बचाने के लिये प्लेटफार्म का निर्माण कराया जाता है। बस्तियों में जलभराव की स्थिति में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी हेतु धनराशि आपदा निधि से व्यय की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न में हम आगे बढ़ गये थे लेकिन जनार्दन प्रसाद ओझा जी तारांकित प्रश्न संख्या-3 में कुछ अनुपूरक करना चाहते हैं। अनुपूरक कर लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न सं0-3

(प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित रहने एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, प्रश्न सं0-3 में हमारी रुचि है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, प्रश्न सं0-3 ले लें, प्रश्नकर्ता अनुपस्थित हैं, लेकिन इसमें सभी सदस्यों की रुचि है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, कृपया प्रश्न सं0-3 का जवाब दिलवा दें, इसमें सभी माननीय सदस्यों की रुचि है। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। आप कृपया प्रश्न को देख लें। जो उत्तर आया है वह प्रश्न से

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त तारां0 प्रश्न सं0-3 लिया गया था। तत्पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

बिल्कुल अलग है। स्पष्ट प्रश्न किया गया है क्या सरकार के पास जिन गांव में बाढ़ का पानी आ जाता है उनके लिये पक्का मकान बनाने के लिये कोई योजना है। आपने कोई नई बात नहीं बताई, बाढ़ समितियां तो हर जिले में होती हैं। स्पष्ट प्रश्न है कि कोई ऐसी योजना आपके पास हो जिस गांव में, जिन घरों में पानी आ गया हो और जो लोग किनारे पर जाकर रहते हों 15 दिन एक महीना, बंधों और सड़कों पर रहते हैं, उनके घर का क्या होता है, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि जिन गांव में बाढ़ का पानी आ गया है जो घरों को छोड़कर बाहर चले गये हैं उनको स्थायी रूप से बसाने के लिये, उनके लिये पक्के मकान बनवाने के लिये आपके पास कोई योजना है ?

श्री फागू चौहान-

राहत आपदा में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि कोई स्थाई तौर पर बसाने की कोई योजना हो। एक नयी योजना भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का निर्माण हो रहा है जिसकी निधि उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिल पाई है लेकिन अगर यह लागू हो जाता है तो जिन लोगों के मकान बह गये हैं, कट गये हैं उनके लिये मकान की व्यवस्था की जा सकती है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, हमारा प्रदेश नदियों का प्रदेश है। हर साल यहां बाढ़ आती है। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है कि हर साल बाढ़ आती है और मकान बह जाते हैं मा0 मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि हर साल जो बाढ़ में मकान बह जाते हैं उनके लिये क्या व्यवस्था की है। उसमें कितना खर्च आता है और जितना खर्चा आता है इसमें सरकार मकान देने की व्यवस्था करेगी ? दूसरा प्रश्न, सरकार जो राहत देती है, उस सम्बन्ध में हर साल धांधली की शिकायतें आती हैं, उनके लिये पहले से चेक सिस्टम ऐसा कर दिया जाए, पहले से व्यवस्था कर दी जाए। तीसरा, मान्यवर, सरकार के पास नावों का बन्दोबस्त नहीं रहता है, जब तक उनका प्रबन्ध किया जाता है, तब तक तमाम मौत के घाट उतर जाते हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि बाढ़ को देखते हुए प्रत्येक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिये कितने नावों की व्यवस्था की है ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, जिलाधिकारी को, जो प्राकृतिक आपदा का जिम्मा है, उनकी अध्यक्षता में निर्धारित की जाती है और जितने भी नावों की आवश्यकता होती है, यदि उस जनपद में उपलब्ध है, तब उस जनपद से लिये जाते हैं अन्यथा दूसरे जनपद से मंगाकर व्यवस्था की जाती है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, हमारी निश्चित जानकारी है, पूर्ववर्ती हमारी सरकार ने, मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसी स्थिति के लिये 50 लाख का प्राविधान किया था। भूमि अधिग्रहण के लिये और इस तरह की दैवी आपदा के लिये विशेष रूप

से प्रबन्ध किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह प्राविधान इस बजट में समाप्त कर दिया गया है ? यह वर्षों-वर्षों से मैं भी देख रहा हूं, तीन दशक से देख रहा हूं कि इसके कारण अरबों-खरबों की सम्पत्ति स्वाहा हो जाती है और उस पर कोई हमारी कार्य योजना नहीं बनी तो इसी तरह अरबों-खरबों की सम्पदा भस्म होती रहेगी और लोग यहां चर्चा करते रहेंगे, कभी बाढ़ की चर्चा, कभी सूखे की चर्चा। मान्यवर, जो विगत सरकार में इसके लिये 50 लाख की व्यवस्था की गई थी। जो नदियों के किनारे रहते हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनके पुनर्वास के लिये सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम जो है, उस पर काम शुरू हो गया है। जमीनों का अधिग्रहण होना है, वह भी चल रहा है। यह 2005 की योजना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं सहयोग कर रहा हूं, एक साथ उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

उनका भी तो सहयोग करिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सदन अवगत है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन का प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में पहले से है। मुख्य मंत्री जी स्वयं उसके अध्यक्ष होते हैं। माननीया मुख्य मंत्री जी स्वयं उसकी अध्यक्ष हैं। राजस्व मंत्री, सिंचाई मंत्री, ये दो मंत्री और कई विभागों के अधिकारी, जो प्राधिकरण गठित है, उसमें हैं। मान्यवर, प्राधिकरण का प्रश्न नहीं है, प्राधिकरण गठित है मैं इसके दूसरे खण्ड पर आता हूं, पहले खण्ड में प्राधिकरण की गाइड लाइन्स हैं, यह सिंचाई विभाग प्रबन्ध करता है कि नदी के किनारे क्या प्रबन्ध किये जाने हैं, वह सिंचाई विभाग करता है, वह राजस्व विभाग से सम्बन्धित नहीं है। दूसरे खण्ड में बसाने की योजना सम्मिलित है। एक जानकारी देकर प्रश्न करना चाहूंगा। श्रीमन्, आपदा राहत के लिये बहुत बड़ी राशि मिलती थी, लोगों को बसाने के लिये धन का प्रबन्ध किया गया था। समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिये, उनको बसाने के लिये भूमि अधिग्रहण करने के लिये बजट में राशि का प्राविधान किया था। बाढ़ से विस्थापित लोगों को ऊंची जमीन पर बसाने के लिये, उनके लिये भूमि अधिग्रहण के लिये बजट का प्रावधान हुआ और दूसरे लोगों के लिये राजस्व विभाग ने पहली बार वर्ष 2005-06 के बजट में एक प्रावधान 50 लाख रुपये का किया था। इसी प्रकार से अन्य लोगों के लिये जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं यदि वह स्थाई रूप से विस्थापित हो गये हैं, बाढ़ और कटान से तो उनके लिये भूमि एक्वायर करने की जरूरत पड़े तो उतने बजट का

प्रावधान था। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस प्राविधान को जो पिछली सरकार ने पहली बार लागू किया क्या इसको आगे जारी रखेंगे ? इस राशि को बढ़ाने पर विचार करेंगे ? यही मेरा प्रश्न है।

(माननीय मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर देने में देर करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, बाद में उत्तर दे दीजियेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

कहीं यह प्रश्न स्थगित तो नहीं हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

स्थगित नहीं होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह तो गम्भीर मामला है। पूर्व राजस्व मंत्री ने राजस्व मंत्री से प्रश्न किया उस प्रश्न का जवाब नहीं आया तो इस प्रश्न को स्थगित माना जाना चाहिए। मान्यवर, इस प्रश्न का जवाब देने में माननीय मंत्री जी असमर्थ रहे और मंत्री जी यह कहकर बैठे कि वह इसका जवाब फिर दे देंगे और इसका मतलब कि प्रश्न को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इसको दोबारा एजेण्डे पर लाया जाए तो यह जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आजम खां जी, अभी अनुपूरक प्रश्न चौधरी साहब और माननीय विधायक जी ने पूछा। माननीय मंत्री जी खड़े हुए थे। माननीय प्रश्नकर्ता ने कहा कि ठीक है इसकी जानकारी कर लीजिएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, शायद आप सही नहीं समझे, हम सब सही समझे। उसमें यह समझ गलत हो सकती है। नई रवायतें, नये तरीके से सदन, नया न्याय।

श्री अध्यक्ष-

सदन नया नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

पहली बार यह सीखने को मिल रहा है कि एक माननीय सदस्य का मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं फिर जवाब दे दूंगा। आज ही किसी समय या किसी और दिन ? इसका और क्या मतलब निकाला जाए ? वैसे इसके लिये दबाव नही दे सकते हैं लेकिन यह सही नहीं है। मेरा कहना है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए और अन्य किसी दिन इस प्रश्न पर जवाब ले लिया जाए।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह तो प्रश्नकाल है। प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने के बाद कहें। मान्यवर, आप अपने हिसाब से नियमावली बना लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मेरी समझ में नहीं आया कि प्रश्न का मैं उत्तर देने खड़ा हुआ हूं तो किस नियम के अन्तर्गत इसमें प्रतिबन्ध है कि मैं उत्तर नहीं दे सकता। उसके बाद कहा गया कि नया नियम बनने जा रहा है। यह आपने अपनी आदत में शुमार कर लिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

न्याय की प्रक्रिया आप तय करते हैं कि कैसे न्याय होगा। साढ़े 12 बजे आश्वासन देते हैं और साढ़े 4 बजे जौहर युनिवर्सिटी पर बुल्डोजर चला दिये जाते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सवाल कहां से आ गया ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अन्याय हो रहा है, इमरजेंसी लगी हुई है, आपात काल है, प्रदेश में न्याय नहीं है जंगलराज है।

श्री लालजी वर्मा-

यह कहां से आ गया ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 12-30 बजे सरकार कहती है कि न्याय होगा और 4-30 बजे वहां पर बुलडोजर चला दिया जाता है। हमारी सम्पत्ति को तोड़ा जाता है, क्या यही न्याय है ? मान्यवर, आज जंगल राज चारों तरफ हो गया है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं खड़ा हुआ हूं उत्तर देने के लिये। जो अनुपूरक प्रश्न आये उसका उत्तर देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और मंत्रि-परिषद् की यह सामूहिक जिम्मेदारी है। इस सदन में बहुत से ऐसे अवसर आये हैं जब दूसरे मंत्री ने उत्तर दिया है उसी के तहत मैं भी उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हैं। तो इसमें कौन सा प्रतिबन्ध लगा है। आज यह नयी परम्परा चल रही है, प्रश्न कुछ और चल रहा हो और उत्तर कुछ और का जाय, तो यह नयी परम्परा नहीं डालना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हम डालना चाहते हैं ? जंगल का राज है। हमारा दो करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है। यह सरकार मुस्लिम विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी हैं हमें आप सदन से बाहर निकलवा दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कुछ लोग नियमों से परे हैं। चौधरी साहब आप बैठ जायें। मान्यवर, सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी इसके लिये नियम है। कार्य-संचालन नियमावली के नियम-42 के अन्तर्गत प्रश्न के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं होगी। प्रश्नकाल चल रहा है, मैं उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन मान्यवर, कुछ सदस्य नियमों से अलग हो तो आप इसे निर्धारित करा दीजिये। अगर सबके लिये नियम समान हैं तो मैं उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने, जो सदस्यों ने प्रश्न किया था, उसके सम्बन्ध में जवाब दिया था, मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राधिकरण का गठन हो चुका है और जहां तक बाढ़ की बात आती है ऐसी जगहों के लिये भूमि की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही की जा रही है, यह कहा गया। जब कार्यवाही की जा रही है तो उसमें सब कुछ समाहित हो गया है, इसमें सारी चीजें आ गयी हैं। अब कुछ बचा नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, जो जवाब आया है वह प्रश्न से परे है। प्रश्न शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि हम जवाब दे देंगे। अगर आप प्रश्न को स्थगित नहीं करेंगे तो जवाब कैसे देंगे ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न नम्बर-1 पर था। मैंने सदन का समय बचाने के लिये, अनुरोध किया था। अगर प्रश्न लम्बा है और मैं जानकारी चाह रहा हूं, मैं लिखकर बिन्दु लाया हूं आपकी अनुमति से भेजना चाहता था राजस्व मंत्री जी के पास इस आशा के साथ कि इसमें कार्यवाही की जायेगी, आपने निर्देश भी दे दिया था, लेकिन पता नहीं किस कारण से उन्होंने वापस कर दिया।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं उसको वापस करने का काम मैं क्यूं करूंगा ? हां यह जरूर है कि बहुत से माननीय सदस्य हमारे पास अपने-अपने कागज लेकर के आये थे हो सकता है मैं प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं और उस बीच आया हो तो हो सकता है गलती से आपका कागज भी उसी में वापस चला गया हो।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री हुकुम सिंह जी का कागज हमारे माध्यम से गया था।

श्री हुकुम सिंह-

आपके पास बाद में भेजा, पहले वहां स्वीकार कर लिया गया था।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैंने उसे वापस नहीं किया और यह कोई ऐसी बात भी नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

फागू चौहान जी, आपको इस बारे में कम से कम खेद व्यक्त करना चाहिए था। हमारे कुलीग रहे हो और आज भी हो। हमारी तरफ से ऐसा व्यवहार हो ?

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, जब मैंने ऐसी गलती किया नहीं तो खेद क्यों व्यक्त कर दूं।

(कई सदस्यों के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने के कारण से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बस अब हो गया। ओझा साहब आपसे दो प्रश्न मैं करा चुका हूं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं मैं आपका आदर करता हूं।

आज दिनांक 05 जुलाई, 2007 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें पहली सूचना से श्री अवस्थी बाला प्रसाद जी की है।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, एक मिनट पहले इस पर आपकी व्यवस्था तो आ जाती। एक माननीय उप नेता जी ने हमारे कहा, जनार्दन ओझा जी ने कहा, मूल प्रश्नकर्ता ने कहा, उस पर आपकी व्यवस्था आ जाय तब आगे चले मान्यवर, ओझा जी को छोड़ करके आगे चलेंगे मान्यवर, तो कैसे काम चलेगा ? श्रीमन्, प्रश्न मेरे आग्रह को स्वीकार करने, अस्वीकार करने का नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर समुचित रूप से नहीं आता और उस से जुड़ी कोई जानकारी बाद में आनी है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम तो पूरे सहयोग से इस सदन को चलाना चाहते हैं लेकिन नियमों में श्रीमन्, स्पष्ट है कि अगर यह जानकारी सामने नहीं आती है तो वह प्रश्न स्थगित होता है। इसको प्रतिष्ठा का कोई बिन्दु बनाने का कोई सवाल नहीं है। प्रदेश की जनता के लिये ही आप मंत्री हैं, प्रदेश की जनता के लिये ही हम यहां सदस्य हैं। यह सरकार तो प्रदेश की जनता को जानकारी देने के लिये और उसकी सेवा के लिये है मान्यवर, यह सदन। तो इसमें प्रतिष्ठा का कोई बिन्दु नहीं है श्रीमन् कि किसने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं, प्रतिष्ठा का कोई बिन्दु नहीं है। माननीय ओझा साहब अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे थे मैंने बताया फिर विशम्भर प्रसाद निषाद जी से मैंने कहा आप मूल प्रश्नकर्ता हैं आप पूछ लें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, जो जानकारी चाही थी, उसके बारे में इन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हम फिर दे देंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूं श्रीमन्, कि इसको स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

विशम्भर प्रसाद निषाद जी बतायें, वह मूल प्रश्नकर्ता हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो नियम पूर्व सरकार में बना था कि जमीन के अधिग्रहण करने का, वह यथावत रखेंगे कि नहीं रखेंगे ? इसके अलावा हमने पूछा था माननीय मंत्री जी से उसका जवाब ही इन्होंने नहीं दिया कि माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि जितना नुकसान होता है उसके बदले में क्या उनके पक्के मकान बनाने के लिये सरकार विचार करेगी ? उसका कोई जवाब ही नहीं दिया माननीय मंत्री जी ने। माननीय अध्यक्ष जी चूंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी नियम-49 में चर्चा करा दी जाय। हमने इसको लिख कर भी दे दिया है। चूंकि पूरे प्रदेश में बाढ़ आती है और हर साल हजारों लोग घर से बेघर हो जाते हैं और लोगों की जानें चली जाती हैं। बांदा हमारा क्षेत्र है हर वर्ष वहां बाढ़ आ जाती है वहां न तो नावों का बन्दोबस्त रहता है और न तो बाढ़ चौकियां रहती है। फर्जी केवल कागजों में बाढ़ चौकियां बना ली जाती हैं और न ही वहां कोई अधिकारी रहता है। जब लोग बह जाते हैं तब अधिकारी पूछने जाते हैं मान्यवर, यह जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। मान्यवर, इसलिये नियम-49 पर इसमें चर्चा करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, वहां पर स्थाई आवास बनाने का, इस तरह की कोई योजना है, उसको माननीय विशम्भर निषाद जी जानकारी करना चाहते हैं।

डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित करने में आपको आपत्ति क्या है ? जब माननीय राजस्व मंत्री जी इसका उत्तर सही दे नहीं पाये तो इसको स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वकार साहब, माननीय मंत्री जी उत्तर दे पा रहे हैं और पूरा उत्तर दिये हैं लेकिन माननीय अम्बिका चौधरी जी ने एक प्रश्न पर यहां तक कह दिया कि अगर कोई परिस्थितियां हैं, ठीक हैं माननीय मंत्री जी उसको दिखवा लें। इसलिए इस बिन्दु पर हम लोग रुक गये थे और आगे कोई बात नहीं बढ़ी थी। जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने कहा ठीक है वह जमीन अधिग्रहण वाले मसले को आप दिखवा लेंगे बाकी जितने भी अनुपूरक आये उन सबका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है।

बस अब हो गया। माननीय मंत्री जी, बस इतना बता दें कि वहां पक्के मकान की कोई व्यवस्था है या नहीं है ? जिसका मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनके लिये।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैं क्या बताऊ यह प्रश्न ही कुछ घूमता हुआ इस तरह से आ रहा है कि पहले लिखा हुआ है प्रश्न आप देख लीजिए मान्यवर।

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों की बाढ़ से प्रभावित बस्तियों को बचाने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या इसमें बाढ़ पीड़ितों बस्तियों को ऊंची जगहें बसाने एवं पक्के मकान बनाने की योजना भी सम्मिलित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मान्यवर, जो सूचना मांगी गयी पहले तो वह सिंचाई विभाग गयी फिर सिंचाई विभाग से कल शाम को वह मेरे पास आयी। आज जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप इसका जवाब दे दें माननीय मंत्री जी जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप कार्यवाही उठाकर देख लें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, इन प्रश्नों के उत्तर से इस महत्वपूर्ण विषय का समाधान नहीं होगा। यह सुझाव है मेरा कि नियम 52 में सूचना दे दी जाती है और आप उस पर एक दो घंटे की चर्चा स्वीकार कर लें। जिसमें फिर सभी अधिकारी और विभागों के लोग भी दीर्घाओं में रहेंगे और इसका निष्कर्ष निकल आयेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, राजस्व विभाग का बजट प्रस्तुत होगा और उसमें आप चर्चा कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, राजस्व विभाग का बजट आयेगा उस समय आप पूरी बात कह लीजियेगा।

*4-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[2सरे सौमि0 के तारां0 प्र0 सं0-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की जानकारी

*5-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुधारू जानवरों (गाय, भैंस) को लगाये जा रहे इंजेक्शन आक्सीटोसिन जो मानव शरीर के लिये हानिकारक है, पर प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवध पाल सिंह यादव)-

पूर्णतया प्रतिबन्धित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

ओझा जी वरिष्ठ सदस्य हैं, यह प्रश्न हो जाने के बाद प्रश्न सं0-3 ले लिया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय पशुधन मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मैंने प्रश्न किया था कि क्या पशुधन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दुधारू जानवरों गाय और भैंस को लगाये जा रहे इंजेक्शन आक्सीटोसिन जो मानव शरीर के लिये हानिकारक है पर प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार विचार करेगी ? उत्तर आया है कि पूर्णतया प्रतिबन्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि जो इंजेक्शन प्रतिबन्धित है उसे बाजारों में या दुकानों पर नहीं बिकना चाहिए लेकिन आज वह बाजार में खुले आम बिक रहा है। आज मैं घर से विधान सभा आ रहा था, मैंने मेडिसिन की दुकान से यह आक्सीटोसीन इंजेक्शन स्वयं खरीदी है, यह इंजेक्शन बाजार में खुले आम बिक रहा है। मेरा सीधा-सीधा सरकार से यह सवाल है कि इस इंजेक्शन की बिक्री पर रोक लगाने के लिये कोई कार्यवाही करेगी और इसके साथ ही जिन मेडिसिन की दुकानों पर खुले आम यह इंजेक्शन बिक रहा है तो छापा मारकर उसे जब्त करने का काम करेगी ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आक्सीटोसीन इंजेक्शन सिर्फ रजिस्टर्ड चिकित्साधिकारियों और रजिस्टर्ड पशु चिकित्साधिकारियों के लिखित आदेश पर दुकानों से प्राप्त होती है। इससे अन्यथा जब भी कोई स्थिति आती है तो समय-समय पर अभियान चलाकर आक्सीटोसीन इंजेक्शनों को पकड़वाया है। 26-03-2005 में यह अभियान चलाया गया था, कई महीने चला था और 20 लाख 76 हजार, 263 बायल पूरे प्रदेश में बरामद हुई थी और उनके विरुद्ध 222 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी थी। समय-समय पर लगातार कार्यवाही चलती रहती है तथा समय-समय पर जिलाधिकारियों व पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि इस तरह की जो प्रतिबन्धित दवायें हैं उनकी बिक्री पर रोक लगायी जाए और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

माननीय मंत्री जी की उत्तर से यह विरोधाभास होता है कि एक तरफ यह इंजेक्शन पूर्णतया प्रतिबन्धित है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है, ऐसा विरोधाभास क्यों है ? दूसरे क्या मानव के लिये इसके उपयोग से कोई दुष्परिणाम हुआ या लाभ हुआ ? यदि कोई अनुभव की जानकारी हो तो बता दें ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

मान्यवर, आक्सीटोसीन इंजेक्शन जैसा कि मैंने बताया सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर की मांग पर ही मिल सकती है चाहे मनुष्यों के डाक्टर हों या पशुओं के डाक्टर हों इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस दवा को नहीं खरीद सकता है, न बेच सकता है और मेडिकल स्टोरों से यह दवा बिक्री हो सकती है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, मैंने श्रीवास्तव जी को बुला लिया है। उनका प्रश्न हो जाने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर का कोई पर्चा नहीं था, मैं स्वयं दुकान पर गया और आक्सीटोसीन इंजेक्शन ले आया। सरकार जो कह रही है उसकी बात की धज्जियां उड़ा रहा हूं। मैंने स्वयं सवा दस बजे इसे खरीदा है। मैं इसको आपके पास भेज रहा हूं, इसको आप देखें, खुलेआम बिक्री हो रही है, इसका मतलब यह हो रहा है कि एक नहीं अनेक प्रतिबन्धित दवायें बाजार में बिक रही हैं जो मानव शरीर या जानवरों के लिये हानिकारक है, सरकार इस पर कड़ाई से कार्यवाही करे।

श्री अवधपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैंने सदन को अवगत कराया है कि 20 लाख, 76 हजार, 263 वायल पकड़ी गयी हैं। जो इसमें छापे डलवाये गये थे। हम समय-समय पर और भी छापे डलवाते रहेंगे। हमारे सदस्य की जो जिज्ञासा है उसके अनुसार मैं पुनः अभियान प्रारम्भ करा दूंगा। एक माह के अन्दर जो भी रिजल्ट आयेगा उससे मैं सदन को अवगत करा दूंगा। जहां तक दुकान से खरीदकर लाने की बात है सदस्य महोदय दुकान का नाम हमें लिखकर दे दें मैं उसके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दूंगा और उसको बन्द करा दूंगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मेरी मंशा किसी को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने की नहीं है। मैं आरोप लगा रहा हूं कि लखनऊ की सारी दुकानों पर यह इंजेक्शन बिक रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा है कि आप दुकान का नाम लिखकर दे दें।

श्री अवधपाल सिंह यादव-

मैंने उस दुकान के सम्बन्ध में श्रीवास्तव जी से कहा है कि जिसने बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखे प्रिस्क्रिप्शन से यह दवा दी है कि आप उसका नाम बता दें हम उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करायेंगे उसका लाइसेंस रद्द करायेंगे और बन्द करायेंगे यह तीन बातें कही हैं। इसके अलावा मैं सम्पूर्ण सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या दवा खरीदने वाले को बन्द करा दिया जाय।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मैंने तो कहा है कि पूरे लखनऊ में सभी दुकानों पर यह दवा मिल रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त गम्भीर मसले से सम्बन्धित यह प्रश्न है। मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरी गम्भीरता के साथ सरकार के दृष्टिकोण और कदमों को उजागर किया। दो बातें मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी ने जो लिखित उत्तर दिया उसमें यह उत्तर दिया कि यह दवा पूर्णतया प्रतिबन्धित है लेकिन अनुपूरक में यह कहा कि मेडिकल प्रेक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्सन पर यह दवा मिलती है तो इन दोनों में विरोधाभास है जब दवा पूर्णतया प्रतिबन्धित है तो लिखने पर कैसे मिलेगी ? मैं मंत्री जी को दोष नहीं देता लेकिन आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि अधिकारीगण इस तरह के विरोधाभासी उत्तर देते हैं तो इस सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैटक करके पूरी गम्भीरता के साथ आज ही इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जब दवा पूर्णतया प्रतिबन्धित है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्सन पर कैसे दवा दी जा रही है ? चाहे एक ही वायल दी जा रही हो। जब पूर्णतया प्रतिबन्धित है तो फिर बार-बार अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है। जब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स के लिखने पर दवा मिलती है तो पूर्णतया प्रतिबन्धित नहीं है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा यह बातें कई बार हो जाती हैं इसका परीक्षण करा लें। मैं चाहूंगा कि आज ही इस प्रश्न का निराकरण करवा लें। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि छापे मारे गये तो कितनी जगह छापे मारे गये कितने वायल बरामद किये गये ? कितनी दुकानों के लाइसेंस रद्द किये गये कितने लोगों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। एक सवाल मैं श्री श्रीवास्तव जी से करना चाहता हूं क्या वह आक्सीटोसिन के नियमित ग्राहक हैं अगर हैं तो बड़ी खतरनाक बात है। अभी एक महिला सदस्य ने चर्चा में इसके बड़े खराब परिणाम बताये थे अगर श्रीवास्तव जी नियमित ग्राहक हैं तो आज से ही छोड़ दें वरना आगे जाकर उनका नाम परिवर्तित करना पड़ेगा और भी बहुत कुछ परिवर्तन शायद हो गया हो। दूसरी श्रीवास्तव जी से हमारा अनुरोध है कि उनको दुकान का नाम बता देना चाहिए जहां यह अनैतिक बात हो रही है अगर नाम नहीं बतायेंगे तो यह आपत्तिजनक बात है। हम शिकायत भी करें कि खुलेआम बिक रहा है और जब मंत्रीजी नाम पूछें तो हम चुप बैठ

जायं क्योंकि उसका नाम बताने से उसको नुकसान हो जायेगा। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर इस तरह की कार्यवाही हो रही है तो प्रदेश में जनहित में हम प्रतिपक्ष को भी सरकार के साथ मिलकर इसके विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, चूंकि मेरा नाम लिया है।

(श्री प्रमोद तिवारी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, आपको इन्जेक्शन की क्या चिन्ता है ? आप क्या चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, अम्बिका चौधरी जी ने मेरा नाम लिया है कि शायद सुरेश जी इसके नियमित खरीददार हैं। मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं लेकिन कुछ लिहाज करते हुए। मुझे जब प्रातःकाल यह उत्तर मिला कि यह पूर्ण प्रतिबन्धित है और यह भी मैं बता दूं कि इसकी जानकारी मुझे पहले से है क्योंकि मेरा बेटा डाक्टर है और मैंने पिछली बार भी विधान सभा में इस प्रश्न को उठाया था जिस समय माननीय राजवीर सिंह जी मंत्री थे। मैंने फार्माकोलॉजी की पुस्तक लेकर उसके बारे में यहां पर बताया था। जब मैंने उत्तर में यह लिखा पाया कि यह पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है तो मुझे जिज्ञासा हुई कि पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होने के बावजूद बाजार में किस तरह से बिक रहा है और मान्यवर, पूरे लखनऊ में तो यह खुले आम बिक रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर कड़ाई से अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है।

(श्री प्रमोद तिवारी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी अब क्या बचा है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जिस विषय पर चर्चा हो रही है। मान्यवर, वह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

आपको अब पता चला, यह तो पहले से ही गम्भीर था।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस आक्सीटोसिन के प्रयोग से मात्रा बढ़ाई जाती है। सम्भवतः उसके लेने से साइज भी बढ़ जाता है, लम्बाई भी बढ़ जाती है। लौकी वगैरह में लगा रहे हैं। मैं इस विषय में आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां अगर इसका कोई

एक्सपर्ट नजर आया तो अम्बिका चौधरी जी नजर आये। कदाचित् इन्होंने अपना कोई अनुभव भी बताया कि पता नहीं कौन कह रहा था, किसने इसका जिक्र उठाया था। मैं सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अम्बिका चौधरी जी को अपने चेम्बर में बुला लें और अलग से पूछ लें कि इनको क्या-क्या फायदा हुआ है और क्या-क्या नुकसान हुआ है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि चिकित्सकों की एक टीम भी बुला लें कि क्या उसके दुष्प्रभाव के बाद अम्बिका जी, अम्बिका जी रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, अम्बिका जी की मदद के लिये आप भी उनके साथ जायं।

(हंसी)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं चिन्तित हुआ और मैंने चिन्ता व्यक्त की क्योंकि मुझे लगा कि सुरेश जी इसके नियमित खरीददार हैं। लेकिन उन्होंने इसको स्पष्ट कर दिया तो मैं आश्वस्त हो गया कि वे इसके रोज खरीदने वाले नहीं हैं। प्रमोद जी के बारे में मुझे चिन्ता है कि बहुत कुछ बदल गया होगा इसलिये इनका नाम भी बदलना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को 25-26 साल तक इस रूप में देखा है, इस रूप में उनका स्वागत किया है उनका नाम अब प्रमोद की जगह बदलकर प्रमोदिनी रखना होगा। दुर्भाग्य से कहीं हमको ऐसा दिन न देखना पड़े इसलिये मैं चिन्तित था कि इसका प्रभाव प्रमोद जी पर न पड़ जाय। प्रमोद जी तो इसके फायदे के चक्कर में हैं। फायदा तो हो जायेगा, इनको नुकसान नहीं हो सकता। आप तो हर स्थिति में फायदा उठा लेते हैं इसलिये आप पर यदि इसका प्रभाव हो भी जाय और आप चाहें यह रहे या वह रहें आपको फायदा ही फायदा होगा। आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष-

आजम खां साहब आप भी इस बारे में कुछ कहेंगे ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने कहा कि पहले मैंने अम्बिका नाम सुना नहीं था। यदि अम्बिका जी पर कुछ प्रभाव हो भी गया तो इनको तो नाम भी नहीं बदलना पड़ेगा मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

कांग्रेस में आपके कोई बड़े नेता हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप तो परम ज्ञानी हैं। आप जानते हैं अम्बिका देवी का नाम है मैं देवी स्वरूप अम्बिका को प्रणाम करता हूं।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय आस्थान की भूमि को फ्री होल्ड किये जाने की जानकारी

1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आस्थान की भूमि को भी, 1 दिसम्बर, 1998 को जारी नजूल भूमि के फ्री-होल्ड करने के कानून की तरह, फ्री-होल्ड किये जाने की कोई योजना सरकार में प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

परीक्षणाधीन।

प्रश्न नहीं उठता।

2-श्री यशपाल सिंह चौधरी-

[5 वें बुध0 के अता-1 पर स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के ग्राम सीधीटिकट की सार्वजनिक भूमि को फर्जी इन्द्राज कराने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

3-श्री उदयभान करवरिया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सीधीटिकट विकास खण्ड शंकरगढ़, तहसील व परगना बारा, जनपद इलाहाबाद की लगभग 45 बीघा सार्वजनिक उपयोग की भूमि जिसमें सार्वजनिक तालाब व पहाड़ है, को ग्रामवासी अमरनाथ द्वारा राजस्व अभिलेखों में फर्जी इन्द्राज कराकर अपने परिवार के नाम दर्ज करवा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर फर्जी इन्द्राज निरस्त करते हुए दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

मौजा सीधीटिकट, परगना व तहसील बारा, जनपद इलाहाबाद की सार्वजनिक उपयोग की तालाब भूमि पर जिला राजस्व अभिलेखालय के आकार पत्र 45 में फर्जी इन्द्राज अंकित पाया गया है, जिसे निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जी हां, दोषियों को चिन्हित किया जा रहा है।

जनपद मुजफ्फरनगर के शामली नगर को नया जिला बनाने का प्रस्ताव

4-श्री हुकुम सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के शामली नगर को नया जिला बनाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां तो प्रस्तावित जनपद में किस-किस तहसील एवं विकास खण्ड को सम्मिलित किया जा रहा है ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग, सिद्धार्थनगर के वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण करने की मांग

5-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय समाज कल्याण विभाग सिद्धार्थनगर के वरिष्ठ सहायक, को विगत वर्ष में मण्डल से बाहर किये गये स्थानान्तरण आदेश को रद्द करते हुए उसी स्थान एवं कार्य पटल पर तैनात किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अनुसार इस वर्ष उक्त कर्मचारी को पुनः मण्डल से बाहर स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

विगत वर्ष 2006-07 में जनपद सिद्धार्थनगर में कोई वरिष्ठ सहायक तैनात नहीं था। अतः स्थानान्तरण किये जाने अथवा रद्द किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा के सरकारी तालाबों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की योजना

6-श्री उदयभान करवरिया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के तहसील बारा में कुल कितने सरकारी तालाब है तथा कितने ऐसे सरकारी तालाब है जिस पर कब्जा करके लोगों ने अवैध रूप से मकान बना लिये हैं ? क्या इन्हें मुक्त कराने हेतु कोई ठोस कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में कितने तालाब अवैध कब्जों से मुक्त कराये गये हैं ? बाकी बचे सरकारी तालाबों को अवैध कब्जा से कितने दिन में मुक्त कराने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील बारा में कुल 885 तालाब हैं जिनमें से 197 सरकारी तालाबों पर अवैध रूप से मकान बना लिये है।

जी हां।

पिछले एक वर्ष में 105 तालाब को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है।

परिपत्रादेश संख्या-3590/सी-5-9डी/2005, दिनांक 24-5-06 के क्रम में तालाबों पर अवैध कब्जा धारकों से खाली कराने हेतु कब्जाधारकों को आवास हेतु पात्रता की दशा में भूमि उपलब्ध होने पर भूमि आवंटित की जा रही है और अपात्रता की स्थिति में यथाशीघ्र बेदखली कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद एवं कौशाम्बी में बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने की योजना

7-श्री उदयभान करवरिया-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद एवं कौशाम्बी में बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने की कोई योजना चल रही है ? यदि हां, तो पिछले 10 वर्षों में कितनी बंजर जमीन को खेती हेतु उपयोगी बनाया गया है ? क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौ0 लक्ष्मी नारायण)-

जी हां, जनपद इलाहाबाद एवं कौशाम्बी में बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम तथा राज्य सरकार द्वारा पोषित किसान समृद्धि योजना चलाई जा रही है।

जनपद इलाहाबाद और कौशाम्बी में पिछले 10 वर्षों में 10853.28 हे0 बंजर भूमि को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खेती योग्य बनाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु जनपद इलाहाबाद एवं कौशाम्बी में 12292 हे0 बंजर/बीहड़ भूमि को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खेती योग्य बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम मझरेटी में चक नाली पर अवैध रूप से भवन निर्माण का कथित प्रकरण

8-श्री संजीव दरियाबादी

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मझरेटी, तहसील-मनकापुर, जनपद-गोण्डा की कृषि भूमि गाटा संख्या 79, 80 एवं बभनान से साबरपुर जाने वाली सड़क के मध्य में श्री राम सवारें पुत्र स्व0 श्री भोलई, ग्राम-बुकनापुर, तहसील-मनकापुर, जनपद गोण्डा द्वारा चक नाली पर मकान अवैध रूप से बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन निर्माता के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पशुओं से सम्बन्धित बीमारियों को रोकने हेतु पशु जैविक औषधि संस्थानों में बनाई जाने वाली वैक्सीन की गुणवत्ता बनाये रखने के उपाय

9-श्री योगेन्द्र सागर-

क्या पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रतिवर्ष हजारों पशु मुहपका, खुरपका, पोकनी, गलाघोंटू आदि बीमारियों से मर जाते हैं, जबकि पशु जैविक औषधि संस्थानों में इन बीमारियों को रोकने के लिये वैक्सीन बनाई जाती है ? क्या उक्त वैक्सीन को उचित तापमान पर रखे जाने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या मा0 मंत्री जी उक्त वैक्सीनों की गुणवत्ता बनाये रखने के कोई उपाय करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

प्रदेश में खुरपका-मुंहपका पोकनी, गलाघोंटू बीमारियों से मरने वाले पशुओं की संख्या लगभग नगण्य है। खुरपका-मुंहपका वैक्सीन पशु जैविक औषधि संस्थान, लखनऊ में नहीं बनायी जाती है। पोकनी रोग का उन्मूलन हो चुका है फिर भी भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वैक्सीन की पांच लाख डोजेज पशु जैविक औषधि संस्थान में बनाकर सुरक्षित रख ली जाती हैं। गलाघोंटू रोग की वैक्सीन का उत्पादन पशु जैविक औषधि संस्थान, लखनऊ में पर्याप्त मात्रा में प्रतिवर्ष किया जाता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील बबेरू आदि में तहसीलवार प्राप्त शिकायती-पत्रों के निस्तारण की जानकारी

10-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की प्रत्येक तहसील में प्रत्येक मंगलवार को तहसील दिवस लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो जनपद बांदा के तहसील-बांदा, बबेरू, अतर्रा, नरैनी में मई, जून, 07 में प्रत्येक मंगलवार को तहसीलवार कितनी शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा अब तक कुल कितनी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया तथा कितनी शिकायतें शेष हैं ? शेष शिकायतों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

तहसील का नाम	माह	प्राप्त शिकायतें	निस्तारित शिकायतें	अवशेष
बांदा	मई, जून, 07	278	240	38
बबेरू	मई, जून, 07	620	567	53
अतर्रा	मई, जून, 07	357	342	15
नरैनी	मई, जून, 07	540	513	27
	योग :	1795	1662	133

शीघ्र कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में श्री अमिताभ बच्चन के फर्जी भूमि आवंटन एवं अभिलेखों में हेराफेरी की जांच सम्बन्धी कार्यवाही

11-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिने अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन को जनपद बाराबंकी में फर्जी भूमि आवंटन एवं अभिलेखों में हेराफेरी की कोई जांच कराई जा रही है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में क्या अब तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण में आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से जांच करायी गयी।

जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। इसी मध्य जिलाधिकारी, बाराबंकी के आदेश दिनांक 24-4-2006 के विरुद्ध अपर आयुक्त (प्रशासन) फैजाबाद मण्डल के समक्ष दाखिल निगरानी में अपर आयुक्त (प्रशासन) फैजाबाद मण्डल के आदेश दिनांक 1-6-2007 द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी के उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय में याची श्री अमिताभ बच्चन की ओर से दाखिल रिट याचिका सं0-2844/2007 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-6-07 द्वारा अपर आयुक्त (प्रशासन) फैजाबाद के उक्त आदेश को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8-6-2007 का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ में सिलिका सैण्ड आधारित उद्योग लगाने पर विचार

12-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बारा, जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ में सिलिका सैण्ड का सबसे बड़ा क्षेत्र है ? क्या सरकार वहां सिलिका सैण्ड पर आधारित उद्योग लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती)-

जी हां।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा में तहसील दिवस में प्राप्त आवेदन-पत्रों के निस्तारण की जानकारी

13-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील इटवा, जनपद-सिद्धार्थनगर में 29 मई, 2007 को तहसील दिवस पर अधिकारियों को कुल कितने आवेदन जनता से प्राप्त हुए और उसमें अब तक कितने का निस्तारण किया जा चुका है ? क्या इसमें ग्राम सिहुनिया विकास खण्ड खोनियांव के एक बकरोड के पैमाइस का आवेदन किया गया था ? यदि हां, तो क्या इसकी पैमाइस करके आवेदन-पत्र का निस्तारण किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील इटवा में तहसील दिवस में दिनांक 29-5-2007 को कुल 62 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 45 आवेदन-पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है।

जी हां।

जी हां।

दिनांक 11-6-2007 को पैमाइश कर निस्तारण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के होटल कपिलवस्तु इण्टरनेशनल से बकाये धन की वसूली की जानकारी

14-श्री मदन चौहान-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2006 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-34 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होटल कपिलवस्तु इण्टरनेशनल बस्ती के स्वामी द्वारा "एक मुश्त समझौता" दिनांक 07-12-2005 की अपेक्षानुसार बकाया धनराशि

सितम्बर, 2006 को जमा करा दी गई है ? यदि हां, तो बकाया कितनी धनराशि जमा की गई है ? यदि नहीं, तो इकाई के स्वामी द्वारा "एक मुश्त समझौता" का उल्लंघन बार-बार किये जाने के कारण सरकार द्वारा ब्याज के रूप में माफ की गई धनराशि को मूलधन सहित वसूलने के लिये सरकार क्या कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

इकाई के स्वामी के अनुरोध पर निगम के देयों के भुगतान के लिये दिनांक 07-12-05 की बैठक में एक मुश्त योजना का प्रस्ताव रु0 3.25 लाख में स्वीकृत किया गया था। इकाई के स्वामी द्वारा रु0 3.25 लाख एवं उस पर देय समस्त ब्याज का भुगतान निगम में जमा कर दिया गया है तथा निगम द्वारा अदेय-पत्र भी इकाई के स्वामी को दिया जा चुका है। समस्त मूलधन मय ब्याज के निगम द्वारा वसूल किया जा चुका है अतः कोई कार्यवाही करना अब उचित एवं नियमानुसार नहीं होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 सदस्य विधान सभा श्री कौशल किशोर द्वारा दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

15-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना संयुक्त सचिव, राजस्व द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक दिये जाने विषयक श्री कौशल किशोर, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 3094/एम0 एस0/आर0 टी0 आई0/07, दिनांक 30-3-2007 द्वारा सचिव, राजस्व विभाग को प्राप्त पत्र में इंगित बिन्दुओं के क्रम में दिये गये उत्तर से सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

श्री कौशल किशोर, तत्कालीन मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 30 मार्च, 2007 के संदर्भ में उन्हें अधोलिखित जानकारी दी गयी थी :--

"राजस्व न्यायालय विभिन्न विधानों तथा न्यायालयों के निर्णयों के अनुरूप कार्य करते हैं। उप जिलाधिकारी के निर्णय में उन व्यवस्थाओं का उल्लेख है जिनमें यह उल्लिखित है कि जाली प्रविष्टियों को बिना सुनवाई का अवसर दिये हुए भी निरस्त किया जा सकता है।"

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-कौशाम्बी की तहसील मंझनपुर में तालाब पर बने अवैध कब्जे के आवास को हटाने की मांग

16-श्री उदयभान करवरिया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की [illegible]ग कि जनपद-कौशाम्बी के विकास खण्ड मंझनपुर अन्तर्गत तालाब संख्या 1610 एवं 1[illegible]रारी बस स्टैण्ड के पास) को पाटकर उस पर अवैध

कब्जा करके आवास बना लिया गया है ? क्या सरकार उक्त तालाब से अवैध कब्जा हटाकर वास्तविक रूप में लायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम व परगना करारी, तहसील गंजनपुर, विकास खण्ड गंजनपुर, जनपद कौशाम्बी में स्थित गाटा संख्या-(तालाब) 1610 एवं 1618 (केरारी बस स्टैण्ड के पास) पर वर्तमान नक्शे के आधार पर उक्त तालाबों का रकबा बन्दोबस्ती रकबा से कम है भू0 राज0 अधि0 की धारा 28 के अन्तर्गत नक्शा संशोधन हेतु वाद सं0-79 योजित है जिसमें अगली तिथि 12-7-2007 नियत है। गाटा संख्या-1610 के सम्बन्ध में कार्यालय तहसीलदार वाद सं0-33/290 अन्तर्गत धारा 122 बी ज0दि0 अधिनियम गांव सभा बनाम हरिमोहन आदेश दिनांक 10-1-06 के विरुद्ध सरकार की ओर से निगरानी सं0-19/2007 योजित है जिसमें अगली तिथि 09-07-2007 नियत है। दोनों मामलों में विस्तारण के पश्चात् मौके का सर्वेक्षण कराये जाने पर ही वास्तविक स्थिति की जानकारी हो पायेगी।

जनपद-इलाहाबाद के ग्राम पहाड़ी में कृषि हेतु भूमि का पट्टा पात्र व्यक्तियों को दिये जाने की मांग

17-श्री उदयभान करवरिया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बारा के ग्राम पहाड़ी, वि0खं0 शंकरगढ़, जनपद इलाहाबाद की भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 8-12-04 को प्रस्तावित कृषि आवंटन हेतु कुल 40 व्यक्तियों को क्षेत्रफल 8-239 हे0 का पट्टा प्रस्तावित किया था जिसे तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 29-02-05 को अनुमोदित किया गया था ? क्या उक्त पट्टा पात्र व्यक्तियों को आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो उन्हें कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

मौजा पहाड़ी कलां, परगना व तहसील बारा की भू0प्र0स0 ने दिनांक 8-12-2004 को 40 व्यक्तियों के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया, जिसे सचिव/लेखपाल ने दिनांक 27-12-2004 को पत्रावली क्षेत्रीय नायब तहसीलदार को जांच हेतु प्रेषित किया। नायब तहसीलदार ने स्थलीय जांच करके अपनी आख्या 8-9-2005 को तहसीलदार बारा को प्रेषित किया, जिस पर कोई अनुमोदन उप जिलाधिकारी का नहीं है।

जी नहीं।

उक्त प्रकरण की शिकायत आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के समक्ष होने पर शिकायत की जांच की गयी। जांच आख्या का परीक्षण करके मण्डलायुक्त, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 8-12-2006 के अन्तर्गत उनके कार्यालय पत्रांक 1117/12-ए-1-2006, दिनांक 12-2-2007 द्वारा मुख्य राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद को यह निर्देश निर्गत किये गये कि उप

जिलाधिकारी, बारा पुनः नये सिरे से गांव सभा में उपलब्ध भूमि का आवंटन नियमानुसार पात्र व्यक्तियों में करायें। तत्क्रम में उप जिलाधिकारी, बारा को पत्रांक 96/एसटी/एलआर-07, दिनांक 14-02-2007 के माध्यम से पुनः नियमानुसार आवंटन करने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

जनपद-बाराबंकी हैदरगढ़ की ग्राम पंचायत रीठी सिकन्दरपुर के तालाब पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

18-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी हैदरगढ़ की ग्राम पंचायत रीठी, सिकन्दरपुर में खाता सं0 238, खसरा संख्या 39 जो राजस्व अभिलेखों में जलाशय के रूप में दर्ज है, को ग्राम प्रधान द्वारा पटवाकर स्वरूप परिवर्तित करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम प्रधान रीठी सिकन्दरपुर द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया बल्कि उनके पति श्री हरिदास पुत्र देवी दयाल द्वारा तालाब के 0.025 पर मिट्टी पटवाकर स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया है।

अतिक्रमण के लिये दोषी श्री हरिदास पुत्र देवीदयाल के विरुद्ध ज0वि0अ0 की धारा 122 बी (नियम-115 सी) के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार पर वाद विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना सं0 7 सेक्टर आई की ग्राम भदरुख की 50 बीघा भूमि के पुनर्ग्रहण की जानकारी

19-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में [illegible]ांक 12-5-2006 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर [illegible]ना संख्या-7 सेक्टर आई के अन्तर्गत ग्राम भदरुख की 50 बीघा ग्राम सभा की भूमि क[illegible] का प्रस्ताव राजस्व विभाग में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब एवं उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तत्कालीन मा0 राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 12-5-2006 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना संख्या-7 सेक्टर आई के अन्तर्गत ग्राम भदरुख की 50 बीघा ग्राम सभा की भूमि के पुनर्ग्रहण प्रस्ताव राजस्व विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के किसानों को आर्थिक सहायता देने पर विचार

20-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आगरा में दिनांक 11-12 फरवरी, 2007 को भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

कृषि निवेश अनुदान में रु0 13,58,35,000/- (रुपये तेरह करोड़ अट्ठावन लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा मण्डल में आलू किसानों से अधिकृत एजेन्टों द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में जानकारी

21-डा0 अनिल चौधरी-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति ऐक्ट की भावना के विपरीत अनधिकृत एजेन्टों द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली की जा रही है ? आगरा मण्डल के आलू किसानों से अनाधिकृत एजेन्टों द्वारा सैया फतेहपुर सीकरी, मण्डी, चेक पोस्टों पर अवैध वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-हाथरस, तहसील-सादाबाद में हुई ओलावृष्टि से हुई तबाही से प्रभावित किसानों को राहत देने की मांग

22-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च, 2007 में सादाबाद तहसील जनपद हाथरस में हुई ओलावृष्टि से फसल की भयंकर तबाही हुई थी ? यदि हां, तो किसानों को

राहत देने के लिये सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

कृषि निवेश अनुदान मद में रु0 4,06,509/- (रुपये चार लाख छः हजार पांच सौ नौ मात्र) की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम नौडाढ़ में अपात्रों को राजमार्ग के किनारे व्यावसायिक भूमि का पट्टा करने सम्बन्धी शिकायती-पत्रों पर कृत कार्यवाही

23-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 राजस्व मंत्री, उ0प्र0, मण्डलायुक्त फैजाबाद, जिलाधिकारी सुल्तानपुर, मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर तथा उप जिलाधिकारी मुसाफिरखाना जनपद सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री इन्द्र प्रकाश, धर्मेन्द्र सिंह आदि निवासी गांव नौडाढ़ तहसील मुसाफिरखाना सुल्तानपुर का दिनांक 4-1-07 का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र तथा पत्र 10-10-06 दिनांक 20-11-06 को तहसील में प्राप्त कराया गया, जिसमें ग्राम नौडाढ़ में अपात्रों को राजमार्ग के किनारे व्यावसायिक भूमि पैसा लेकर पट्टा करने की गम्भीर शिकायतें हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी गयी, शिकायत निराधार पाई गई एवं आवंटी पात्र पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में वृद्धा पेंशन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की संख्या एवं शेष अभ्यर्थियों को लाभान्वित किये जाने की जानकारी

24-डा0 पी0 के0 राय-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तमकुही राज जनपद कुशीनगर में मार्च, 2007 तक वृद्धा पेंशन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है ? मार्च 2007 तक पेंशन हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा कितने आवेदन स्वीकृत किये गये और शेष आवेदन-पत्रों को कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

तहसील तमकुही राज, जनपद कुशीनगर में मार्च, 2007 तक वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की संख्या 9472 है।

मार्च, 2007 तक वृद्धावस्था पेंशन हेतु 5140 नये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 4591 आवेदन-पत्र स्वीकृत कर लाभान्वित कर दिये गये हैं तथा शेष 549 आवेदनकर्ता लाभार्थियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में लाभान्वित किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में गरीब लड़कियों के विवाह हेतु दिये जाने वाले अनुदान की जानकारी

25-डा0 पी0 के0 राय-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तमकुही राज जिला कुशीनगर में गरीब लड़कियों को विवाह अनुदान हेतु मार्च, 2007 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए इनमें से अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अन्य जातियों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मार्च, 2007 तक इनमें से किस वर्ग के कितने लोगों को इसका लाभ दिया गया तथा कितने शेष हैं ? शेष पात्रों को अनुदान कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह अनुदान हेतु मार्च, 2007 तक कुल 201 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें अनुसूचित जाति के 152, पिछड़ी जाति के 45 तथा सामान्य जाति के 04 आवेदन-पत्र थे।

तहसील तमकुहीराज के अन्तर्गत उक्त आवेदन-पत्रों में से अनुसूचित जाति के 43, पिछड़ी जाति के 14 तथा सामान्य जाति के 01 व्यक्ति को शादी अनुदान से लाभान्वित किया गया तथा अनुसूचित जाति के 109, पिछड़ा जाति के 31 एवं सामान्य जाति के 03 आवेदन-पत्र शेष रहे।

प्रश्नगत योजनान्तर्गत, वित्तीय वर्ष के अन्त में स्वीकृति हेतु शेष आवेदन-पत्रों पर अनुदान की अनुमन्यता समाप्त हो जाने के कारण इन पर कोई अनुदान प्रदान नहीं किया जा सकता है।

शासनादेश संख्या-1979/26-3-2000-1(188)/93-टी0सी0, दि0 06 जुलाई, 2000 में की गयी व्यवस्थानुसार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृति हेतु लम्बित प्रार्थना-पत्र निरस्त माने जायेंगे।

जनपद कुशीनगर की तमकुहीराज में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ दिये जाने की जानकारी

26-डा0 पी0 के0 राय-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तमकुही राज जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत मार्च, 2007 तक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं इनमें से कितनों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है तथा कितने शेष हैं ? शेष पात्रों को भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

तहसील तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत मार्च, 2007 तक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत कुल 180 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 97 पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। 30 आवेदक अपात्र पाये गये। 53 पात्र आवेदक लाभ पाने हेतु अवशेष हैं।

वित्तीय वर्ष 2006-07 को इस योजना की अवशेष धनराशि रु0 2456.675 लाख चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण आहरित कर पी0एल0ए0 में रखी गयी जिसके आहरण की स्वीकृति दिनांक 20-6-07 को प्रदान कर दी गयी है। आहरण की कार्यवाही की जा रही है। पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित होते ही भुगतान हेतु धनराशि जनपद को प्रेषित कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दलहन उत्पादन के गिरते स्तर को बढ़ाने की योजना

27-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में दलहन उत्पादन का स्तर गिरता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार दलहन का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

केन्द्र पुरोनिधानित इन्टीग्रेटेड स्कीम आफ आयल सीड्स, आयलपॉम, पल्सेज एण्ड मेज (आइसोपॉम) योजनान्तर्गत दलहन उत्पादन बढ़ाने की योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में केन्द्र पुरोनिधानित आइसोपॉम योजनान्तर्गत दलहन विकास कार्यक्रम वर्ष 2003-04 से समस्त जनपदों में चलाया जा रहा है, जिसमें 75 प्रतिशत अंश भारत सरकार तथा

25 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का है। योजनान्तर्गत दलहन उत्पादन में वृद्धि हेतु विभिन्न कार्यमदों में कृषकों को अनुदान की सुविधा अनुमन्य करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 जुलाई, 2007 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत गोविन्द शुगर मिल ऐरा के जहरीले धुएं एवं जहरीले पानी द्वारा हो रहे प्रदूषण को रोकने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्रान्तर्गत मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति बहाल करने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री निर्मल कुमार वर्मा की सीतापुर के बिसवां क्षेत्रान्तर्गत नहरों से सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी एवं सीपेज से हजारों एकड़ भूमि में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री सलिल विश्नोई की मकान नं0 19/82 पटकापुर, कानपुर में जर्जर मकान गिर जाने के कारण तीन महिलाओं की मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में हैं श्री विश्नोई उपस्थित नहीं हैं।

पांचवीं सूचना श्री सुरेश्वर सिंह की घाघरा एवं सरयू नदी के बायें पार्श्व पर स्थित बेलहा-बेहरोली क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की थाना माधौटांडा, जनपद पीलीभीत के एस0 एच0 ओ0 एवं चौकी इंचार्ज द्वारा की जा रही उत्पीड़न की कार्यवाही रोकने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की वर्ष 2006-07 मे प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत की गयी 7 कि0मी0 सड़क योजना के अन्तर्गत झांसी में सड़कों का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत असेवित विकास खण्ड में महाविद्यालय की स्थापना कराने के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना श्री जोखूलाल यादव की इलाहाबाद के फूलपुर तहसील में शारदा सहायक खण्ड 30 के बारी रजवहे पर स्थित गांव हेमापुर की टूटी पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की कुशीनगर के सेवरही क्षेत्रान्तर्गत तहसील तमकुहीराज के बाढ़ विस्थापितों के नाम अपात्रों को दिये गये आवास निरस्त करने एवं पात्र बाढ़ विस्थापितों को इन्दिरा आवास आवंटित करने के सम्बन्ध में है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं।

1-श्री उदय राज

2-श्री अशोक कुमार कंसल।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

खीरी के धौरहरा क्षेत्रान्तर्गत गोविन्द शुगर मिल ऐरा के जहरीले धुएं एवं जहरीले पानी द्वारा हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद खीरी में तहसील धौरहरा के अन्तर्गत गोविन्द शुगर मिल ऐरा में धुआं निकलने वाली चिमनी मिल विस्तारीकरण के बाद भी बहुत छोटी है। धुआं से प्रदूषण के कारण ग्राम तम्मोली पुरवा, इशवारा, समरदा, अल्लीपुर, सुजावलपुर आदि ग्रामों में सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी है एवं संक्रामक बीमारी से ग्रसित हैं। अतः सरकार जांच कराकर प्रदूषण रोकने के और मिल के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं।

गोविन्द शुगर मिल, ऐरा, जनपद खीरी में मिल द्वारा निकल रहे गन्दे जहरीले पानी के कारण वहावरनाला, वहानाला व समैसानाला में जानवरों को नहलाने व पानी पीने के कारण मौतें हो रही हैं।

अतः जहरीले पानी द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिये जांच कराकर सरकार से कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्रान्तर्गत मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति बहाल करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल वारिस खां-

[अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सदन को यह बताना चाहता हूं कि जनपद-मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई मात्र दो तीन घण्टे होती हैं इस दौरान भी जर्जर हो चुके विद्युत तारों के टूट जाने से व बिजली घरों पर क्षमता से ज्यादा विद्युत भार होने पर लाइन ट्रिप होती रहती है। जिसके कारण क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी होती है। किसानों को समय से अपनी फसलों के

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिये पानी नहीं मिल पाता है, अतः फसलें सूख रही हैं। क्योंकि नलकूप नहीं चल पा रहे हैं। बिजलीघरों का क्षमता विस्तार व नये बिजलीघरों का निर्माण कराकर इस समस्या का समाधान करा जाये।

अतः इस अविलम्बनीय महत्व के विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

सीतापुर के बिसवां क्षेत्रान्तर्गत नहरों से सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी एवं सीपेज से हजारों एकड़ भूमि में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्मल कुमार वर्मा-

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा अन्तर्गत नहरों से किसान को पानी नहीं मिल पाता है तथा सीपेज से हजारों एकड़ भूमि जल भराव से कृषि योग्य नहीं रही है। लाखों किसान भूखों मरने की स्थिति में हैं।

अतः यदि सरकार कुछ कर रही है तो कब तथा जांच व उपाय की मांग करता हूं।]

घाघरा एवं सरयू नदी के बायें पार्श्व पर स्थित बेलहा-बेहरौली क्षतिग्रस्त तटबन्ध की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश्वर सिंह-

[मान्यवर, जनपद बहराइच से बहने वाली घाघरा एवं सरयू नदी के बायें पार्श्व पर स्थित बेलहा-बेहरौली तटबंध बाढ़ कार्य खण्ड गोण्डा के अन्तर्गत आते हैं के अधिशासी अभियन्ता ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में तटबंध की स्थिति अति संवेदनशील होना बताया है।

बाढ़ पुस्तिका 2007-08 के अनुसार इतने संवेदनशील बेलहा-बेहरौली तटबंध की पिछले वर्ष हुई क्षतिग्रस्त की मरम्मत इस कारण नहीं हुई क्योंकि शासन की ओर से धन नहीं उपलब्ध कराया गया जबकि स्वयं अधिशासी अभियन्ता के अनुसार यह कार्य आवश्यक है।

गत वर्ष किमी0 9.400 तटबंध कट गया अन्य दो जगहों पर रिसाव हुआ। चूंकि तटबंध दिन के समय कटा इसलिये कोई जनहानि नहीं हुई किन्तु हजारों हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई, कई गांव बह गये, इमामगंज शाखा (नहर) टूट गई, ब्लाक शिवपुर की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। उक्त तटबंध 95 किमी0 लम्बाई है और 238 राजस्व ग्राम इसके अन्तर्गत आते हैं। 1,44,000 हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होती है, अभी तक कटे हुए बांध को पूर्ण नहीं किया जा सका है, रिंग बांध के सहारे काम चलाया जा रहा है, जो बाढ़ के पहले झटके में ही टूट जायेगा।

बांध के किमी0 8.00 पर स्थित रेगुलेटर का फाटक अभी ठीक नहीं हो पाया है इसके साथ ही 0.450 एवं 16.00 पर स्लेप टाइप गेट लगाया जाना, यह सारे कार्य 15 जून के पहले

नोट :- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हो जाने थे। बाढ़ पुस्तिका के अनुसार बांध का की बोर्ड 1.80 मी0 होना चाहिए जबकि वर्तमान में फ्री बोर्ड 1.10 से 1.30 मी0 ही है जो मानक के अनुरूप नहीं है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

थाना माधौटांडा, जनपद पीलीभीत के एस0 एच0 ओ0 एवं चौकी इंचार्ज द्वारा की जा रही उत्पीड़न की कार्यवाही रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से थाना माधौटांडा जनपद पीलीभीत के एस0एच0ओ0 एवं चौकी इंचार्ज द्वारा की गयी उत्पीड़न की कार्यवाही की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

कस्बा कलीनगर, जनपद पीलीभीत, थाना माधवटांडा के अन्तर्गत संजय गुप्ता की 20 वर्ष पुरानी दुकान थी। इनके पिता पूर्व प्राचार्य एवं वर्तमान में प्रबन्धक, इण्टर कालेज कलीनगर एवं भाई राजीव गुप्ता एडवोकेट तथा बार अध्यक्ष हैं। दिनांक 17-6-2007 को थाना माधवटांडा, जिला पीलीभीत के एस0एच0ओ0, ए0 के0 वर्मा एवं चौकी इंचार्ज जे0 पी0 सिंह ने गुण्डों के साथ मिलकर इनकी दुकान का सारा सामान अकारण बाहर फेंक दिया गया और बहुत सा सामान लूट लिया गया। इस तरह से किये गये तांडव को देखकर क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। दुकान का फर्नीचर आज भी सड़कों पर पड़ा है। इसकी शिकायत एस0 पी0 पीलीभीत से भी की गयी परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस तरह से जनता की रक्षक से भक्षक बने पुलिस के खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही किया जाना आवश्यक है जिससे इस तरह की पुनरावृत्ति न हो।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

वर्ष 2006-2007 में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत की गयी 7 कि0मी0 सड़क योजना के अन्तर्गत झांसी में सड़कों का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री [illegible] जैन आदित्य-

[अध्यक्ष महोदय, बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत जनपद झांसी अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ जनपद है जहां पर विभिन्न प्रकार की समस्यायें सुरसा की तरह मुंह फैलाये खड़ी रहती हैं। यहां की भौगोलिक स्थिति इतनी प्रतिकूल है कि लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मार्गों की कमी के कारण लोगों का आवागमन बाधित रहता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष 2006-07 में प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जनहित को ध्यान में रखते हुए सात-सात किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की गयीं किन्तु एक लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है जिससे लोगों की आवागमन की समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। मार्गों के अभाव में लोग अपने गंतव्य तक समय से आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। अतः स्वीकृत मार्गों का कार्य अभी तक काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्रारम्भ न होने से जहां लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है वहीं लोग चिंतित भी हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत असेवित विकास खण्ड में महाविद्यालय की स्थापना कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बैजनाथ दुबे-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में कोई महाविद्यालय न होने के कारण इण्टरमीडिएट पास छात्र-छात्राओं को करीब 50 कि0मी0 की दूरी तय करके शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है। बहुत से गरीब बच्चे जो आवागमन के लिए पैसा खर्च करके नहीं पढ़ सकते हैं, वह इण्टरमीडिएट पास करके घर पर बैठ जाते हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूर्व में किसान डिग्री कालेज ने विज्ञापन निकलने के आधार पर आवेदन किया था जिसकी पत्रावली विभाग में औपचारिकताएं पूर्ण होकर लम्बित हैं। इण्टरमीडिएट पास छात्र बार-बार डिग्री कालेज की स्थापना हेतु धरना-प्रदर्शन स्थानीय स्तर पर करते चले आ रहे हैं। लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 सदन में असेवित बस्ती में महाविद्यालय की स्थापना हेतु सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद के फूलपुर तहसील में शारदा सहायक खण्ड 30 के वारी रजबाहे पर स्थित गांव हेमापुर की टूटी पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव-

[अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इलाहाबाद के तहसील फूलपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड 30 के वारी रजबाहा पर स्थित गांव हेमापुर की पुलिया टूट गयी है जिससे ढोकरी से राजेपुर मार्ग का आवागमन बाधित है पुलिया टूट जाने के कारण आम जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है इस पुलिया के टूट जाने से क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ऐसी गम्भीर समस्या से निदान हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

कुशीनगर के सेवरही क्षेत्रान्तर्गत तहसील तमकुहीराज के बाढ़ विस्थापितों के नाम अपात्र व्यक्तियों को दिये गये आवास निरस्त करने एवं पात्र बाढ़ विस्थापितों को इन्दिरा आवास आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 पी0 के0 राय-

[अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सेवरही, तहसील तमकुहीराज के दर्जनों गांव बड़ी गण्डक नदी में आयी बाढ़ के कारण विलीन हो गये। इन गांवों के विस्थापितों को सरकार ने आवासीय पट्टा देकर बसने का कार्य किया। ग्राम कोकील पट्टी विकास खण्ड दुदही में वर्ष 2002 में बाढ़ विस्थापित भारी संख्या में आकर बसे हैं। तत्कालीन सरकार ने मेरी मांग पर दैवीय आपदा की श्रेणी में रखते हुए इन्दिरा आवास आवंटन का निर्णय लिया, लेकिन ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित कर्मचारियों के मिली भगत से अपात्रों को इन्दिरा आवास आवंटित कर दिये गये हैं। विस्थापित बाढ़ प्रभावित वंचित रहे जिनके द्वारा अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करने पर उप जिलाधिकारी, तमकुहीराज को जांच सौंपी गयी। जांच पूरी हो जाने के बावजूद अभी तक पात्र बाढ़ विस्थापितों को इन्दिरा आवास आवंटित करने की कार्यवाही नहीं की गयी और न ही अपात्रों से रिकवरी की गयी।

शासन से मांग है कि जांच के अनुसार बाढ़ विस्थापितों के नाम पर अपात्रों को दिये गये आवास निरस्त किये जायें और पात्र बाढ़ विस्थापितों को इन्दिरा आवास आवंटित किये जायें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 5 जुलाई, 2007 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई जनका विवरण निम्न प्रकार है :--

पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की है जो दिनांक 4-7-2007 को सदन अव्यवस्थित होने के कारण तारांकित प्रश्न संख्या-3, जो गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में था, पर अनुपूरक प्रश्नोत्तर न हो पाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सतीश महाना की दिनांक 04-07-2007 को सदन अव्यवस्थित होने के कारण तारांकित प्रश्न संख्या-6, जो प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के सम्बन्ध में था, पर अनुपूरक प्रश्नोत्तर न हो पाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की विधान सभा की समितियों का गठन न किये जाने के सम्बन्ध में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 4-7-2007 को सदन अव्यवस्थित होने के कारण तारांकित प्रश्न संख्या-3 जो गन्ना के भुगतान के सम्बन्ध में था, पर अनुपूरक प्रश्नोत्तर से सदस्यों के वंचित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपका कि संसदीय कार्य मंत्री जी के हंसने के बावजूद भी आपने अनुमति दे दी बोलने की क्योंकि वह शुरू से ही अपने मजाक के मूड में थे इस प्रश्न को लेकर लेकिन मैंने बता दिया था कि किन परिस्थितियों में यह प्रश्न उठाया जा रहा है। मान्यवर, औचित्य का प्रश्न भी कभी-कभी तकनीकी रूप से भले सही नहीं है लेकिन अगर जनता के पक्ष में है जनभावना को भी व्यक्त करता है, करोड़ों किसानों से दिलचस्पी रखता है तो इसको उठाने में कोई बात नहीं है इसमें इतना आप सरकास्टिक रिप्लाई मत कीजिए। प्रश्न मेरा था माननीय गन्ना मंत्री जी देखेंगे कि सरकार गन्ना पेराई सत्र 2006-07 में चीनी मिलों को कृषकों द्वारा आपूर्ति किये गन्ने के बकाये का ब्याज सहित, यह 2006-07 के सत्र में जो चीनी मिलों को कृषकों के द्वारा आपूर्ति किया गया गन्ना और आपने उत्तर दिया है निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का। मेरा प्रश्न था सम्पूर्ण हमारी जितनी चीनी मिले हैं उनके सम्बन्ध में और आपने उसे सीमित कर दिया निजी तक। जो सार्वजनिक क्षेत्र में है सहकारी मिले हैं उनके बारे में उत्तर आना चाहिए था जब मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो आगे मैं क्या अपेक्षा करूं। एक तो मेरी शिकायत यह है, दूसरा है कि दो शब्द इस्तेमाल किये हैं अनिवार्यता और अद्यावधिक ब्याज सहित भुगतान किये जाने के निर्देश दे दिया गया है। मैं इसका अर्थ यह समझूं कि विधिक कानूनी ब्याज मिलेगा और कानूनी स्थिति यह है कि भुगतान में 15 दिन या उससे अधिक का विलम्ब हो, अगर 15 दिन से अधिक गन्ना भुगतान में विलम्ब हो तो ब्याज सहित देय होगा और इसी स्थिति को माननीय उच्च न्यायालय ने बार-बार इस पर बल दिया है और उन्होंने भी निर्देश दिया है कि जहां 15 दिन से अधिक का विलम्ब हो भुगतान देने में तो ब्याज सहित दिया जायेगा। क्या मैं इसका अर्थ यह निकालूं कि जो आपने लिखा है मूल उत्तर में यह हिन्दी का इतना क्लिष्ट शब्द आ गया इसका एक स्पष्ट स्थिति हो जाय कि क्या विधिक का आपका मतलब इसी बात से है कि 15 दिन से अधिक का विलम्ब, जो कानूनी स्थिति आज है वहां पर किसानों को ब्याज दिया जायेगा और जो उच्च न्यायालय का निर्णय है उसके अनुरूप 15 दिन से अधिक वाले भुगतान पर दिया जायेगा। क्योंकि एक बार तो भुगतान तो बीच-बीच में भी होता रहेगा तो बीच-बीच में भुगतान होगा तो उस भुगतान पर ब्याज दिया नहीं दिया जायेगा इसमें यह विधिक प्रश्न उठता है इसलिए औचित्य का प्रश्न बनता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो यह नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के रूप में यह सूचना डाली है, जो भी माननीय सदस्य चाह रहे थे वह हमने उत्तर में स्पष्ट किया है, 15 जुलाई की बात कही है, 31 जुलाई की बात कही है हमने 31 अगस्त के जवाब में उत्तर दिया है कि 31 अगस्त तक भुगतान कराने के आदेश दे दिये गये हैं और जो आपकी जिज्ञासा है कि सहकारी चीनी मिलें और निगम की चीनी मिलें उनके बारे में उत्तर नहीं दिया गया है तो जो निर्देश निजी चीनी मिलों को दिये गये हैं वही निर्देश सहकारी और निगम की चीनी मिलों को भी दिये गये हैं। आपने माननीय उच्च न्यायालय की बात कही है। उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन यह सरकार अक्षरशः करेगी। जहां तक गन्ना किसानों के भुगतान के लिए जितना यह चिन्तित हैं उससे कहीं ज्यादा प्रदेश की मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी भी चिन्तित हैं और समय-समय पर वह प्रतिदिन इस सम्बन्ध में मुझसे जानकारी लेती हैं अधिकारियों से समीक्षा करती हैं। आप भी किसान हैं मैं भी किसान हूं। जितनी चिन्ता आपकी है उतनी हमारी भी है। आखिर यह दिक्कत क्यों आ रही है, यह समस्या कहां से खड़ी हुई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर मैं कहने लगूं कि आपकी भी सरकार रही, आपने कितनी बार ब्याज दिया तो यह तो कोई बात नहीं है लेकिन जो चीज आपने नहीं किया और हमसे कह रहे हैं करने के लिए , तो जो भी माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश होगा, आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे और मैं स्वयं प्रोग्राम बना रहा हूं और मेरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के जो भी ऐसे इलाके हैं, जहां पर गन्ना ज्यादा उत्पाद किया जाता है, गन्ने का उत्पादन अधिक है, मैं स्वयं वहां जाकर के क्षेत्रीय स्तर पर भी देखूंगा। यह सरकार गम्भीर है और एक-एक पैसा किसानों का भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध है और माननीया मुख्य मंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि गन्ना किसानों का जो उचित भुगतान हो और जैसा आपने समयबद्ध करने के बारे में कहा तो मैं बताना चाहूंगा कि शेड्यूल बनाया गया है और आपने यह भी पूछा है कि शेड्यूल के तहत जो नहीं करेंगे, इसको हम दिखवा लेते हैं। आपने माननीय उच्च न्यायालय का हवाला दिया है, यदि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में इस बात का जिक्र होगा तो हम उसका भी पालन करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

एक तो जो भुगतान का शेड्यूल आपने बनाया उसकी जानकारी सदन को हो जाय तो इससे स्पष्ट हो जायेगी बात। दूसरी जो विधि वाली बात बताई, दोनों बातें उसमें हैं। जो एक्ट में दिया हुआ है, वह भी विधि है और जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है वह भी विधि है। एक्ट में भी तो प्रावधान यह है कि 15 दिन से ज्यादा का विलम्ब होगा, वहां मय ब्याज के भुगतान होगा, यह दोनों बात आप कह दें।

श्री अध्यक्ष-

वह तो आ गया। कह दिया कि माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा, उसका पालन करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

लेकिन यह नहीं आया शेड्यूल नहीं आया, यह किसानों को पता लग जायेगा कि यह शेड्यूल है भुगतान का। 15 दिन में होगा कि 10 दिन में होगा।

श्री अध्यक्ष-

शेड्यूल बना रहे हैं, तब बता देंगे।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सभी मिलाकर 133 चीनी मिले हैं। एक-एक चीनी मिल का शेड्यूल, जो माननीय सदस्य चाहेंगे, मैं अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय हुकुम सिंह जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

दिनांक 4-2-2007 को सदन अव्यवस्थित होने के कारण तारांकित प्रश्न संख्या-6 जो प्रदेश की बढ़ती हुई मंहगाई रोकने के सम्बन्ध में था, पर अनुपूरक प्रश्नोत्तर न हो पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सर्ताश महाना-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने कृपापूर्वक लोक महत्व के इस प्रश्न के ऊपर आज नियम 300 में सुनने के लिए स्वीकार किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया था। प्रश्न और उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है यदि नहीं तो क्यों ? मान्यवर, इसका उत्तर आप देखिये, सरकार द्वारा किस बेरहमी से दिया गया है। मैंने पूछा कि क्या कार्ययोजना बनाई गई है, इसमें उत्तर आया है कि बढ़ती हुई मंहगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये जाते हैं, इसके लिए अलग से कोई नीति बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, नीति के बारे में मैंने पूछा नहीं। पहली बात तो यह कि हर तरह की मंहगाई को रोकने के लिए कोई नीति नहीं होगी, कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये जायेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अभी पिछले 2-3 महीने पहले चुनाव हुए उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मंहगाई का था। आम आदमी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंहगाई के कारण दबा जा रहा है मंहगाई के सम्बन्ध में इसी सदन में जब यह सम्मानित सदस्य यहां पर बैठे हुए थे, इसके ऊपर कई बार विस्तार से चर्चा हुई। मान्यवर, हमारी जानकारी में है, वैसे अखबारों का संज्ञान आप यहां पर नहीं लेते। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सारे समाचार पत्रों में इस बात को प्रमुखता से छापा जा रहा है कि मल्टी नेशनल कम्पनीज किसानों से गेहूं खरीद रही है। मान्यवर, जिस समय गेहूं का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा तय किया जाता है, पिछले सदन में भी इस सरकार द्वारा इस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई कि जो केन्द्र के द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया गया है, वह कम है और विदेशों से जो गेहूं आयात किया जा रहा है, उसका कहीं अधिक मूल्य दिया जाता है। पिछले सीजन में भी हमने देखा कि गेहूं 12, 13, 14 रुपये किलो तक बिका। मान्यवर, मल्टी नेशनल कम्पनीज द्वारा किसान की मजबूरी देखकर, उसको पैसा दिखाकर गेहूं खरीद लिया जायेगा तो किसान को उसका पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा और मंहगाई की सीधी मार आम जनमानस पर पड़ेगी कि आने वाले समय में गेहूं 14 रुपये 15 रुपये और 16 रुपये में बिकेगा। अगर मान्यवर, गेहूं इस रेट पर बिकेगा तो उपभोक्ता तक गेहूं पहुंचने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, इसके लिए कोई नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है और शासन द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं। मान्यवर, अगर कदम उठाये जाते तो पिछले 15 दिन के अन्दर दालों के दाम मसूर के दाम, उड़द के दाम, अरहर के दाम, तेल के दाम कैसे बढ़ जाते ? मान्यवर, देश का जो स्वरूप है वह केवल बड़े लोगों तक नहीं है आम आदमी तक भी सुविधायें पहुंचनी चाहिये जब तक आम आदमी को देखकर नीति नहीं बनाई जायेगी तब तक देश समृद्धशाली नहीं हो सकता, इसलिए मान्यवर, मंहगाई जैसे गम्भीर मुद्दे पर चार लाइन का उत्तर दे देना ठीक नहीं है। आपने भी इस प्रश्न को देखा था और कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपने इसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए ही इसे स्वीकार किया है। मंहगाई जो सुरसा की तरह मुंह फैलाये खड़ी है, इस पर केन्द्र सरकार चिन्ता कर रही है या नहीं यह अलग बिन्दु है लेकिन प्रदेश सरकार की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए क्या इसके लिए कोई कार्ययोजना बनाई गई है ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में इसकी जानकारी दे दें और इसकी चिन्ता करें ताकि आम आदमी इस मंहगाई से प्रभावित न हो। मैं इस पर विस्तृत जवाब माननीय मंत्री जी से चाहूंगा। कृपया विस्तृत जवाब दें।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, एक दिन प्रश्न के रूप में आयेगा और दूसरे दिन नियम-300 में आयेगा, यह उचित नहीं है, यह कतई नियम 300 में नहीं आता। जहां तक माननीय हुकुम सिंह जी के प्रश्न का सवाल था उसमें आपके द्वारा कुछ इस तरह के निर्देश दे दिये गये थे और उसके कारण आपने ले लिया। लेकिन प्रश्न का जो उत्तर आना था, सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है, जो सम्बन्धित सूचना होती है विभाग द्वारा दे दी जाती है। अब उसे पुनः नियम

300 के माध्यम से लाया जाए तो यह उचित नहीं है। नियम 300 में चर्चा नहीं की जा सकती, इस पर चर्चा का विषय नहीं उठाया जा सकता इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे आप अग्राह्य करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, नियम 300 में नहीं आता, इसे मैं मानता हूं लेकिन अध्यक्ष जी नियम 300 में कौन सी सूचना ग्राह्य हुई, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। नियम 300, 56 और 311 भी अग्राह्य कर दिये जाते हैं इसमें से किसी भी सूचना को आपने ग्राह्य किया हो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मान्यवर, मंहगाई बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर अग्राह्यता के अलावा अपने मन से ग्राह्य करके कुछ जवाब दे दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चर्चा का जहां तक सवाल है, बजट सत्र चल रहा है इस बात को सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि वह उसमें कटौती प्रस्तुत करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा होगी और उस समय इन सारे बिन्दुओं को उठाने का अवसर मिलेगा लेकिन मान्यवर, नियम 300 की कुछ मर्यादा होनी चाहिये कि किन बिन्दुओं को इसमें उठाना चाहिये। आप इसे पढ़ लें और किसी कोंण से थोड़ी सी सीमा में भी लाने का प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि यह सूचना कहीं से भी नियम 300 में नहीं आती। चर्चा का पूरा पर्याप्त अवसर है, 09 जुलाई से अनुदान मांगे प्रस्तुत हो रही हैं और 09 जुलाई के बाद जिस दिन यह विषय आयेगा, उस दिन कृषि मंत्री भी रहेंगे, वह पूरी तैयारी के साथ आयेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि महाना जी विद्वान सदस्य हैं, आपके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न नियम 300 में लाना कदाचित उचित प्रतीत नहीं होता।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नियम 300 को अच्छी तरह से समझ लिया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री सतीश महाना व संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह विषय नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इसे अग्राह्य करता हूं।

विधान सभा में समितियों का गठन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-300 को पढ़ रहा हूं उसके हिसाब से यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत आती है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी इसको पढ़ लें। इसमें यह दिया है कि 'प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय-समय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो, विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिए सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायेंगी या अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित होंगी' सदन की कार्यवाही या सदन का गठन या सदन की पूर्णता या सदन के कार्यों का निर्वचन तभी सम्भव है जब यहां पर होने वाली कार्यवाही, कहीं न कहीं उसकी ऐसी समितियां बने जो इन कार्यवाहियों से उत्पन्न स्थितियों पर विचार कर सके। कोई सम्मानित मंत्री जी ने आश्वासन दिया, वह आश्वासन बनता है या नहीं बनता है इसका निर्धारण आश्वासन समिति करेगी। इसी तरह से कार्य-मंत्रणा समिति है इसका पूरा अधिकार आपको है, कार्य-मंत्रणा समिति में हम सब सुझाव देते हैं। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी समितियां हैं जिनका समय-समय पर गठन होता है। मैं यह मानता हूं कि हम लोगों में कमी हो सकती है कि हमारे यहां से नाम न गये हों। इन समितियों को पूर्णता के बाद ही संसदीय प्रणाली पूरी होती है। कुछ समितियों का गठन नहीं हो पाया है। सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो चुका है और एक सत्र समाप्त हो चुका है, बजट सत्र जो सबसे बड़ा सत्र होता है, चल रहा है। तो मेरा इस नियम में लाने का मकसद सिर्फ सहयोग करना है और स्मरण दिलाना है कि इन समितियों का गठन यथाशीघ्र हो जाये। मैं मानता हूं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि यह औचित्य का प्रश्न बनता है। अगर औचित्य का प्रश्न है तो समितियों का गठन होना चाहिये। इस पर सिर्फ इतने से चल जायेगा, इतने से ही मेरा प्रयोजन हल हो जायेगा और शीघ्रता के लिए निर्देश दे दें।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, समितियों के गठन हेतु 02 जुलाई, 2007 को सदन में प्रस्ताव आया था और उसमें आपको प्राधिकृत किया जा चुका है। जब आपको प्राधिकृत किया जा चुका है तो फिर आज इस प्रश्न को उठाने का औचित्य कहां से आ गया ? आपको प्राधिकृत किया जा चुका है, इसका गठन हो जायेगा, 02 जुलाई, 2007 को प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है और आज 5 जुलाई है। इसलिए इस प्रश्न को उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। चूंकि समितियों के गठन के लिए 02 जुलाई, 2007 को मा0 अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया है। यह विषय नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, अतः इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप अग्राह्य कर दें लेकिन औचित्य का प्रश्न बनता है। मेरा कहना है कि प्रक्रिया पूर्ण नहीं है, औचित्य तो बन जायेगा। मैं इस पर बल नहीं देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अम्बिका चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी और प्रमोद तिवारी जी एक दूसरे की आधी-आधी बात मानते हैं और आधी-आधी बात नहीं मानते हैं, यानी मानकर भी नहीं मानते हैं और नहीं मानकर भी मानना चाह रहे हैं। वहां कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। इनकी स्थिति बहुत गम्भीर है। वह इनको बेवफा कहना चाहते हैं ये उनको कहना चाहते हैं।

इनकी स्थिति गम्भीर है।

मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता।

कहा जाता है लेकिन बेवफा समझा नहीं जाता।।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं चौधरी साहब की पीड़ा समझता हूं। इनकी पीड़ा कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है। इनके बारे में अतृप्त आत्मा, अधूरी प्यास जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आइये सदन खड़ा होकर मौन करके हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि चौधरी साहब की आत्मा को शान्ति मिले और जो कुछ वह चाहते हों वह पूरा हो।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं आभारी हूं कि मेरी आत्मा की शान्ति के लिए प्रमोद तिवारी जी ने सदन से प्रार्थना की। यह सदन आज नहीं तो कल जो सदन के सदस्य होते हैं उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन जिनकी आत्मा सिर्फ चतुराई करने में समाप्त हो गई हो उनके लिए ऐसा प्रस्ताव आज नहीं करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चतुराई बुरी चीज नहीं है लेकिन चतुराई ऐसी न की जाए जो सबको पता लग जाय यह जिस तरह से बोल रहे हैं सब समझ रहे हैं कि इनकी नजर कहां पर है। मैं तो शुभ कामनाएं ही व्यक्त कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

चौधरी साहब के लिए प्रमोद तिवारी ने एक प्रस्ताव रखा है मैं उसी को पूर्ण कर रहा हूं।

मुहब्बत के लिए कुछ खास दिल मक सूद होते हैं।

यह वह नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता।

श्री प्रमोद तिवारी-

खन्ना साहब अगर शादी कर लेते तो एक बार तो यह नगमा गा ही लेते। आप शादी कर लें बाकी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर छोड़ दें। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग शादी के सारे प्रबन्ध समय से करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रमोद तिवारी जी, इसीलिए हाईकोर्ट के बड़े वकील नहीं बन पाये क्योंकि टाइम बार्ड के मामलों को लिमिटेशन के प्वाइंट पर लड़ते रहे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मुझे यह बिल्कुल जानकारी नहीं है कि यह टाइम बार्ड हो चुके हैं। मैं तो समझता था कि कुछ ज्ञान है।

श्री अम्बिका चौधरी-

विवाह खन्ना जी का होगा और मदद प्रमोद तिवारी जी करने के लिए तैयार हैं। इनके अलावा कौन ऐसा है जो ऐसा प्रस्ताव रखने की हिम्मत कर सके।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं सिर्फ इतनी मदद कर दूंगा कि किसको बुलाया जाय किसको न बुलाया जाय लेकिन अम्बिका चौधरी जी को बिल्कुल न बुलायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इस सारी बहस को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय ताकि आगे आने वाला इतिहास इतनी गन्दी बातें न पढ़े।

श्री प्रमोद तिवारी-

सोच गन्दी हो सकती है बात गन्दी नहीं होती।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जून, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 4 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जून, 2007 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 4 जुलाई, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 व मद संख्या-5 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 04 जुलाई, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 05 जुलाई, 2007 से 27 जुलाई, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 06 जुलाई, 2007 को नियम-300 के अन्तर्गत भी सूचनाएं न ली जायं।

2-दिनांक 27 जुलाई, 2007 को लिए जाने वाला कार्य दिनांक 25 जुलाई, 2007 को ले लिया जाय।

3-दिनांक 05 जुलाई, 2007 से दिनांक 27 जुलाई, 2007 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

जुलाई, 2007

---

05 गुरुवार — 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :--

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)।

(2) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)।

(4) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)।

2-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

06 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (अन्तिम दिन)।

07 शनिवार, 08 रविवार — बैठक नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2007

09 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-विधायी कार्य।
10 मंगलवार 11 बुधवार 12 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।
13 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2-विधायी कार्य (आधा दिन)।
14 शनिवार 15 रविवार	बैठक नहीं होगी।
16 सोमवार 17 मंगलवार 18 बुधवार 19 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।
20 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2-विधायी कार्य (आधा दिन)।
21 शनिवार 22 रविवार	बैठक नहीं होगी।
23 सोमवार 24 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।
25 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-3.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
26 गुरुवार 27 शुक्रवार	बैठक होगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन (निरसन) विधेयक, 2007†

खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अयोध्या प्रसाद पाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्रीड़ा संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 20-7-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्रीड़ा संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, संकल्प प्रस्तुत करें।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन करता है। मान्यवर, मैं.....

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रस्ताव आ जाए।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाए।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने काफी समझने का प्रयास किया, 13 मई, में सरकार की शपथ होती है और 13 मई के बाद सारे काम काज बन्द कर दिये गये।

श्री अध्यक्ष-

दूसरा प्रस्ताव जो मद संख्या-13 है इस पर संशोधन रख दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, अननुमोदन का तो मेरा तकनीकी प्रस्ताव है। सदन को आप जब आहूत करने वाले थे। सदन आने वाला था तो क्या ऐसी आपके पास कठिनाई आ गई कि तुरन्त आप अध्यादेश लाये और इसका निरसन करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए आपको अध्यादेश लाना पड़ा। आप प्रतीक्षा कर सकते थे कि सबके विचार आ जाएं सदन में और उनके विचार आने के बाद यह सदन पारित कर दे तब उसमें कार्यवाही हो लेकिन मेरे ख्याल से संसदीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परम्पराओं में विश्वास रखना शायद आपके लिए दूभर हो गया है। अध्यादेश लाओ और तुरन्त कार्यवाही करो। जब दस दिन बाद सदन होना था तब कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी जो अध्यादेश लाना पड़ा। जहां तक विधेयक का प्रश्न है मान्यवर, इसमें विधि आयोग बनाया था पुरानी सरकार ने हमने, सबकी जिज्ञासा थी इस बात के लिए कि इसका उद्देश्य क्या हैं इसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को दर्जा दे दिया जायेगा। पद दे दिये जायेंगे, कोठियां दे दी जायेंगी, गाड़ियां दे दी जायेंगी, संचित निधि पर उनका खर्चा कर दिया जायेगा या कुछ और ? तब बताया गया था नहीं, एक विधि आयोग की इसलिए आवश्यकता है एक अध्ययन किया जाए और जो कठिनाइयां आ रही हैं यहां पर उन कठिनाइयों को दूर किया जाय। सरकार के सामने एक विद्वान लोगों का परामर्श आ जाए, एक रिपोर्ट आ जाए, ताकि उस पर कार्यवाही हो। दूसरी सरकार आई। एक सरकार ने बनाया दूसरी ने आते ही पहला काम यह किया कि इसको समाप्त कर दिया जाए। यह कहा गया कि इसकी उपयोगिता नहीं है। बड़े दुःख की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है हमने अपने आप पर उपहास कर दिया। कोई उपयोगिता नहीं थी इस बात पर क्या आपने कोई अध्ययन किया ? एक सरकार ने जब गठन किया और गठन के पीछे उद्देश्य यह रखा कि विधि के मामले में ऐसे भी बहुत से कानून बने हुए हैं जिसकी आवश्यकता अब नहीं है। कानून मंत्रालय अपनी जगह है। लेकिन यह विधि आयोग तो केन्द्र सरकार में भी हैं कितना अच्छा काम वह कर रहा है कभी संविधान के बारे में परामर्श देता है कभी विभिन्न विधियों के बारे में परामर्श देता है। कभी इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि कौन सा कानून में संशोधन होना चाहिए। कौन से कानून बिल्कुल अप्रासंगिक हो गये, उनको समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए आयोग के गठन की आवश्यकता बताई गई थी अब आपने कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता को आपने कहा तो यह किस आधार पर कहा। आपने क्या कोई अध्ययन किया था ? आपके सामने कोई जानकारी इस बात की आई थी। आप काम तो करने देते एक साल-डेढ़ साल, दो साल और दो साल के बाद आपके सामने ऐसी स्थिति आती कि इसने कुछ करके दिखाया नहीं तो आप आयोग को समाप्त कर देते। हो सकता है आपको व्यक्ति विशेष से कोई शिकायत रहीं हो। अब तक जितने भी संकल्प या विधेयक आये हैं उसके पीछे जनहित का आशय कम है। अपने व्यक्तियों को एडजैस्ट करने का आशय ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आपने उसी को बना दिया तो उसकी प्रतिबद्धता मेरे साथ थी या फलां के साथ थी। लायल्टी एक शब्द है मान्यवर, लायल्टी है या नहीं है, इन्टीग्रेटी नहीं, लायल्टी की सबसे पहली बात रहती है, हमारे साथ व्यक्तिगत लायल्टी है या नहीं। बनाते वक्त भी और हटाते वक्त भी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा था जिसके ऊपर विश्वास नहीं था और यह सोचते थे कि प्रदेश की जनता के हित में काम नहीं कर पायेंगे तो बात समझ में आती है लेकिन एक आयोग के बनने के बाद में आप एक पंक्ति का अध्यादेश जारी कर दें, एक पंक्ति का आप विधेयक ले आयें और कहें कि इसका आवश्यकता नहीं है, मान्यवर, तो एक नीयत का प्रश्न आ गया और आपकी नीयत भी शायद वैसी ही हो गई

है मेरे ख्याल से जैसी पूर्ववर्ती सरकार की थी। उनका काम यह था कि एक-एक करके बना लीजिए, आपका काम हो गया कि एक-एक आयोग को समाप्त कर दीजिए और इससे निश्चित रूप से प्रदेश की प्रगति पर, प्रदेश के विकास पर, प्रदेश की सोच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पहले भी पड़ा और आज भी पड़ रहा है। पहले भी मान्यवर, मैंने अपने सुझाव में पूर्ववर्ती सरकार से कहा था कि आयोग बनाने से पहले उसके सारे पहलुओं पर विचार करा लीजिए। कितनी आवश्यकता है, क्या उसका कार्य क्षेत्र है ? तब बताया गया कि हां, इसकी आवश्यकता है और आज बिना किसी बात का अध्ययन कराये, बिना किसी बात को देखे, कोई रिपोर्ट आई या नहीं आई, इसकी उपयोगिता है या नहीं है, आप निरसन का विधेयक ले आये। मैं ईमानदारी के साथ में इस प्रवृत्ति के खिलाफ हूं, गठन और विघटन, एक ही काम रह गया है 10 दिन में गठन होगा, कोई चिन्ता नहीं है कि इसका प्रभाव क्या होगा, बस जानते यह हैं कि हमारे इगो की संतुष्टि हो जाए। मैं हटा सकता हूं, मैं समाप्त कर सकता हूं और उसी मानसिकता का परिणाम है कि आज का यह अध्यादेश, आज का यह विधेयक आया है। मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं मा0 हुकुम सिंह द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जब यह विधि आयोग बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी और यह विधेयक बनाया गया था, उसके कृत्य के बारे में मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। "आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य की समस्त विधियों का, उसके व्यवस्थित विकास और सुधार जिसके अन्तर्गत विशिष्टता और ऐसी विधि का संहिताकरण, विसंगतियों का निराकरण, अनावश्यक अधिनियमितताओं का निरसन, प्रथम अधिनियमितताओं की संख्या में कमी करना और साधारणतया विधियों का सरलीकरण और आधुनिकीकरण भी है, की दृष्टि से पुरावलोकन करे और करता रहे, इस प्रयोजन के लिए बनाया गया था।" मान्यवर, इसका जो मूल उद्देश्य था, जो इसके कर्तव्य थे, जिसके लिए यह बनाया गया है, उसमें कौन सी कमी आ गई जिसके इसके निरसन की आवश्यकता पड़ी ? मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि कानूनों के परीक्षण की एक सतत प्रक्रिया है, एक कान्टीनुअस प्रासेस है, इसलिए विधि आयोग की आवश्यकता इसलिए थी कि उसका परीक्षण बराबर करता रहे और अपना सुझाव देता रहे। और यह नहीं है, मान्यवर, केन्द्रीय विधि आयोग ने अपने 14वें प्रतिवेदन में राज्यों में विधि आयोग के गठन की सिफारिश भी की है कि इस प्रकार के विधि आयोग विभिन्न प्रदेशों में बनाये जायें। जो वहां के कानूनों की आवश्यकताओं, उनकी विसंगितयों, उनकी आज की क्या अनिवार्यता है या नहीं, इस सब पर विचार करके सरकार को सुझाव दे और उसी अनुरूप कार्यवाही हो। उसी के बाद कई प्रदेशों में विधि आयोग का गठन हुआ और उसी 14वें प्रतिवेदन के आधार पर यहां पर भी पूर्ववर्ती सरकार ने विधि आयोग का गठन किया। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि आपने जो उद्देश्य दिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, निरसन का, उसमें किया है कि 'उक्त अधिनियम दिनांक 12 जनवरी, 2005 को प्रवृत्त हुआ था। राज्य विधि आयोग के गठन के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि जिन उद्देश्यों के लिए राज्य विधि आयोग का गठन किया गया था, उनकी पूर्ति राज्य विधि आयोग द्वारा नहीं हो पा रही थी।' कौन से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, उसे आपको बताना चाहिए था ? ऐसे कह देने से तो नहीं चलेगा। एक प्रक्रिया है, आपने ऐसे ही लिख दिया कि 'ऐसी स्थिति में राज्य विधि आयोग को बनाये रखना अनावश्यक और उद्देश्यहीन हो गया है अतएव यह विनिश्चय किया गया कि राज्य विधि आयोग को समाप्त करने के लिए उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।' मान्यवर, यह तो बतायें अपने भाषण में मा0 मंत्री जी कि ऐसी कौन सी बात आ गयी जिससे इसकी आवश्यकता समाप्त हो गई ? उसके कर्तव्यों के बारे में बता दिया, उसमें ऐसा कौन सा काम जो उसे करना था नहीं कर सका, आप उसका परीक्षण कर लेते। अभी परीक्षण कर लेते। आप इसमें संशोधन लाते। अगर आपकी मंशा आयोग के सदस्यों को हटाने की थी तो संशोधन लाकर उसे कर सकते थे। लेकिन आप इस ऐक्ट को खत्म कर रहे हैं और केन्द्रीय विधि आयोग के 14वें प्रतिवेदन में जो सुझाव हैं उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। इसमें मेरा इतना निवेदन है कि आप इस विधेयक को वापस ले लें। अगर इसमें कोई कमी है तो उसको स्पष्ट करते हुए सदन में पूरी तरह से बताते हुए आप इन कमियों को खत्म करें। इसकी उपयोगिता और उपादेयता है अन्य तमाम कानून 1961, 1965 और अन्य पैनल तथा ब्रिटिशराज के पुराने जो कानून बने हैं उसमें तमाम विसंगतियां आ गई हैं। उसकी जांच राज्य विधि आयोग करता। मान्यवर, 2005-06 में यह कानून बना था। 12 जनवरी को यह बना था। मान्यवर, कुल मिलाकर डेढ़ साल नहीं हुआ और आप इसको खत्म कर रहे हैं। इसे खत्म करने की क्या आवश्यकता थी ? आज भले ही आप इसे खत्म करें लेकिन आप इसे बनायेंगे। आपकी क्या मंशा है ? आयोग के चेयरमैन या आयोग के सदस्य को हटाना है। इसलिए आपने कानून को खत्म कर दिया। यह सरकार यह कर रही है कि घर तो नहीं बना रही है और अगर किसी ने बना दिया तो उसमें रहने वाले को न निकाल पाये तो पूरा घर गिरा दो। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप मजबूत करेंगे। अगर वह वहां गलत काम करता है तो उसमें संशोधन लाकर उसे निकाल सकते थे। लेकिन यह कहना कि इसकी उपयोगिता नहीं रह गयी है, यह उचित नहीं है। मेरा इतना ही निवेदन है कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाए और उस आयोग को बने रहने दिया जाए।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं श्री हुकुम सिंह जी के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं उन्हीं बातों को नहीं दोहराना चाहता जो माननीय हुकुम सिंह जी और माननीय श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक आश्वासन चाहता हूं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि आज सरकार ने यह समझा कि विधि आयोग ऐक्ट का निरसन कर दिया जाए, इसे समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इसकी अपनी जगह पर उपयोगिता है। केन्द्र में भी इस प्रकार का आयोग गठित है और वह समय-समय पर सरकार को लीगल परामर्श देता हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आयोग के अध्यक्ष और माननीय सदस्यों को हटाने के लिए यह निरसन विधेयक लाया गया है और अगले 2-3 महीने में फिर से इसकी आवश्यकता पड़ती है तो अगले 2-3 महीने में दोबारा तो विधि आयोग का गठन नहीं किया जायेगा ? जब माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो इस पर जरूर बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी हर विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वह इसका स्वागत करेंगे क्योंकि जब यह आयोग बना था तो मैंने उनके विचार सुने थे और उन्होंने इस बात पर चर्चा की थी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी इच्छा के अनुरूप यह निरसन विधेयक आ रहा है। वह इसका स्वागत करेंगे। मान्यवर, डेढ़ या पौने दो या दो साल इस आयोग को बने हुए हुआ है। इस बीच जिस अपेक्षा से इसका गठन किया गया था निश्चित तौर पर आज ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि इस आयोग की ऐसी कोई आवश्यकता है। इस बीच आयोग द्वारा ऐसी कोई प्रभावशाली रिपोर्ट नहीं आई।

जहां तक हमारे तमाम कानूनों के परीक्षण का सवाल है, हमारे पास न्याय विभाग है, जिस न्याय विभाग में न्यायाधीश प्रमुख सचिव होते हैं, इसी तरह से सलाह देने के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं, जो सदन के मेम्बर हो जाते हैं और उन्हें सदन में भाग लेने का भी अवसर होता है। तो निश्चित रूप से न्याय विभाग, विधायी विभाग, एडवोकेट जनरल जो समय-समय पर सरकार को विभिन्न राय, जो न्याय से संबंधित, कानून बनाने से सम्बन्धित हैं, उसके सम्बन्ध में राय देते रहते हैं, इसलिए आज सरकार ने यह महसूस किया कि जिन आकांक्षाओं के अनुसार इस आयोग की आवश्यकता नहीं है और उसी निर्णय के तहत इस आयोग को निरसित करने का निर्णय लिया है। जब न्याय विभाग, विधायी विभाग और एडवोकेट जनरल हैं और आयोग भी अलग होगा तो हो सकता है कि कुछ ऐसे मुद्दे आयें जिससे सामंजस न हो और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जो कार्य हित में आवश्यक है उसमें कभी-कभी व्यवधान पड़े इसलिए सरकार ने महसूस किया। और आज, जो प्रदेश की चाहत है, जनता की चाहत है, यह आयोग निश्चित रूप से एक अतिरिक्त भार स्वरूप है और इसलिए माननीय हुकुम सिंह जी चर्चा में भाग ले रहे थे, विचार रख रहे थे, उन विचारों को समाहित किया गया और यह महसूस किया गया कि इस आयोग की अब कोई आवश्यकता नहीं है और उसको निरसित करने का विधेयक आया है। मैंने यह चाहा था कि माननीय हुकुम सिंह जी इसका स्वागत करेंगे और अपना संशोधन को वापस लेने की कृपा करेंगे। हमारी यह क्यों शंका होती है, हमारे पास न्याय विभाग है, न्यायाधीश उस विभाग में हैं, जो न्याय के जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, सरकार एडवोकेट जनरल बनाने का काम

करती है, विधायी विभाग के प्रमुख सचिव कानून के जानकार होते हैं, न्यायिक सेवा के लोग होते हैं, हम इन पर शंका क्यों करें। जहां तक लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सवाल है, उसका यह पालन करने वाली सरकार है और सदन के माध्यम से आप सभी लोगों से यह अपेक्षा है कि इस निरसन विधेयक को सर्वसम्मति से पास कराकर एक अच्छा कीर्तिमान बनाने की कृपा करें। और मैं अपने वरिष्ठ नेता मा0 श्री हुकुम सिंह जी से, जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा है, अपेक्षा करूंगा कि जहां तक उनकी चाहत थी कि चर्चा हो जाय, यह बात आ जाय कि इस आयोग का गठन बहुत अच्छे कार्यों के लिए , बहुत अच्छा सोच विचार करके नहीं हुआ था और उन्होंने उस समय, जब यह आयोग बन रहा था तो उन्होंने जो विचार रखे थे, उसी के अनुरूप इस निरसन विधेयक को लाने का काम किया है। मैं चाहूंगा कि आज इसका आप स्वागत करते हुए अपने संशोधन को वापस लेने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी केवल दो-तीन बिन्दु आपने कहे हैं उनके बारे में भी उल्लेख करना चाहूंगा। प्रश्न यह है कि इस विधेयक को लाने के पीछे मंशा क्या है ? जनहित की मंशा है या अपनी सोच आपको मजबूर कर रही है कुछ न कुछ काम करने की ? मान्यवर, जब यह विधेयक आया हमें तभी भी आशंका थी और आज भी है और यह आशंका निर्मूल नहीं थी। सरकार की अगर सोच यह रही होती कि जितने भी हमारे पुराने कानून हैं, पुराने ऐक्ट बने हुए हैं, कई साल पुराने ऐक्ट अभी भी रखे हुए मान्यवर, उनकी कोई उपयोगिता रह गई है या नहीं रह गई है ? या सामाजिक क्षेत्र में बहुत से आयाम ऐसे हैं जिनका परीक्षण करने के बाद में कुछ नये कानून बनाने की आवश्यकता है अगर वह सरकार की मंशा वर्तमान की भी या पूर्ववर्ती सरकार की मंशा रही होती तो अच्छा रहता। केन्द्रीय विधि आयोग मान्यवर, इसी मंशा के लिए बना हुआ है कि बार-बार बदलती हुई परिस्थितियों में संविधान में क्या संशोधन की आवश्यकता है ? फलां कानून में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है । और आपने देखा होगा कि सी0आर0पी0सी0 में संशोधन हुए और आज इस बात के ऊपर बल दिया जा रहा है कि जो हमारा इवीडेन्स ऐक्ट है उसमें संशोधन होना चाहिये। यह सारे के सारे संशोधन एल0आर0 के द्वारा नहीं प्रस्तावित हुए थे।

यह सारे संशोधन एडवोकेट जनरल के द्वारा प्रस्तावित नहीं हैं। यह विधि आयोग के द्वारा प्रस्तावित हैं जिनके कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं। यहां पर जो न्याय विभाग है उसका कार्य क्षेत्र आपके रोजमर्रा के काम को देखने का है आपकी सहायता करने का है। आप जो विधेयक यहां पर लाते हैं उसके परीक्षण करने का है। आपको दिक्कत होती है किसी काम को करने में उनका काम है उनसे परामर्श लेने का है। विधि आयोग का काम यह नहीं है। विधि आयोग का काम वह है कि दुनिया भर का कानून जो प्रदेश में बना हुआ है उसकी उपयोगिता क्या रह गई ? कौन सा रेलीमेण्ट रह प्रासंगिक रह गया ? कौन सा प्रासंगिक नहीं रहा ? मान्यवर, यह देखने का काम है। मान्यवर, जो कारण हैं दोनों के पीछे पता मुझको है लेकिन वह ऐसे कारण हैं मान्यवर, मैं उन्हें

सदन में नहीं रख पाऊंगा। मेरे जैसा व्यक्ति नहीं रख पायेगा। मेरे मन में पीड़ा होती है कि अगर हम किसी व्यक्ति विशेष की कुर्सी पर बैठाने के लिए जो कानून बनाये और इस विधान मण्डल का सदुपयोग या दुरुपयोग करें मान्यवर, वह उचित नहीं है साथ-साथ यह भी उचित नहीं है मान्यवर, कि जैसे आपने कहा कि मकान को पूरा गिरा दें बैठने वाला आपको पसंद नहीं है। पसंद किसी और का था और पसंद के पीछे कारण भी थे यह भी आपको पता है और जब आपकी जानकारी में आया कि उन कारणों की वजह से किसी को बिठाया गया है तो आपने सोचा इमारत को ही विस्मार करो, चलो छोड़ो चक्कर किसको हटाते फिरेंगे। अरे दूसरा बना देते आप। कोई ऐसा योग्य व्यक्ति बना देते जो बिल्कुल पारदर्शिता के तरीके से काम करके दिखाता। उसको न बनाते जिसने कभी न कभी, किसी न किसी प्रसंग में किसी की सहायता की हो, किसी को ओबलाईज किया हो न बनाते उसको।

मान्यवर, जितने भी हमारे संगठन हैं इनकी प्रासंगिकता तो हमने ही खोई है। अगर हमने इस विधान मण्डल को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो विधान मण्डल की गरिमा तो कम होगी ही होगी। इसका ध्यान रखें हम इसके लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आज हम लोगों में कम्पटीशन हो गया। प्रतियोगिता हो गई दोनों तरफ से हम जायेंगे वहां तो इनके बनाये कानून का साफ करेंगे ये, और वह जायेंगे तो इनके बनाये कानून को साफ करेंगे। यह मान्यवर, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उनका नजरिया ही ऐसा होता है। सीमित दृष्टिकोण होता है लेकिन हां परिस्थिति की बात है, ठीक है, जैसा कुछ हो रहा है, हो रहा है फिर भी मैंने प्रवर समिति का प्रस्ताव दिया। मैंने इसलिए दिया कि आप एकदम मेरी बात न मानें। इसी बात को मान लें कि आपके नेतृत्व में आपकी अध्यक्षता में कमेटी बन जाये, सारी बातों पर विचार कर ले कि आप जो लाये हैं वह वास्तव में कितना आवश्यक है। प्रदेश के हित में है, प्रदेश की जनता के हित में है। लेकिन नहीं मानें, तो मान्यवर, मैं अपने इस प्रस्ताव पर बल देता हूं। आप मतदान करा लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं अपने वरिष्ठ माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस सरकार की मंशा जनहित की है, इसमें कतई किसी प्रकार की शंका न करें। हम किसी को बनाने या हटाने के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेने का काम कर रहे हैं। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी द्वारा किसी व्यक्ति को हटाने या बनाने में रुचि नहीं है बल्कि आम जनता के हितों की रुचि सर्वोपरि है और उसी नीयत से यह विधेयक लाया गया है इसमें किसी तरह से हमारे वरिष्ठ सदस्य को शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इसलिए मैं उनसे पुनः यह आग्रह करूंगा कि इसको वापस लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

आप वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से 3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2005 को निरसित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अटावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 2 जून, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3 सन् 2005 का निरसन

2-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के दिनांक को और उसी दिनांक से धारा 4 की उपधारा (5) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे मानो वे आरम्भ से ही निकाल दिये गये हों।

3-उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2007 का निरसन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, आपका ध्यान यह जो अध्यादेश या विधेयक है इसके जो उद्देश्य और कारण दिये हुए हैं उसकी ओर आकृष्ट करता हूं। यह कितने महत्वपूर्ण हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें दिया है "उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2006) का अधिनियमन राज्य में अधीनस्थ सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। उक्त अधिनियम के अधीन सरकार/निगम/बोर्ड के अधीन समूह 'ग' की सेवाओं के पदों पर चयन के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को स्थापित और सशक्त किया गया था। चूंकि उक्त अधिनियम में अनेक कमियां थीं अतः आयोग समुचित रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था और जिस उद्देश्य के लिए आयोग को स्थापित किया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। आयोग की स्थापना हुए एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया था किन्तु आयोग की कार्यप्रणाली और भर्ती की प्रक्रिया की जटिलता के कारण आयोग द्वारा कोई भर्ती नहीं की गई थी। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को निरसित कर दिया जाय।"

यह मान्यवर, इसमें कुछ कमियां थीं जिसकी वजह से चयन आयोग अपना सही काम नहीं कर रहा था। अर्थात् यह माना गया कि इस आयोग की आवश्यकता तो है लेकिन जो कानून था उसमें कुछ कमियां थीं। उनके कारण वह काम नहीं कर पा रहा था। अगर यह सच था तो उन कमियों को दूर करने के लिए आप संशोधन लाते। उस कानून को सशक्त कर देते व्यवहारिक बना देते लेकिन आपने किया क्या आपने उसको समाप्त कर दिया। अब इसका विकल्प क्या है वह नहीं बताया है। मान्यवर, समूह 'ग' की भर्ती के लिए जो व्यवस्थायें हैं हो सकता है उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त होने की बात हो, काम करने में विलम्ब हो रहा हो, अधियाचनायें पड़ी हों, उनको निस्तारित न कर पा रहे हों यह जितनी रुकावटें हैं उनको सशक्त करने की आवश्यकता थी। संख्या कम है तो उस पर विचार कर सकते थे। तो उन दिक्कतों को दूर करने का काम आप करते। अब क्या करेंगे विभागीय कमेटियां बनायेंगे और उसमें चयन करायेंगे। मान्यवर, इन आयोगों में अभी भी थोड़ी बहुत पारदर्शिता होती है क्योंकि उसमें विभिन्न क्षेत्रों से सदस्य आते हैं अध्यक्ष होते हैं और उनकी जवाबदेही रहती है। आप उस जवाबदेही को समाप्त कर रहे हैं। जो लाखों कर्मचारियों का चयन होता है समूह 'ग' में उस चयन की प्रक्रिया क्या होगी ? क्योंकि इसमें निगम के कर्मचारी भी शामिल हैं, बोर्ड के कर्मचारी भी शामिल हैं, छूट दे करके देख लीजिये। एक बार फिर देखिये क्या हाल होता है। केवल माध्यमिक स्कूलों में या दूसरे स्कूलों में जो ग्रान्ट-इन-एड पर है वहां पर क्लास फोर के कर्मचारियों की जब भर्ती होती है और जो हालत वहां पर है कुछ तो सबक ले लें उससे। अगर किसी मैनेजमेंट के स्कूल में 4 चपरासियों के पद रिक्त हैं तो पहले उस स्थान के लिए उस स्थान रिक्ति के लिए डी0आई0ओ0एस0 तब तक अनुमति नहीं देगा भर्ती की मान्यवर, मेरे मुंह से निकल नहीं रही वह बातें, क्या हालत हो जाती है एक-एक स्थान के लिए क्या-क्या खर्च करना पड़ता है वहां पर तब तो वहां से अनुमोदन

मिलेगा। उसके बाद सबकी आंखें लग जाती हैं, दौड़ते हैं लाखों-लाखों रुपये की रिश्वत ली जाती है क्लास फोर की भर्ती के लिए और रिश्वत देने के बाद में फिर अनुमोदन के लिए प्रस्ताव जायेंगे शर्त यह होगी कि चार पद हैं, एक मेरा रखो, एक फलां का रखो यह हाल आज समाज में है। किसी से छिपा नहीं है तो एक अच्छी सरकार की पहचान यह होती है कि जो व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं गरीब आदमियों का उत्पीड़न हो रहा है, दलित व आरक्षित श्रेणी के लोगों का भी उत्पीड़न हो रहा है, उनसे भी भारी-भारी पैसा लिया जाता है मकान बेचकर ला रहे हैं, बर्तन बेचकर ला रहे हैं। और स्थिति ऐसी हो गयी है कि खेती में कोई काम नहीं करना चाहता, खेती में कोई मजदूर नहीं मिलेगा आपको एक समय ऐसा आता है वर्ष में जब दो सौ ढाई सौ रुपये पर मजदूर नहीं मिलता लेकिन चपरासी के लिए लाइन लगाये खड़े हैं इसलिए खड़े हैं कि आज उनकी अपनी सामाजिक स्थिति ऐसी हो गयी है कि खेतिहर मजदूर हैं उसकी कोई शादी करने को तैयार नहीं है और सरकारी नौकरी मिल गयी तो स्कूटर भी मिल जायेगा, मोटर साइकिल भी मिल जायेगी इसलिए वह मकान बेचकर सम्पत्ति बेचकर आ जाता है नौकरी उसको चाहिए। इसलिए मैं चाह रहा था कि विचार करने के बाद आप नीति लायें, कानून बनायें आपने तो सीधा रास्ता ऐसा निकाल दिया अभी तो चोरी छिपे भ्रष्टाचार हो रहा था आपने सीधा दरवाजा खोल दिया। आयोग तो समाप्त और आयोग समाप्त होने के बाद किसके विवेक से कमेटी बनेगी। मान्यवर, कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब हजारों हजार रिक्तियां न होती हों आप वैकल्पिक व्यवस्था क्या लाये ? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इस सदन को विश्वास में लेने की कि हमारे पास जो रास्ता था वह खत्म कर दिया 70 कमियां थी उसमें लेकिन उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था लाये हैं यह सारी बातें आनी चाहिए थी लेकिन आपने एक वैक्यूम खड़ा कर दिया उसका कोई औचित्य है ? अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं क्योंकि दिक्कत यह आ रही है कि हम लोगों के जो स्थान होंगे कि जैसे हमें कभी कुछ कहना है कुछ और बातें आनी हैं, कभी हम लोग ऐसा सोच विचार कर मिलजुलकर प्रदेश के हित की बात सोचें, जनता के हित की बात सोचें। मैं आपको यह सुझाव दे रहा हूं अगर आपको शिकायतें थी, शिकायतों की गुंजाइश थी, हो सकता है शिकायतें हों लेकिन आप मानकर आये हैं कि आयोग की आवश्यकता थी लेकिन आयोग के काम करने में कठिनाइयों आ रही थीं। ऐसी स्थिति में कठिनाई को दूर करने का रास्ता आना चाहिए था। और आयोग अगर अपनी प्रासंगिकता खो चुका था तो आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था लानी चाहिए थी और सदन को विश्वास में लेना चाहिए था कि चयन प्रक्रिया हमारी यह होगी, फलां प्रक्रिया से होगी वह ऐसी अच्छी होगी जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा उसमें अनियमितता नहीं होगी पूर्णतः पारदर्शिता होगी। इसलिए मैं बहुत भारी मन से और वेदना के साथ अपनी बात को रख रहा हूं कि शायद इस सरकार में जितनी भी परम्परायें मर्यादायें थीं सबको क्वीट करके एक बहुमत का सहारा ले करके हमारे आजम साहब तो बुलडोजर कह रहे थे बुलडोजर शब्द तो

मैं नहीं कह सकता क्योंकि बुलडोजर तो इनके पास ही चला गया लेकिन मैं यह जरूर कह देता हूं आप इन बातों पर विचार करें कि कैसे हम आम जनता के लिए इस उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ऐसी व्यवस्था कायम करें जहां उनका विश्वास इस लोकतंत्र में रह सके। आज नेताओं के बारे में, जनप्रतिनिधियों के बारे में जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, उनका लोगों का विचार बदले। वह कहें कि नहीं कि जो चीज होगी, सबके सामने होगी, पारदर्शी होगी, स्पष्ट होगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई ऐसा विकल्प आपने नहीं बताया, इसलिए मैं अपनी बात पर बल देता हूं। अन्तिम हथियार हमारे पास यही होता है कि अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो एक प्रवर समिति को बना दें, उसमें विचार हो जाय। आपके मन में एक बात तो आयेगी कि कुछ सुझाव सकारात्मक होते हैं उनको विचार कर आप निर्णय लेते हैं, यह बात मुझे कहनी थी, धन्यवाद।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने को मौका दिया, धन्यवाद। इस विषय में एक निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि सरकार का मंशा इससे भी कुछ अच्छा रहा हो, हो सकता है कि सरकार इससे भी अच्छी व्यवस्था लाना चाह रही हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें जो भी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थीं, प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी सरकार भी अनेकों बार बेरोजगारी पर बोलती आई है और बेरोजगारी के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसमें समूह ग से लेकर, नायब तहसीलदार, ए0डी0ओ0 अनेक इस तरह के मुख्य पद सभी विभागों के क्लर्क, अनेक विभागों की सेविकायें, बहुत सारे स्तर के पदों की इसमें नियुक्तियां होनी थी जो खाली पड़े हैं, एक व्यवस्था लागू हो गयी थी। हो सकता है सरकार के किन्हीं कारणों से, इस स्तर पर ढील रही हो, कार्य योजना पूर्व वाली सरकार समय पर न बना पायी हो, लेकिन मैं मान्यवर, एक निवेदन अवश्य करूंगा कि अगर विभागों को कोई भी नियुक्ति का मामला जायेगा तो उसमें आयोग के मुकाबले पारदर्शिता कम होगी। उसमें व्यक्तिगत लोगों के स्वार्थ शायद कुछ ज्यादा जुड़े होंगे। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी कठिनाइयां हैं, कोई सरकार इसमें सुधारात्मक रवैया अपना सकती है, जब माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, जब उच्च शिक्षा सेवा आयोग, इनमें संशोधन का प्रावधान सरकार कर सकती है तो मैं यह निवदेन करना चाहूंगा कि सरकार इसमें भी संशोधन कर ले। इसमें हजारों वैकैन्सियां निकलने के बाद लाखों लोग फार्म भर चुके हैं। उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आपने कर दिया कि संघ लोक सेवा आयोग में वह स्थानान्तरित कर दी जायेगी। लेकिन उसके बाद जो और वैकैन्सियां निकलनी हैं, वह फिर विभागों को पुनः भेजी जायेंगी। मैं मान्यवर, यह निवेदन करूंगा कि इस पर सरकार पुनः विचार करें यह जनहित का मामला है, यह पूरे प्रदेश में रोजगारपूरक कार्यक्रम के रूप में जाना जायेगा। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। पुनः धन्यवाद।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा रखे संकल्प और मद संख्या-16 में रखे गये उनके संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का निरसन करने का जो विधेयक माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, माननीय हुकुम सिंह जी ने अपने संकल्प पर बोलते हुए उसके मूल उद्देश्यों पर जो बात कही है, उससे मैं पूरी तरह अपने को सम्बद्ध करता हूं और दो बातें संक्षेप में रखना चाहता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन मान्यवर, जिन परिस्थितियों में हुआ वह स्थिति प्रदेश के सम्मुख ऐसी थी कि समूह ग के लिए प्रदेश के सामने जो रिक्तियां थीं, उनकी नियुक्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही थी और विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्षों को या उनके द्वारा विभागों की जो चयन समितियां बनायी जानी थी, उनके बारे में इतनी बात पक्की नहीं कर सकते थे कि यह चयन समितियां इनका ठीक से चयन करेगी क्योंकि वह सीधे-सीधे विभागीय मंत्री के प्रभाव में, उनके सीधे अधीनस्थ होने के नाते वह उनके प्रभाव में काम करने वाली थी इसलिए विगत माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने इस आयोग का गठन किया। दो स्थितियां थीं, कुछ पद ऐसे थे जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पब्लिक सर्विस कमीशन से होती थी और लोक सेवा आयोग की परिधि में आने के कारण और लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के सामने जो व्यस्तता है, नियुक्तियों का जो बड़ा भारी बोझ है, पहले यह पद भी उसी के सम्मुख थे, इनकी बड़ी उपेक्षा हो रही थी और तमाम पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे थे क्योंकि इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं प्रारम्भ हो पा रही थी। मान्यवर, आयोग की जो चयन प्रक्रिया है उनकी जितनी दबावमुक्त होकर काम करने की प्रक्रिया है वह विभागीय चयन समितियों की नहीं हो सकती, विभागीय चयन समितियों को उतना दबावमुक्त नहीं कर सकते जितना एक आयोग दबावमुक्त होता है। चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो उनकी प्रक्रिया पर जल्दी से उंगली नहीं उठती। जहां संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग पर अलग से नियुक्ति का दबाव है, उस दबाव को कम करने के लिए कुछ पदों को और समूह ग के पदों पर नियुक्ति करने के लिये इस आयोग का गठन किया गया था। मान्यवर, अनेक ऐसे अवसर आये और माननीय मंत्रीगणों को ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि वह अपने विभागों में कुछ पदों की भर्ती करना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारे नेता प्रतिपक्ष और तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी ने पारदर्शिता बनाये रखने के लिए इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया और कहा कि इस आयोग द्वारा जो नियुक्तियां होंगी उन पर उंगली नहीं उठेगी इसलिए विभाग स्तर पर चयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इसलिए उन्होंने माननीय मंत्रियों के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। नियुक्तियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किये जाने के आदेश जारी हुए, ऐसी स्थिति में बिना कोई कारण बताये माननीय मंत्री जी केवल वाक्चातुर्य और अच्छे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शब्दों के द्वारा यह निरसन विधेयक ला रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कृपया इस पर पुनर्विचार कर लें और यदि पुनर्विचार नहीं कर सकते तो जो संशोधन आप लाये हैं, इसे आप एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मान्यवर, प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जाने की बात कही गयी है लेकिन मैं माननीय हुकुम सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि समिति के सभी सदस्यों के नाम स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ही तय कर दें तो भी सभी लोग सहमत हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक प्रवर समिति बना दी जाए और वह प्रवर समिति अपनी आख्या सुविचारित ढंग से एक माह में दे दें और तब तक आप स्वयं इस पर विचार करके इस विधेयक को वापस लेने के लिए अपना विचार बना सकेंगे। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है इस प्रस्ताव को वापस लेने पर विचार करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जैसी जिसकी नियति होती है वैसा ही वह दूसरों के बारे में सोचता है। कितने पारदर्शी ढंग से चयन हुआ है, इसे उच्च न्यायालय ने भी देखा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी चयन पर अगर उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की हो तो कृपया सदन को अवगत करा दें, बड़ी कृपा होगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पूरी बात सुन लें, बहुत सी बातें आप बोलते रहते हैं, बहुत से चयन हुए हैं, मान्यवर, कैसे हुए हैं इसे तो चौधरी साहब भी जानते हैं, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूं। मान्यवर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना, एक वर्ष में कोई गतिविधि नहीं हो पायी एक भी चयन नहीं हो पाया और निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों में यह महसूस किया गया कि जब एक साल में एक भी चयन नहीं हुआ और प्रदेश में तमाम ऐसी जरूरतें हैं। बहुत से ऐसे पद रिक्त हैं जिन पदों पर रिक्तियों को भरा जाना आवश्यक भी होता है और हमने जिम्मेदारी बहुत ज्यादा इसमें बढ़ा दिया है तो निश्चित रूप से प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मैं इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार पारदर्शिता के आधार पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है और हम आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कभी भी इस तरह का कोई आरोप जिस तरह से, फिर पीछे जाकर दोहराना नहीं चाहता हूं। पद निकाले 30 और भर्ती हुई 70, बाद में वित्त विभाग से बढ़वाकर इसको 70 किया गया। इस तरह की बहुत सी चर्चाएं सुनी हैं लेकिन एथेन्टिकली नहीं कह सकता हूं। हम यह विश्वास दिलाते हैं कि नियमों के अनुसार पारदर्शिता के अनुसार किसी तरह से भ्रष्टाचार से परे हटकर, निश्चित रूप से शंका करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी निर्णय लिए जायेंगे उसके अनुसार होंगे।

आज यह अधीनस्थ चयन सेवा आयोग चूंकि एक साल में एक भी नियुक्ति जिस संस्था द्वारा न की जा सकी हो तो उससे एक तरह से समस्या ही पैदा होगी, कल या परसों चर्चा हो रही थी प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के सम्बन्ध में। माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने इस बात को कहा है कि लोक सेवा आयोग में अधियाचन भेजते हैं, उनको 5-6 साल लग जाते हैं और भर्ती नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, उसी रास्ते पर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भी चलता। लोक सेवा आयोग से ज्यादा भर्ती करने की आवश्यकता जिस आयोग को हो तो फिर 5 साल से ज्यादा बढ़ सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं। इससे निश्चित रूप से हमारे तमाम पद रिक्त रह जायेंगे जिसके आधार पर हमारे सदस्य की चिन्ता है रोजगार मुहैया कराने की वह पूरा नहीं हो सकता। इसलिए यह महसूस किया गया और मैं आप सभी लोगों से पुनः यह चाहूंगा कि जो निरसन विधेयक लाया गया है इसका स्वागत करते हुए, माननीय हुकुम सिंह जी जो संसदीय परम्पराओं का निर्वहन अकेले कर रहे हैं विधेयक पर चर्चा करने के लिए संशोधन ला रहे हैं मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं उनसे चाहूंगा कि चर्चा हो रही है, आपने अपनी बातें रख दी, अब इसको वापस लेकर पारित कराने में मदद करने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

समस्या यह है कि मेरे मदद की आपको आवश्यकता नहीं है। कम से कम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इतना तो सदन को बता दें कि आपकी वैकल्पिक व्यवस्था चयन की है क्या ? आपने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड समाप्त कर दिया। आप इतिहास में न जाइये कि किसने क्या किया, क्या नहीं किया ? आज हम आपसे पूछना चाहते हैं एक साधारण सदस्य के रूप में कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी समूह "ग" के चयन की वैकल्पिक प्रक्रिया क्या होगी ? आप खुद करेंगे या सूची बनाकर भेज देंगे, उसके आधार पर नियुक्ति हो जायेगी या बाकी जिलों में जो लोग रहते हैं उनकी भी सूची आयेगी। कुछ तो जानकारी हो जाय। पारदर्शिता की बात आपने कही पारदर्शिता तो ठीक बात है लेकिन इतना बता दें कि आयोग समाप्त कर दिया लेकिन आपने बनाया क्या है। भर्ती जो करेंगे वह किस माध्यम से करेंगे इतना बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

जहां तक सूची भेजने वालों की बात थी वह हुकुम सिंह जी जानते हैं सभी सदस्य जानते हैं। सूची कौन भेजता था, कब भेजता था ? हम यह विश्वास दिलाते हैं कि हम सूची नहीं भेजेंगे और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से चयन की प्रक्रिया होगी। जब हम इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो स्वतः जो पूर्व प्रक्रिया थी वह अपने आप बहाल हो जाती है। इसके पूर्व जो प्रक्रिया रही वह अपने आप स्थापित हो जाती है। जब तक कोई अलग से नियम न बनाया जाय। जनहित के आधार पर या जिस तरह की आवश्यकता महसूस

होती है उस तरह से समय-समय पर संशोधन लाये जाते हैं जब कोई कमियां दिखाई पड़ती हैं तो निर्णय लिए जाते हैं यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर ऐसी स्थिति कभी आती है तो उस ढंग से निर्णय लिए जाते हैं। यह जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 है इसके निरसन करने का विधेयक हम ला रहे हैं इसमें किसी तरह की शंका करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी सहमति देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 को निरसित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2006 का निरसन

3-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2007 का निरसन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, गिन लिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

स्थिति स्पष्ट है। इसकी आवश्यकता नहीं हैं

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जब यह विधेयक सदन में लाया गया था जो उस समय वर्तमान माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी सदन में थे और यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था क्योंकि इसके पीछे एक ही भावना थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद एक महत्वपूर्ण पद होता है और इसी तरह से उपाध्यक्ष होते हैं और यह जो विधान परिषद् में नेता प्रतिपक्ष व सभापति होते हैं यह चार बड़े महत्वपूर्ण पद होते हैं और इनके बारे में विचार किया गया था कि यह गरिमामयी पद हैं इनके आवास आरक्षित होने चाहिए। ताकि पता रहे कि यह आवास इनके रहेंगे। एक गरिमा बनी रहेगी कि यह आवास इनके हैं। मान्यवर, आज यहां पर चीफ सेक्रेट्री का आवास भी आरक्षित है और भी न जाने कितने अधिकारियों के आवास आरक्षित हैं। ए0पी0सी0 का आवास भी आरक्षित है। लेकिन विधान सभा के अध्यक्ष का आवास, विधान परिषद् के सभापति का आवास और विधान सभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं इनका आवास आरक्षित नहीं है। उस समय विशेषकर इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया था। पूरे सदन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाला विधेयक लाया गया था। आप क्या-क्या समाप्त करेंगे। आप विधान सभा के वजूद के बारे में कुछ तो लायें। यह जो विधेयक है इसके कारण और उद्देश्य आप देखें। इसमें आप इस पंक्ति को देखें जिसमें लिखा है कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों से आवासों के आवंटन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी और कभी-कभी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय। मान्यवर, जिनको आप परेशान करना चाहते हैं, वह आपसे परेशान होने वाले नहीं हैं। उनको पूर्व मुख्य मंत्री की हैसियत से आवास आरक्षित है। मान्यवर, हमको तो ध्यान आपका है क्योंकि सबसे ऊंचे आसन पर आप बैठे हैं और सबसे सम्मानजनक पद आपका है। मान्यवर, इस सदन में हमारी निष्ठा यह है कि हम किसी के भी बारे में टिप्पणी कर लेते हैं लेकिन उस पीठ के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि अध्यक्ष विधान सभा का पद कितना गौरवमयी है इसलिए उनका आवास आरक्षित होना चाहिए। मुख्य मंत्री के बाद कोई पद होता है तो वह अध्यक्ष का होता है। यहां पर तो आप ऊपर बैठे ही हैं लेकिन अगर प्रोटोकाल में आप देखें तो यह पद मंत्रियों से ऊपर होता है। यह मुख्य मंत्री के बाद आता है। इनके ही आवास के बारे में दिक्कत आ रही थी, इन्हीं के आवास के लिए कठिनाई हो रही थी ?

मान्यवर, कुछ तो कृपा कर लेते। मान्यवर, कम से कम किसी को तो बक्श देते। विक्रमादित्य मार्ग तो वैसे ही परिधि से बाहर हो गया। माल एवेन्यू ही बचा है वह भी आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता जा रहा है। अब क्या होगा ? क्या विधेयक ला रहे हैं यहां तो बचा कुछ नहीं है। अब तो यहां बनेंगे बहुमंजिले आवास और उसको मंत्री आवास कहा जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसमें किसी व्यक्ति का रहना मुश्किल होता जा रहा है। मंत्रियों को तो आप गोमतीनगर भेज रहे हैं जो कि इतनी दूर है कि उनके पास क्षेत्र का कोई आदमी आये तो उनके पास जा ही न सके। वह उनको ढूंढते-ढूंढते थक जायेगा। (किसी मंत्री के बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, मैं तो आपके लिए ही कह रहा हूं। मैं तो वहां नहीं रह रहा हूं। आप ही रह रहे हो। रहो, सुख चैन से रहते रहो। हम तो माननीय अध्यक्ष जी आपकी चिन्ता कर रहे हैं। आपके लिए तो विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शासन के आदेश के लायक आप नहीं हैं वर्मा जी अगर कुछ बस का हो तो कर लें नहीं तो हम बैठ जाते हैं। लेकिन आप ध्यान जरूर कर लीजियेगा आपने और हमने सर्वसम्मति से मिलकर इस विधेयक को यहां पर प्रस्तुत किया था। उसी परम्परा को रखते हुए मैं प्रवर समिति का प्रस्ताव लाया हूं। इससे पहले प्रस्ताव नहीं आया था 2005 में, सर्वसम्मति से इसको हमने पारित किया था। उस सर्वसम्मति की भावना को आज भी कायम रख लेते कम से कम अध्यक्ष पद, सभापति पद, नेता प्रतिपक्ष इनके पद गरिमामय पूर्ण पद हैं। इनके लिए आवास आरक्षित हो जाने चाहिए थे।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो आवंटन का कारण दिया गया है कि दिक्कत आ रही थी। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष या मा0 नेता विरोधी दल या मा0 नेता सदन की एक अहम प्रतिष्टा है या उसका रोल होता है इसका यह कदापि मतलब नहीं है कि आवास न देना। बल्कि जो दिक्कत आ रही थी, नेता प्रतिपक्ष जिस आवास में रह रहे हैं वह आवास उनके लिए आवंटित है पूर्व मुख्य मंत्री की हैसियत से। अगर नेता प्रतिपक्ष का आवास चिन्हित होता तो वह पांच साल तक खाली रह जाता। किसी को आवंटित नहीं किया जा सकता था। इसी तरह से विधान परिषद् में नेता प्रतिपक्ष ने अपने निजी आवास को सरकारी आवास घोषित कराया। फिर वहां पर भी नेता प्रतिपक्ष का जो आवास होता वह भी खाली रहता। मान्यवर, निश्चित रूप से आवंटन के अभाव में चूंकि आवास की दूसरी जगह उनकी प्राथमिकता थी और जो चिन्हित आवास थे वह खाली रह जाते यह समस्यायें आ रही थीं। जहां तक मा0 हुकुम सिंह जी ने चिन्ता की मा0 अध्यक्ष जी के लिए , तो मा0 अध्यक्ष जी के लिए बहुत बड़ा बंगला माल एवेन्यू में पांच नम्बर जो नौ नम्बर से भी बड़ा है वह आवंटित किया गया है। इसलिए कि इस पर किसी तरह की भी शंका करने की कहीं से भी गुंजाइश नहीं बचती है उन्हीं दिक्कतों के कारण क्योंकि बड़े समय तक वह मकान चिन्हित होने के कारण खाली पड़े रहे हैं। इसलिए इस दिक्कत को देखते हुए इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी। इसमें किसी तरह से कोई अन्य उद्देश्य नहीं है इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि इसको सर्वसम्मति से,.....

डा0 वकार अहमद शाह-

एक आवास जब उनको दे दिया था.....

एक सदस्य-

नौ नम्बर किसको दिया गया है ?

श्री लालजी वर्मा-

अब इसकी सूचना की तो आवश्यकता पड़ेगी, आवंटन किसको है लेकिन मा0 अध्यक्ष जी का जहां तक सवाल है, जो पांच नम्बर है वह पहले मुख्य सचिव के लिए आरक्षित था उस आवास को मा0 अध्यक्ष जी के लिए आवंटित किया गया है। माल एवेन्यू में बहुत से आवास हैं। मुझे भी जो आवंटित है माल एवेन्यू में है इसलिए इस पर कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस सहृदयता का प्रयोग करके कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया। उसी सहृदयता का परिचय देकर इसमें क्योंकि कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, कोई इच्छा नहीं है लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि लम्बे समय तक आवास खाली पड़े रह जाते और तमाम मंत्रियों को दिक्कतें आती और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको आवंटन के लिए मकान की कमी पड़ती। इसको देखते हुए यह संशोधन लाया गया है। इसलिए अपेक्षा करूंगा कि इसको स्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी को कौन सा आवास आवंटित हुआ है ?

श्री लालजी वर्मा-

5-माल एवेन्यू।

श्री प्रमोद तिवारी-

आपको बुलाया कभी।

श्री लालजी वर्मा-

अभी गये नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

तो बुला लें देख तो लें। भोजन पर बुला लें सबको कितना बड़ा है देख लें।

श्री अध्यक्ष-

एक दिन बुलाऊंगा जरूर। बड़ा है या छोटा लेकिन आप लोगों का स्वागत है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अब क्या रह गया, लगता है, कुछ रह ही नहीं जायेगा, संसदीय कार्य मंत्री जी की टिप्पणी ठीक है। यह निरसन विधेयक जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, जिस विधेयक का निरसन होना है, यह 2005 में इसी सदन में पारित हुआ है और संसदीय कार्य मंत्री जी प्रतिपक्ष में बैठते थे, उनके भी विचार कार्यवाही पर हैं, यदि भूल गये हों तो निकाल कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देख लें मान्यवर, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कभी दुखद प्रसंग आया था कि नेता प्रतिपक्ष को वेल में आकर के बैठना पड़ा कि उनके लिए कोई आवास की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और एक बार नहीं मान्यवर, दो बार ऐसा हुआ है और इसके अतिरिक्त मुझे स्मरण है, मैं उल्लेख इसलिए कर देना चाहता हूं पिछली बार मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के लिए जब आवास की व्यवस्था करनी हुई तो उनको आवंटित आवास को खाली होने में इतना समय लगा कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को काफी समय तक ओ0सी0आर0 के अपने फ्लैट में रहना पड़ा और हम माननीय सदस्य, जिसके आप संरक्षक हैं, आपकी अपनी गरिमा की ऐसी स्थिति हो तो मान्यवर, हम सदस्यगण की गरिमा तो स्वतः समाप्त हो जाती है। इन्हीं आवश्यकताओं के दृष्टिगत यह तय हुआ कि जहां चीफ सेक्रेटरी का आवास आरक्षित है, जहां एपीसी आवास चिन्हित और इयर मार्क है, जहां चेयरमैन, राजस्व परिषद् का आवास इयर मार्क है, वहां पर अध्यक्ष, विधान सभा, सभापति, विधान परिषद्, उपाध्यक्ष, विधान सभा, उप सभापति, विधान परिषद् और दोनों सदनों के नेता विरोधी दल। कुल 6 बचे हैं, 6 से अधिक नहीं हैं, इन 6 लोगों की जिनकी अलग गरिमा है, उनके आवास चिन्हित कर दिये जायें और उनके लिए विधेयक में पहले से व्यवस्था थी कि अपने पदों से हटने के 15 दिन के अन्दर स्वतः आवास खाली कर देंगे और दूसरे किसी आवास को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी स्वयं उनको जो यह पद धारण करेंगे उन व्यक्तियों को स्वयं अपने आप यह आवास आवंटित हो जायेंगे और उनको अलग से साज-सज्जा के अतिरिक्त एक फ्लैट बनाया जायेगा जो स्पीकर हाउस के नाम से बना रहेगा। जो भी स्पीकर महोदय आयेंगे, उसमें आयेंगे, वह भी अच्छी तरह से प्रचलित हो जायेंगे।

मान्यवर, मुख्य मंत्री के लिए 5-कालीदास मार्ग चिन्हित है और प्रदेश का जो भी मुख्य मंत्री होता है, वह 5-कालीदास मार्ग के उस चिन्हित आवास में ही जाता है। वह सी0एम0 आवास कहा जाता है तो यह नहीं होता कि गोमती नगर में ढूंढे, गौतम पल्ली में ढूंढे, माल एवेन्यू में ढूंढे, पार्क रोड पर ढूंढे, कहां ढूंढे, सी0एम0 हाउस कहते ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सी0एम0 हाउस का मतलब 5-कालीदास मार्ग है। इसी प्रकार जिनकी गरिमा अक्षुण्ण रह सके, कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न न हो लोगों को उनके आवास ढूंढने के लिए यहां-वहां घूमना पड़े। इसलिए यह विधेयक लाया गया और इस पर भी आप की नजर है। क्या इस कारण से कि पूर्ववर्ती सरकार का कोई फैसला ऐसा न बच जाए जिसको आप बदल न डालें। इस बारे में मान्यवर, एक प्रचार में, एक एडवरटाइजमेंट में असरानी बल्ब का प्रचार करते हैं कि 'सब के सब बदल डालूंगा', वही सब के सब बदल डालूंगा कि स्थिति आपकी है इसलिए मान्यवर, किसी भी हालत में इन पदों को, गरिमामय पदों को छोड़ दिया होता। विधान सभा के अध्यक्ष के लिए जो आवास इयर मार्क था, एक आवश्यकता है, मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या माल एवेन्यू में कोई खास कोठी ऐसी है जिसके आसपास के बंगलों को गिराने का काम किया जा रहा है। जिसके पीछे का बंगला पहले गिराया गया, जिसके बगल का बंगला अभी गिराया गया हैं उसके सामने का जो बंगला है, अध्यक्ष के लिए जो कोठी इयर मार्क हुआ करती थी उसको गिराने के लिए ही तो

यह विधेयक नहीं लाया गया है ? यह आशंका है मान्यवर, कि माल एवेन्यू के सारे बंगले एक कोठी में तब्दील कर देने के लिए ही तो यह निरसन का विधेयक नहीं लाया जा रहा है कि अध्यक्ष से यह कोठी खाली करा ली जाए, 9 नम्बर की और 9 नम्बर की कोठी को 13 नम्बर में जुड़ा दिया जाए। इसलिए जब मा0 विधान सभा अध्यक्ष को एक कोठी दी जायेगी, नेता प्रतिपक्ष को भी एक कोठी दी जायेगी, उपाध्यक्ष को भी एक आवास दिया जायेगा और उसी अनुमन्यता के आधार पर जब वह इयर मार्क आवास थे तो यह निरसन का विधेयक अनावश्यक है और मैं पुनः आपसे अनुरोध है कि संशोधन की तो कोई आवश्यकता है नहीं, आप अपना विधेयक पूरा का पूरा वापस ले लीजिए, संशोधन का कोई सवाल नहीं और यह अत्यन्त गम्भीर मामला है, इसलिए मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और मान्यवर, चूंकि इससे अध्यक्ष पीठ भी कहीं न कहीं प्रभावित होती है क्योंकि इसमें अध्यक्ष का आवास भी है इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस विधेयक को वापस लेने का कष्ट करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसे अन्यथा न लें क्योंकि आपके लिए बार-बार कहा जा रहा है कि अन्यथा न लें क्योंकि इस पीठ पर जो भी माननीय अध्यक्ष बैठेंगे उसका सम्मान ऐसा ही होना चाहिए। जब सपा-बसपा की मिलीजुली सरकार चल रही थी और किन्हीं कारणों से हमारा साथ खत्म हो गया और हमारी सरकार खत्म हुई तब मैं 13 माल एवेन्यू में ही रहता था कहा जाता था कि यह मनहूस नम्बर है लिहाजा काफी समय तक खाली रहा, मुझे कोई बंगला नहीं मिल रहा था मैंने कहा कि यह मनहूस नम्बर मुझे दे दिया जाए। बड़ी कोशिश से उस कोठी को अच्छी तरह बनाया। [× × ×] को वह कोठी पसन्द आ गई, हमारा सामान निकाल कर फेंका गया। उसके बाद मैं विधायक रहा मंत्री नहीं रहा, विधायक रहा तो आप रिकार्ड देखें कि उसके बाद राज्य सम्पत्ति विभाग से मुझे विधायक निवास भी नहीं दिया गया। उसके बाद नेता विरोधी दल बना तब भी नेता विरोधी दल का आवास नहीं दिया गया लेकिन जब सपा की सरकार बनी तो पहले जो स्पीकर श्री माता प्रसाद जी बैठते थे उनके साथ बैठक हुई तो उसमें कुछ पदों के लिए तय कर लिया गया कि कोई भी राजनीतिक दल या पार्टी सत्ता में आये तो विपक्ष के साथ घटियापन, व्यक्तिगत द्वेष न करे। माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल इन दो के लिए आवास तय कर लिए जाएं कि फलां-फलां बंगला उनका होगा और अब उनको किसी के रहमोकरम पर नहीं रहना होगा। तो इस पर विचार कर लें और अपने पूर्व के इतिहास को देख लें। मान्यवर, इससे पूरे प्रदेश में गलत संदेश जायेगा और पहले भी यह सरकार हलका काम कर चुकी है, और हलका हुआ है। नेता विरोधी दल की कोठी को जाने नहीं दिया जाना चाहिए। मान्यवर, इस पर भी पुनर्विचार होना चाहिये कि हम किन सड़कों पर कितना कब्जा करेंगे। किन कोठियों पर कितना

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कब्जा करेंगे ? [× × ×] तो मान्यवर, जो एक आम इमेज बन रही है हमारी शक्ल बन रही है। हम लोग लूटखसोट कर कितना लम्बा चौड़ा महल बनाना चाहते हैं। थोड़ी सी मान्यवर, इसमें फैलाव में कमी आनी चाहिए। एक कमरे में भी पूरा जीवन गुजर सकता है। आखिर कितनी कोठियों की जरूरत होगी एक शरीर को बसने के लिए इस पर भी विचार होना चाहिए। मान्यवर, इसे वापस ले लें। इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। इसे अन्यथा न लें। यह एक अच्छा सुझाव है मान लें सरकार इसे।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, दो एक जुमले जो यह नेताओं के बारे में बोल गये हैं तो यह कार्यवाही का अंग बन जायेगा, कल अखबारों में छप जायेगा मैं नहीं जानता कि कौन इनको क्या कहता है या किसको क्या कहता है। मान्यवर, मैं आपसे और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि नेताओं के बारे में जो टिप्पणी की गयी है उसे कार्यवाही से निकलवा दें और अखबारों में भी न छपे इसका निर्देश दे दें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं अखबारों में प्रकाशित नहीं होगा और कार्यवाही से निकलवा दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप इसे कार्यवाही से तो निकलवा दें लेकिन आप इस पर विचार जरूर कर लें मुझे खुशी है आप इसे जरूर निकलवायें। मैं जज्बात में यह बात कह गया लेकिन मैं प्रमोद तिवारी जी से जरूर कहना चाहूंगा कि आप भी यहीं पर थे और मैं संसदीय कार्य मंत्री था इसी स्टेज पर आपको सम्मान दिया गया था और आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनको यहां पर अलग से सम्मान दिया गया था। आपको अपना अमल, अपना तरीका, अपना अंदाज इस पूरे सदन से कुछ मुखतलिफ रखना चाहिए क्योंकि यह सदन आपको बहुत सम्मान दे चुका है और अगर आप कार्यवाही निकलवाकर देखेंगे तो आपके सम्मान में कुछ हिस्सेदार हम भी रहे हैं। अब तक तो आपने कोशिश नहीं की है लेकिन अब आप अपने सम्मान को बनायें। अपना वजन तौलें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं बनाकर रखूंगा लेकिन मेरे वजन को यह तौलना सीख लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जुमले का प्रयोग कहां-कहां पर होगा। हमें भी अपने आचरण से निश्चित रूप से सम्मान को बढ़ाने का काम करना चाहिए। हम अगर बंगले पर कब्जा करें तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे सम्मान बढ़ता है। उप नेता बार-बार मेरा सामान निकाला गया यह कहते

नोट :- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे हैं। मान्यवर, मुझे भी मंत्रि-परिषद् में रहने का अवसर मिला था। 29 तारीख को सरकार बनी थी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में और उन्होंने 25 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। मैंने 26 अगस्त को बंगला छोड़ दिया था। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम बंगले के पात्र नहीं रह गये हैं, बंगले को, जिस हैसियत से हमें एलाट किया गया था, उसके हम पात्र नहीं रह गये हैं तो पन्द्रह दिन के अन्दर बंगला छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर पन्द्रह दिन में इस कार्य को अंजाम देंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी स्थिति आयेगी। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो कि हमारी कद-काटी बढ़ गयी है, हमारा अधिकार है तो निश्चित रूप से कानून के अनुसार कार्यवाही होगी, होती भी रही है यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस विधेयक का जहां तक सवाल है मैंने पूर्व में कहा है कि हमारी ऐसी मानसिकता नहीं है बल्कि हमने उस बात का उल्लेख किया कि चिन्हित करने के कारण कहीं कोई ऐसा पदाधिकारी जैसे माननीय उप सभापति का पद रिक्त चल रहा है वह आवास लम्बे समय तक खाली रहने की सम्भावना थी, उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा का भी है, उन्हें जो पहले मकान मिला था उसे उन्होंने सरकारी आवास घोषित करने के लिए कहा है, तो नेता प्रतिपक्ष का आवास लम्बे समय तक खाली रहने की सम्भावना थी, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, जहां एक तरफ आवास आवंटित होने चाहिए नहीं मिल पा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखकर इस विधेयक को लाने की आवश्यकता महसूस की। इसमें हमारी कोई ऐसी मानसिकता नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी के लिए मैंने पूर्व में बता दिया है कि बड़ा बंगला आवंटित हुआ है और निश्चित रूप से उनका सम्मान बढ़ा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर बात आयी है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि 15 दिन की बात कही गयी है, आप इसे दिखवा लें अगर पन्द्रह दिन से ज्यादा रहा हूं तो जो सजा चाहें आप तय कर लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, **2007 पर विचार किया जाय।**

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) अधिनियम, 2005 का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 2 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) अधिनियम, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2005 का निरसन

3- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2007 का निरसन

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न [illegible] किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आ[illegible] प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशो[illegible]न) अ[illegible]देश, 2007 का अननुमोदन करता है।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री ठाकुर जयवीर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, मैं इस विधेयक के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा और फिर उसी बात पर मान्यवर हर विधेयक के समर्थन में कुछ न कुछ उद्देश्य एवं कारण लिखे जाते हैं। इसमें भी लिखे गये हैं, लेकिन कम से कम सदन में लाने से पहले उद्देश्य एवं कारणों का उल्लेख ऐसा तो होना चाहिए, जिसके प्रति हम लोग विश्वास कर लें कि कहां आसपास भी हम लोग उसके हैं। आपने लिखा है कि अध्यापकों के चयन में यह निश्चय किया गया है कि बोर्ड के सदस्य जिसमें बोर्ड का अध्यक्ष भी सम्मिलित है की पदावधि छः वर्ष से घटाकर दो वर्ष किये जाने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधित किया जायेगा। शीघ्रता ला रहे हैं अध्यापकों के चयन में और उस शीघ्रता लाने के लिए छः वर्ष का कार्यकाल दो वर्ष का कर रहे हैं कभी पूछोगे जिसने भी लिखा होगा कभी उससे पूछोगे ? कुछ और कर देते यह कर देते यह कर देते कि वह काम ठीक नहीं कर रहे हैं संतोषजनक काम नहीं है इसलिए कार्यकाल घटाने की आवश्यकता पड़ेगी, हमें और विद्वान आदमियों की नियुक्ति करनी है, इसलिए कार्यकाल बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई जो हाथ लगे हुए हैं वह उपयुक्त आदमी नहीं हैं इसलिए कार्यकाल घटाने की आवश्यकता पड़ गई लेकिन कार्यकाल इसलिये घटाया कि अध्यापकों के चयन में शीघ्रता आ जाये। खैर मान्यवर बहुमत है और बहुमत की बाद में पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने ड्राफ्ट को और अच्छा करने की भी आवश्यकता नहीं है और हर चीज के लिए कुछ न कुछ कहना, यह तो इनकी आदत है कुछ भी कह देंगे लेकिन आयोग का कार्यकाल आप छः साल से घटा कर के दो साल लाये वह सबकी समझ में आ रहा है हम भी समझ रहे हैं आप भी जानते हैं, आप तो जानते ही जानते हैं, लेकिन निष्कर्ष हमारा भी है कि आपको अपने आदमी, अपने विश्वास के आदमी वहां नियुक्त करने हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर राजनीतिक आदमियों की वहां नियुक्ति होनी है तो दूसरी विचारधारा के लोग आप वहां पर क्यों रखें, आपकी सरकार है आपको सोचना चाहिए ठीक है, यह तो होता भी आया है, लेकिन मैं इसके माध्यम से आपका ध्यान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से चयन प्रक्रिया है, जो चयन अब तक होता आया है, उस पर भी विचार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर लीजिए। विषय को विस्तार में नहीं ले जाना चाहता हूं। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है माध्यमिक शिक्षा की, बेसिक शिक्षा आगे उसके बाद उच्च शिक्षा है और बीच में माध्यमिक शिक्षा है। जिस तरह से वृक्ष का तना होता है मान्यवर, उस तने का काम यह माध्यमिक शिक्षा करती है। तना मजबूत होगा तो वृक्ष भी मजबूत होगा। लेकिन इस वक्त तो यह जीर्ण-शीर्ण होता जा रहा है। आपकी दो महीने की सरकार है मैं जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दूं कि आपने कर दिया इसको नहीं । इस व्यवस्था के ऊपर जितनी विचार होना चाहिए था, जितनी गम्भीरता से इस विषय को लेना चाहिए था उतनी गम्भीरता इस विषय के ऊपर दर्शायी ही नहीं गयी। हम लोगों ने इसका उपहास बनाया। यह हम लोगों की सोच है लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। सरकार अपने आदमी जाकर बिठा देगी। सूची भेज दी जायेगी उनके पास कि फलां-फलां अध्यापकों का चयन हो जाये। और उसके बाद क्या होता है वहां का जो प्रबन्धतंत्र है वह उसको ज्वाइन नहीं कराता है। मान्यवर, ऐसे एक नहीं, दर्जनों और बड़ी संख्या में अध्यापक हैं जो विधायकों के पास सांसदों के पास जाते हैं मंत्रियों के पास आते हैं कि हमारा चयन हो गया है लेकिन ज्वाइन नहीं कराया गया है। क्योंकि आप ऐसे अनुपयुक्त व्यक्तियों का चयन करके भेजते हैं जो वहां सेट नहीं हो पायेगा। इसलिए पूरे परिप्रेक्ष्य में आज सोचा जाय कि इस आयोग को क्या स्वरूप दें ताकि जो हमारी चयन प्रक्रिया है वह अच्छी बन सके। उसके द्वारा उपयुक्त व्यक्तियों का चयन हो सके। मान्यवर, अभी तक का जो अनुभव है वह बड़ा कटु है। मन में विश्वास हट गया है कि इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के बच्चों का विकास क्या हो सकेगा उन्हें कैसे अच्छी शिक्षा मिल पायेगी ? प्रबन्धतंत्र के जब तक अधिकार थे वह जिम्मेदार था। लेकिन एक मूवमेंट चला कि प्रबन्धतंत्र से यह अधिकार ले लेना चाहिए क्योंकि वहां सेलेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा था। मान्यवर, आप देखें स्कूल कालेज उनके हैं। आप थोड़ा सा उनके पक्ष को भी देखें जिन लोगों ने श्रम और मेहनत से संस्थायें खड़ी की थीं केवल इस कारण से कि वेतन यहां से जा रहा है इस वजह से चयन आयोग को बनाया जाय। आप उन्हें अपने यहां चयन करने का अधिकार नहीं देंगे। परिणाम सामने यह है कि शिक्षा का स्तर जितना रहना चाहिए था वह नहीं रह पाया हैं अब उस शिक्षा के स्तर को हम कैसे अच्छा कर पायेंगे। इस पर विचार होना चाहिए। मान्यवर, चयन शिक्षा के स्तर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपयुक्त व्यक्ति का चयन होगा तो निश्चित रूप से वह अपने दायित्व को निभायेगा। अभी कल डिस्कशन हो रहा था उनका चयन लोक सेवा आयोग से होता है जो राजकीय कालेज हैं । लेकिन फिर भी जो हमारी दूसरी संस्थायें हैं जिनका वेतन सरकार देती है उनके बारे में यह देखें कि कहीं अयोग्य लोगों को भेज कर सिफारिशी लोगों को भेज कर हम इन संस्थाओं को बर्बाद करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। जो आपने इसमें रखा है मूल रूप से मैं असहमत नहीं हूं। लेकिन जो मैं प्रस्ताव लाया हूं वह इसलिए लाया हू कि इसके बारे में चिन्तन करने की आवश्यकता है। चिन्तन करने का अवसर हमें मिले। आज की इस बहस से तो बहुत निष्कर्ष निकल नहीं पायेगा। यह औपचारिकता मात्र रह जाता है। इसलिए कोई मंच ऐसा मिले

जहां विचार-विमर्श हो सके। तो वह मंच मान्यवर, प्रवर समिति है जिसमें सदन के सदस्य होते हैं। सम्बन्धित विभाग के मंत्री भी उसमें होते हैं। उसके माध्यम से एक ऐसा विधेयक लाया जाय जो आवश्यकतायें हैं उनको पूरा कर सके और समस्याओं के समाधान का सुझाव दे सके। मान्यवर, दुर्भाग्य की बात है कि हां या ना में हम लोग उलझ जाते हैं और उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा तो और कुछ भी हैं अब यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है कि हम बहुमत में बैठे हैं तो इसे पास कराना है। दूसरा कोई भी कितनी सार्थक बात क्यों न कहें उसका कोई महत्व नहीं है। हमें इस मानसिकता से ऊपर उठना होगा। और उस मानसिकता से ऊपर उठकर जनहित में, प्रदेश के हित में, शिक्षकों और छात्रों के हित में, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के हित में अच्छा होता कि इस हां और ना से पहले हम सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में विचार कर लेते। अगर मंत्री जी सहमत हो और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का इशारा हो जाये तो प्रवर समिति में विचार हेतु यह विधेयक चला जाये और फिर एक सार्थक विधेयक लेकर हम लोग यहां पर आयें ताकि जो इस आयोग में कमियां हैं उनको दूर किया जा सके।

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस शिक्षा चयन आयोग का गठन आज का नहीं है। 1921 में इण्टरमीडिएट ऐक्ट के अन्तर्गत, उस अधिनियम के अन्तर्गत उसे चलाया गया। विद्यालयों के लिए 1982 में इसका गठन किया गया था और, इसका गठन इसलिए किया गया था कि इसमें जो भर्ती की प्रक्रिया होगी क्योंकि उसमें लोगों को तमाम प्रकार की शिकायतें मिलती थीं इंस्पेक्टर आफ स्कूल के आफिस से या और कहीं से तो इसके नाते 1982 में तत्कालीन सरकार ने चयन आयोग का गठन किया। उसके द्वारा रिक्तियों को भरा गया जो आज इस तरह का अवैध काम हो रहा है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है वह तो हास्यास्पद उद्देश्य आपने दिखाया है, उसके बारे में माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा प्रदेश है और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आपके सरकारी स्कूल जिसमें लोक सेवा आयोग से चुनकर लोग आते हैं जिले में एक या दो हैं और इस अधिनियम के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में जो शिक्षा की व्यवस्था है वह सरकार नहीं कर पा रही है यह प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा संचालित विद्यालयों से हो रहा है और उसमें इतने पद रिक्त हैं, और जितने पद रिक्त हुए हैं उनके अनुरूप और जो रिटायर हुए हैं, जो अवकाश ग्रहण किये हैं उनका बजट तो यहां होता है। आप जब बजट पढ़ेंगे आपको क्या बतायें जितने पद रिक्त हैं उनके अनुरूप जो रिटायर हुए हैं उनका तो बजट है ही और उस बजट के रहते हुए भी आपका वित्तीय भार नहीं बढ़ता है यह वित्तीय भार नहीं बढ़ता है तो इनके चयन की प्रक्रिया को थोड़ा और तेज कर दिया जाय जिससे विद्यालयों को टीचर उपलब्ध हों एक अध्यापक रिटायर हो गये 3 साल, क्लास चल रहा है अध्यापक हैं नहीं क्या यह आपका दायित्व

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं ? मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता यह हम सबका दायित्व है। हम विचार क्या कर रहे हैं ? इंग्लिश टीचर रिटायर हो गये चयन हुआ नहीं क्लास चल रहा है तो कैसे परीक्षाएं होंगी किस आधार पर आप परीक्षाएं करायेंगे जब टीचर नहीं है तो किस आधार पर बोर्ड की परीक्षाएं करा रहे हैं, प्रिन्सिपल रिटायर हो गये, नियुक्ति होती नहीं उनका वेतनमान आप दूसरों को देते हैं यह बजट का जो लास्ट में जो सरकारें कह देती हैं कि हमारा घाटा हमने घाटा पूरा कर लिया बिना टैक्स लगाये। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह जो रिक्तियां हैं जिसके सापेक्ष वित्तीय प्रबन्ध किया जाता है बताया जाता है और वह जब खर्च नहीं किया जाता है और बच जाता है तो बड़ी होशियारी से कुटनी से सरकार कह देती है कि हमने बजट का घाटा बिना टैक्स लगाये पूरा कर लिया मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं आप ग्रामीण अंचल के विद्यालयों को देखें जो बड़े घरों के लड़के हैं, जो धनाढ्य लोग हैं जिनकी वित्तीय क्षमता अच्छी है उनके बच्चे तो कान्वेन्ट में पढ़ते हैं उनके बच्चे शहरों में चले जाते हैं शिशु मंदिरों में चले जाते हैं क्या आपने कभी सोचा उन गरीबों के लिए उन बच्चों के लिए जिनके घर में पेट भर खाना है कि नहीं 10-10 किमी0 चलकर स्कूल जाते हैं और अध्यापक हैं नहीं। उनके बारे में क्या आपने कभी सोचा। चयन आयोग आप बनाये करे या न करें लेकिन यह सरकार का दायित्व है कि शीघ्रातिशीघ्र अध्यापकों की व्यवस्था की जाय। अगर वित्तीय प्रबन्धन नहीं है तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं आप सभी जब जवाब देंगे तो मैं आग्रह करूंगा कि आप यह बता दें कि कितने इण्टरमीडिएट या माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें कितने अध्यापकों के पद अब तक रिक्त हैं और कितने भरे जा चुके हैं और उसमें जो खाली हैं उनको कब तक भर दिया जायेगा ? कोई कालेज आप देखें। हम तो अपने बगल के कालेज को देखे हैं, हम तो जब जाते हैं तो लड़के कहते हैं कि 3 वर्ष हो गये टीचर ही नहीं हैं तो पढ़ाते कैसे हैं ? परीक्षा क्यों लेते हैं बोर्ड क्यों बना रखा है आपने क्यों परीक्षा लेते हैं जब आपने टीचर नहीं रखा है, क्यों एडमीशन लेते हैं। इसलिए जब आप अभी खड़े हो तो मैं आग्रह करूंगा कि आप इसकी प्रक्रिया सरल कर दें।

चयन बोर्ड करे न करे आप एडहाक नियुक्ति कर दीजिए अब आप कह देंगे कि इंस्पेक्टर के यहां बड़ी भारी बेइमानी हो जायेगी आखिर कोई तो प्रक्रिया करिये। दो साल का कर दीजिएगा तो जल्दी हो जायेगा 6 साल का जो 1982 में बना था मैं यहां विधायक था, आप भी थे और शायद उस पर भी मेरे कुछ भाषण हुए होंगे। उस समय बना था तब से यह प्रक्रिया चल रही थी 6 साल की चल रही थी फिर कोई सरकार आई दो साल कर देती है, 5 साल कर देती है कोई 3 साल कर देती है। अरे जिसमें इनको निकालना था, संशोधन लाकर निकाल सकते थे। अवधि कम करके निकालने का कोई प्रश्न नहीं है लेकिन प्रक्रिया तेज करिये और अगर चयन बोर्ड न कर सके तो माननीय मंत्री जी कोई इसका दूसरा उपाय निकालें। इसीलिए माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कहा कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय इसमें कोई ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे शीघ्रातिशीघ्र चयन हो, यही मेरा आग्रह है। आप एडमीशन करते चले जा रहे हैं, स्कूल में पूछो लड़के जाते हैं। क्या सारा कुछ ग्रामीण अंचल के जो विद्यार्थी हैं, उन्हीं के लिए यह सब

अभिशाप हैं यह प्राइवेट में आपका सी0एम0एस0 चलता है, कितनी फीस ली जाती है, बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है लेकिन उसमें कौन पढ़ता है। उसमें तो बड़े घरों के लड़के जाते हैं। उनके बारे में जरा सोचिये जो इतनी फीस नहीं दे सकते । यही मेरा आग्रह है। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं किसी सरकार या उसके बारे में। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप जवाब दे तो इतना जरूर बता दें कि कितने पद अभी तक रिक्त हैं और कितने भरे जाने हैं और कब तक भर दिये जायेंगे ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता स्नातक वेतनक्रम के अध्यापकों के नियमित रूप से चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया। जिसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 पारित किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 5 में बोर्ड में नियुक्ति किये जाने वाले सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित है। जो पहले 4 वर्ष था, फिर इसे पूर्व की सरकार ने बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने से उनमें कार्य के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो गयी। कार्य के प्रति शिथिलता आई। अतः चयन के कार्यों में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से सदस्यों, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यादेश, 2007 लागू किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यादेश, 2007 अध्यादेश 8/2007 को पुनःस्थापित कर अधिनियम का स्वरूप दिया जाना प्रस्तावित हैं सरकार शिक्षा की पारदर्शिता, शिक्षा की पवित्रता, शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए कटिबद्ध है, संवेदनशील है। दूसरी बात आपके माध्यम से, माननीय सदस्य पाण्डेय जी को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो टीचरों के रिक्त स्थानों के बारे में एक प्रश्न किया है, उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि प्रवक्ता के 2300 पद रिक्त हैं, और स्नातक के 8270 पद रिक्त हैं जो चयन बोर्ड के माध्यम से शीघ्र भर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय त्रिभुवन दत्त जी अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

* श्री त्रिभुवन दत्त-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 1 के उपखण्ड (1) में शब्द तथा अंक "(संशोधन) अधिनियम, 2007" के स्थान पर शब्द तथा अंक "(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

शीर्षक भी रख दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिभुवन दत्त-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शीर्ष शीर्षक में शब्द तथा अंक "(संशोधन) विधेयक, 2007" के स्थान पर शब्द तथा अंक "(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 तथा खण्ड-3

2-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की जिसे एतद् पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में,-- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 5 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द "छह वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :--

"(6) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदधारण करने वाले प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे और उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व दो वर्ष की पदावधि पूर्ण कर लेने वाले सदस्य उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को पदधारण करने के प्रविरत हो जायेंगे।"

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन

कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-1 व प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह 15 जून, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

श्री त्रिभुवन दत्त ने खण्ड1 एवं शीर्षक में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया।

खण्ड-1

खण्ड 1 के उपखण्ड (1) शब्द तथा अंक "(संशोधन) अधिनियम, 2007" के स्थान पर शब्द तथा अंक "(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007" रख दिये जायें।

शीर्षक

शीर्ष शीर्षक में शब्द तथा अंक "(संशोधन) विधेयक, 2007" के स्थान पर शब्द तथा अंक "(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 के उपखण्ड (1) में शब्द तथा अंक "(संशोधन) अधिनियम, 2007" के स्थान पर शब्द तथा अंक "(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007" रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-1 व प्रस्तावना इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

शीर्षक

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि शीर्ष शीर्षक में शब्द तथा अंक "(संशोधन) विधेयक, 2007" के स्थान पर शब्द व अंक "(द्वितीय संशोधन) विधेयक,, 2007" रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत) +

*श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह सरकार सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के आधार पर आधारित है और यह बजट गांवों की अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित है। बुन्देलखण्ड के लिए अनेक परियोजनाएं लागू की गयी हैं लेकिन अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड पूरे प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक आधार पर सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड के अन्दर प्रतिवर्ग किलोमीटर 230 व्यक्तियों का जन घनत्व है, यहां की करीब एक करोड़ की आबादी पहाड़ और पिछड़े क्षेत्रों में निवास करती है। बुन्देलखण्ड के लिए वर्तमान में बहन मायावती जी की सरकार है, पूर्व में मुलायम सिंह जी की सरकार थी लेकिन एक लम्बे अर्से से देखता चला आ रहा हूं कि बुन्देलखण्ड के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में प्राविधान **नहीं किया जाता है**। बुन्देलखण्ड से जितना राजस्व प्राप्त होता है उसके अनुपात में बुन्देलखण्ड **के विकास के लिए** धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता है। बुन्देलखण्ड के अन्दर 27 **बांध परियोजनाएं प्रमुख** हैं। कई बांध ऐसे हैं जो 100 वर्ष से अधिक

+ चर्चा के लिये देखिये दिनांक 3-7-07 की कार्यवाही।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुराने हैं, पारीक्षा, सुकुमा-डुकुमा आदि। अगर आप देखें तो बजट में जो 20 करोड़ रुपया बांधों के अपग्रेडेशन के लिए प्राविधानित किया गया है वह बहुत कम है। बुन्देलखण्ड की जो स्थिति है, वहां पर विगत 3-4 सालों से बारिश नहीं हो रही है, वहां का भू-गर्भ जल का स्तर 10 से लेकर 15 मीटर तक नीचे जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज वहां पर कालाहांडी जैसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। 63 फीसदी लोग गांवों से भाग-भाग कर चण्डीगढ़, अहमदाबाद, दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता चले गये हैं लेकिन जिनको अपनी मातृ भूमि में ठिकाना नहीं होता, उनको कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। वह वहां से भी वापस आ रहे हैं और साथ में पीलिया, एड्स, खून की कमी जैसी अनेक गम्भीर बीमारियां ला रहे हैं। बुन्देलखण्ड के लिए आवश्यक है कि प्रदेश सरकार द्वारा बजट में समुचित प्रावधान किया जाए। जो 27 बांध हैं, आपके संज्ञान में ला रहा था, इनके अन्दर इतनी सिल्ट जमा है कि उनमें जल धारण करने की क्षमता मात्र 12-13 फीसदी रह गयी है। 4 जुलाई से नहरों का संचालन होना था, अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर है लेकिन 3-4 सालों से वर्षा नहीं हुई है, नहरें चल नहीं रही हैं, उनमें जल धारण क्षमता नहीं है इस कारण से नहरों से सिंचाई नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही विसंगति यह है कि बुन्देलखण्ड में कोई रोजगार नहीं है। बुन्देलखण्ड का जो इण्डस्ट्रियल एरिया है, वह सब के सब बन्द पड़े हैं। झांसी के अन्दर इण्डस्ट्रियल एरिया है लगभग 223 उद्योग लगे थे उनमें से मात्र 13-14 उद्योग सही ढंग से चल रहे हैं बाकी सब बन्द हो गये हैं। जहां बुन्देलखण्ड एक ओर प्रकृति का मार झेल रहा है वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार से वहां के विकास के लिए समुचित धन का प्राविधान नहीं किया जाता है। सरकार बधाई की पात्र है कि कुछ धनराशि आवंटित किया है लेकिन भ्रष्टाचार का साम्राज्य लम्बे समय से है, गरीब आदमी को पीला कार्ड मिल रहा है जबकि उनको अन्त्योदय का कार्ड मिलना चाहिए। एक-एक व्यक्ति रोता हुआ आता है। कभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई सुधार नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार के साम्राज्य के कारण सरकार की अच्छी योजनायें बनती हैं लेकिन नीचे तक पहुंचती कितनी हैं ? आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में 23 करोड़ रुपये का विद्युत का काम किया गया परन्तु उससे आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो काम होता है उसमें यह बताया जाता है कि 40 फीसदी कमीशन देना पड़ता है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स लम्बे समय तक इसमें लिप्त रहे हैं। कुछ आई0ए0एस0 इस सरकार के चहेते हो जाते हैं, कुछ दूसरे सरकार के चहेते हो जाते हैं और उनके अन्दर में एक भ्रष्टाचार का साम्राज्य चल रहा है। हर आदमी जानता है कि जरा-जरा सी चीजों के लिए समस्या है, नल नहीं आ रहा है, पीने के लिए स्वच्द पेयजल नहीं मिल रहा है, सड़कें नहीं हैं, सिंचाई की स्थिति नहीं है इस पर जितने भी प्रतिबन्धित खेतियां हैं वह खुलेआम हो रही हैं। बुन्देलखण्ड में जल स्तर 15 मीटर तक नीचे चला गया है, हैण्डपम्पों से फ्लोराइड और आर्सेनिक निकलता है। जहां पर करीब 70 लाख बच्चे कुपोषण और भुखमरी के शिकार हैं। बुन्देलखण्ड के गांव के अन्दर रहने वाले मैं समझता हूं 10 प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जिन्हें दोनो वक्त की रोटी नसीब होती है।

उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि दोनों वक्त सब्जी बनाकर खा सकें जो गांव व शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है। ऐसे में बुन्देलखण्ड के अन्दर जहां पर 83 फीसदी लोग गांव में रहते हैं तो गांवों के विकास के लिये प्राविधान किये जायं। अगर बुन्देलखण्ड का विकास नहीं होगा तो अध्यक्ष जी इधर वहां पर अपराध तेजी से पनप रहा है। वहां पर लोग आत्महत्यायें कर रहे हैं।

(इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 राधामोहन दास अग्रवाल पीठासीन हुए।)

अगर शासन प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया गया तो लोग हथियार उठा सकते हैं और जैसे नक्सलवाद की समस्या पैदा होती है उसी तरह की समस्या पैदा हो जायेगी। जितने भी कार्यक्रम पहुंचते हैं उनका निचले लेविल पर ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं होता है। बुन्देलखण्ड में तीन प्रमुख नदियां बेतवा, शहजाद और केन हैं। वहां राजघाट बांध परियोजना में पानी नहीं मिलेगा तो खरीब की फसल नहीं होगी। राजघाट परियोजना पूर्ण होते ही पानी मिलना बन्द हो जायेगा।

बुन्देखण्ड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए चन्देल राजाओं ने 77 हजार तालाब खुदवाये थे। लेकिन अब यह सारे तालाब बन्द हो गये हैं कहीं पर अतिक्रमण कर लिया गया कहीं पर दबंगों ने अपना निजी स्थान बना लिया। आज मल्टीनेशनल कम्पनियों का अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव है। प्रदेश सरकारें मजबूर रहती हैं उनके आश्रित हैं जैसा वह कहती हैं वह करती हैं। इसी कारण आज मैथा वगैरह की खेती हो रही है गेहूं वगैरह की खेती नहीं होती जो खेत में सूखता है। जो फसलें पैदा की जा रही हैं इसमें रसायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज आवश्यकता है कि बुन्देलखण्ड में औषधीय वृक्षारोपण किये जायें, हर्र, बहेड़ा, आंवला, पीपल, नीम के वृक्ष लगाये जायं व इनसे सम्बन्धित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय। बुन्देलखण्ड में जितने उद्योग थे वह बन्द हैं। झांसी में सूती मिल थी रानीपुर में पोलिस्टर और कालपी में कागज उद्योग थे यह सब बन्द हो गये हैं। कहीं पर भी नजर डालें तो कोई उद्योग नहीं है रोजगार नहीं हैं। पूरे बुन्देलखण्ड के अन्दर एक मेडिकल कालेज था और वह मेडिकल कालेज एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल है लेकिन वहां के डाक्टरों की प्रैक्टिस पर नजर रहती है। मेडिकल कालेज के अन्दर कैंसर के इलाज की व्यवस्था नहीं है, न्यूरोलाजी विभाग नहीं है। एशिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मेडिकल कालेज अपनी दुर्दशा पर आज आंसू बहा रहा है। उत्तर प्रदेश में 35 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं जबकि बुन्देलखण्ड में 57 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। बुन्देलखण्ड में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 17 लाख 59 हजार 971 हेक्टेयर है व सिंचाई के लिये 30 लाख 53 हजार 780 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता है इसके सापेक्ष सभी साधनों के बावजूद 9 लाख 72 हजार मिलियन लीटर पानी उपलब्ध हो पाता है। आज मल्टीनेशनल कम्पनियों के दबाव के कारण किसान और गरीब हो रहे हैं यही स्थिति रही तो गांव के सारे लोग गांव छोड़कर भाग जायेंगे। इसलिये निवेदन है कि बुन्देलखण्ड को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय बुन्देलखण्ड के लिये

विशेष नीति बनाई जाय और बुन्देलखण्ड के अन्दर जो हमारी विद्युत परियोजनायें लगी हैं पारीक्षा तापीय परियोजना में 110 मेगावाट की दो इकाइयां पहले से कार्यरत थी दो इकाइयां 210-210 मेगावाट की 1700 करोड़ की लागत से स्थापित की गई। लेकिन भ्रष्टाचार के चलते हुए आज तक पारीछा थर्मल पॉवर अपनी पूर्ण क्षमता पर नहीं चल पाया। 210 मेगावाट की एक इकाई पिछले 8 महीने से एक भी मेगावाट का उत्पादन नहीं कर पाई। योजनाओं में जिन एजेन्सियों को काम मिला था, वे मानक के अनुरूप कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं ली गई।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार प्रत्येक सदस्य को पांच-पांच मिनट बोलना है। इसलिये अब आप समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, चूंकि यह एक गम्भीर विषय है और हम लोगों को बोलने का बहुत कम मौका मिलता है इसलिये मान्यवर, थोड़ा समय दे दें। मान्यवर, इस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कार्यवाही होनी चाहिये, इसकी जांच होनी चाहिये। बॉयलर तक जाने वाली बेल्ट करोड़ों रुपये की लागत से लगाई गई है लेकिन वह जल्द ही टूट जाती है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में बिजली के लिये सिंभरौली से कोयला चलता है और पारीछा तक जाता है वहां तक वह 40 प्रतिशत ही पहुंचता है। 310 करोड़ रुपये का कोयला खरीदा जाता है लेकिन उसके लिये कोई वेइंग मशीन नहीं है। कोई भी सप्लाई मानकों के अनुसार नहीं हुई है। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि जहां हम बहुत सारी योजनायें इस बजट में लाये हैं वहीं पर यह भी विचार करें कि बुन्देलखण्ड विकास निधि के नाम पर अरबों रुपये का आवंटन किया गया है उसकी क्या स्थिति है ? इसके बारे में श्वेत पत्र जारी होना चाहिये। जो पैसा वहां पर योजनाओं के लिये गया है उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ? मान्यवर, आप वहां जाकर देखिये वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादी के अन्दर पूड़ी भी नहीं बनाई होगी। महरौनी हमारा यहां का ऐसा क्षेत्र है जहां पर आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं और बीमार हैं यह घास की रोटी खाते हैं। एक हजार रुपये की नौकरी के लिये भी दूर जाना पड़ता है। मान्यवर, हमारे यहां की शिक्षा प्रणाली जो कि लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति के कारण प्रदेश के अन्दर हम कल पड़ रहे थे कि पाठ्यक्रम में सेक्स की शिक्षा को भी शामिल किया जायेगा, बच्चों को सेक्स की भी शिक्षा दी जायेगी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन पतित न हो लेकिन नौजवानों को इस तरह की शिक्षा दी जाय जिससे उसका विकास हो और रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। आज 20 साल की शिक्षा पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश का नौजवान 1 हजार रुपये की नौकरी के लिये परेशान घूम रहा है। मान्यवर, भ्रष्टाचार के तांडव के चलते लोग परेशान हैं। एक आम

आदमी को पानी नहीं मिल पा रहा है। माता टीला से 110 लीटर एम0एल0डी0 आने का प्राविधान है। करोड़ों रुपये जिस जोन के लिये खर्च किया गया वहां पानी नहीं मिल रहा है। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिंचाई की स्थिति देखें, रोजगार की स्थिति देखें, विद्युत की स्थिति देखें। मान्यवर, कितनी विसंगति की बात है कि हमारी छाती पर बुन्देलखण्ड में जो बिजली बनती है जिससे हम प्रदूषित हो रहे हैं, हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है, जिसका कोयला हमारे घरों में भर जाता है उससे विद्युत हमको नहीं मिलती है। पारीछा में कई इकाई बन्द हो गई। बुन्देलखण्ड को अंधेरे में रखा जा रहा है। जिस तरह से वहां पर करोड़ों रुपये का विद्युत उत्पादन होता है हम चाहते हैं कि उसमें हमारी भी साझेदारी सुनिश्चित की जाय। पूर्ववर्ती सरकारों ने 10 साल पहले की वहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए बुन्देलखण्ड को बिजली की कटौती से मुक्त रखा था। लेकिन राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण वहां कम से कम विद्युत आपूर्ति की जा रही है। मान्यवर, एक औद्योगिक नीति बनी थी। मैं चाहता हूं कि इस तरह से बुन्देलखण्ड के अन्दर गांवों में 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिले। बिजली में सब्सिडी मिले। छोटे-छोटे किसानों को 5 हार्सपावर का कनेक्शन लेना अनिवार्य होता है जबकि उनके कुएं में पानी नही है। उनको इसके लिये पैसा जमा करना अनिवार्य होता है। मैं चाहता हूं कि दो हार्सपावर का कनेक्शन लेने की अनुमति उनको दी जानी चाहिये। मान्यवर, झांसी महानगर तो घोषित हो गया है लेकिन वहां विद्युत की कटौती हो रही है। जिस तरह से अन्य महानगरों को 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो रही है उसकी तरह से झांसी को भी होना चाहिये। झांसी के लोगों ने क्या पाप किया है ? झांसी ने ऐसा कौन सा पाप किया। झांसी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। झांसी ने, बुन्देलखण्ड ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध किया। बुन्देलखण्ड वासियों को आज सबसे कम लाइट, और झांसी महानगर होने के बाद 20 घण्टे लाइट क्यों नहीं मिल रही है। झांसी नगर निगम के रूप में परिवर्तित हो गया लेकिन नगर निगम में परिवर्तित होने के बाद महानगर होने के बाद, उच्चीकरण क्यों नहीं किया गया। कर्मचारियों को बी 2 श्रेणी की सुविधायें क्यों नहीं मिलीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं बसों में 2001 में एक अध्यादेश आया था उस अध्यादेश में 17 फीसदी की छूट बुन्देलखण्ड की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए उस अध्यादेश को लागू किया गया लेकिन उस समय तत्कालीन सरकार के न रहने के कारण वह अध्यादेश अधिनियम नहीं बन पाया जिसकी वजह बुन्देलखण्ड को 17 फीसदी छूट नहीं मिल पा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विधान सभा के अन्दर बोलने के बावजूद भी, यह अखबार की खबर के अलावा, विधान सभा की कार्यवाही कोई व्यवस्था का अंग नहीं बन पाती

है। भ्रष्टाचार का जो आज तांडव है, जो सरकारों की उपेक्षा हो रही है, सरकार के आश्वासन के बावजूद ऐसा हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

सुभाष पाण्डेय जी बोलें।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। बुन्देलखण्ड की स्थिति को देखते हुए अगर हम प्रदेश को अगर उंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो हमें प्रदेश को काला हांडी बनने से रोकना पड़ेगा। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि पिछले वर्ष 267 लोगों ने हेयर डाई पीकर आत्महत्या की। केवल झांसी मेडिकल कालेज में एडमिट हुए थे रोजगार न होने के कारण, भुखमरी के कारण, गरीबी के कारण, पारिवारिक क्लेश के कारण, उन्होंने हेयर डाई पीकर आत्महत्या की थी। पूरे देश के अन्दर जो लोग सल्फास खाकर आत्महत्या करते थे, पेड़ के ऊपर लटकते थे, ट्रेन के नीचे कटते थे, आज वह हेयर डाई पीकर आत्महत्या कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस बजट में जहां पूरे प्रदेश को आदर्श बनाने की परिकल्पना की गई है, बुन्देलखण्ड के लिये जहां अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं। बुन्देलखण्ड के लिये कम से कम दो हजार करोड़ का पैकेज आना चाहिए अगर यह दो हजार करोड़ का पैकेज बुन्देलखण्ड को नहीं मिला तो निश्चित रूप से जो 65 प्रतिशत लोग पलायन कर रहे हैं वह यहां से पलायन करेंगे। इसी के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी शुरू करें।

* श्री सुभाष पाण्डेय-

मान्यवर, आपने इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका और सदन का आभारी हूं। मैं बहन मायावती जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत सूझबूझ का बजट उत्तर प्रदेश सरकार से पेश किया है जो गरीब जनता के काम आयेगा। मैं प्रतिपक्ष का कल भाषण सुन रहा था जब हमारे विद्वान सदस्य जो हमसे सीनियर हैं उन्होंने एक बात कही उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने बजट बना दिया। मैं कहना चाहता हूं कि बजट विशेषज्ञ बनाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी का काम है वह अपने विवेक और सूझबूझ से उनके आये हुए सुझाव को, अधिकारियों के आये हुए सुझाव को देखकर अच्छा बजट प्रस्तुत करें। मान्यवर, बहन मायावती जी ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है इसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता के लिये पहली बार एक अच्छा बजट आया है। मैं बताना चाहता हूं इस सदन को कि कृषि में काफी धन दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी धन दिया गया है और कई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्रों में धन दिया गया है लेकिन सबसे अच्छा काम जो हुआ है जो कि कई सरकार उत्तर प्रदेश में आई पिछले पचास सालों में आई लेकिन बिजली के क्षेत्र के इतनी सूझबूझ का काम किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है जो बहन मायावती जी ने करके दिखाया है। जिसका असर दो साल में देखने को मिलेगा। पहली बार नौ हजार करोड़ का बजट दिया गया है और सूझबूझ के साथ दिया हैं चिन्तन किया है, विचार किया है। बजट आने के पहले उन्होंने उस पर विचार किया है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बजट का स्वागत हम सभी को करना चाहिए। केवल विरोध करने के लिये विरोध नहीं करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष से कि बिजली के बजट पर आपकी राय क्या हो सकती है ? अगर नौ हजार कुछ करोड़ रुपया दिया गया है तो क्या गलत किया गया ? इतने सालों से बिजली के समस्या बरकरार रही है और कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। बहन जी और हमारी सरकार झूठे वादे नहीं करना चाहती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने पिछले चुनाव में एक झूठा वायदा किया था कि वह किसानों से बिजली की दर नहीं लेंगे लेकिन चुनाव होते ही अपना वायदा उलट दिया। मैं बहन जी को बधाई देना चाहता हूं, वह कोई झूठा वायदा नहीं करती हैं। मान्यवर, मैं बिजली पर कुछ ज्यादा बोलना चाहता हूं क्योंकि बिजली ही उत्तर प्रदेश का हृदय है। अगर वह नहीं रहेंगी तो क्या उद्योग लगेंगे और क्या किसान का भला कर सकेंगे ? इसलिये थोड़ा चिन्तन करें। मान्यवर, बिजली की चोरी होती है। अगर कोई बिजली चोरी में पकड़ा जाता है तो हम लोग विरोध करने लगते हैं। बिजली का बिल नही भरा जाता है, उसका विरोध करते हैं हम सबको दलों से ऊपर उठ कर बिजली के बजट का स्वागत करना चाहिए और उसको क्रियान्वित करने के लिये चेष्टा करनी चाहिए। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, मेरे साथ एक उदाहरण हुआ, मैं बहन जी को बधाई देना चाहता हूं और उनके मंत्रि-मण्डल को बधाई देना चाहता हूं। मैं मछली शहर से विधायक हूं, वहां सतरिया में बिजली की चोरी की जाती थी, मैंने ऊर्जा मंत्री जी को एक पत्र लिखा कि वहां पर बिजली की चोरी हो रही है, मैं उनसे मिला नहीं हूं, 15 दिन के अन्दर इन्क्वायरी हो गई और अब वहां पर हमारे ब्लाक में 15 घण्टे बिजली मिल रही है। यह जो बजट है, इसकी सभी को सराहना करनी चाहिए। मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक अनुरोध है क्योंकि बजट पर सभी विद्वान साथियों ने बोला, हमारे सम्मानित साथी हैं, काफी मदद मिलती है। लेकिन बजट से हटकर एक वाक्य कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा निवेदन है कि जब आजम खां साहब आते हैं, मुझे अन्यथा न लिया जाए, मैं एक नया सदस्य हूं और मैं इसकी गरिमा बनाये रखना चाहता हूं। जब आजम खां साहब आते हैं तो मैं डर जाता हूं। मैं डर इस बात से जाता हूं कि आज फिर वेल में हंगामा हो जायेगा, बिना बात के हंगामा हो जायेगा। क्या यही शिक्षा आप मुझे देना चाहते हैं ? मैं व्यक्तिगत रूप से आदर करता हूं, आजम खां साहब का। हम आपसे अच्छी बातें सीखना चाहते हैं, आप अच्छी बातें भी करते हैं लेकिन आप किसी को खुश करने के लिये, अपना महत्व बनाने के लिये, पार्टी का महत्व बनाने के लिये इस सदन का समय जाया करेंगे तो हम सब भी वही करेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप हमको अच्छी

शिक्षा दीजिए और हमारे बजट पर हमें मुबारकबाद दीजिए कि बजट इतना अच्छा है और बहन जी की तारीफ करिए, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

श्री इमरान मसूद।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

जिस क्रम में समाजवादी पार्टी की ओर से सूची दी गयी है उसी क्रम में बुला रहे हैं।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और निश्चित रूप से यह जो बजट सरकार ने पेश किया है 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की बात सरकार ने कहने का काम किया है। मान्यवर, यह बजट न सर्वजन हिताय है और न सर्वजन सुखाय है। मान्यवर, एक अच्छी बात इस बजट को पढ़ते हुए मुझे मिली कि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो उन्होंने अपने महान पूर्वजों का जिक्र शुरू में किया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी सिर्फ बहुजन की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं। पूरे प्रदेश के अन्दर रहने वाला करोड़ों अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी आशाओं के साथ यह सोच रहा था कि शायद इस मुल्क के अन्दर, प्रदेश के अन्दर रहने वाले अल्पसंख्यकों का उद्धार करने वाली यह शख्सियत जिसने इस प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण किया श्री सर सैय्यद अहमद जी का नाम इसमें रखती तो शायद यह समुदाय अपने आपको इस सरकार के साथ जुड़ा हुआ समझता। मान्यवर, बजट के अन्दर जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं यह अपने आपको ही काटने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

मान्यवर, 50 करोड़ की व्यवस्था लगभग 20 हजार नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिये की गई। मैं कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के अन्दर केवल मेरे जनपद में साढ़े तीन हजार नलकूपों का सहारनपुर में लक्ष्य है जिन्होंने आवेदन किया हुआ है। मान्यवर, एक नलकूप में करीब 40 हजार रुपये खर्चा आता है तो किस प्रकार से यह 50 करोड़ रुपये में 20 हजार नलकूपों को ऊर्जीकृत करेंगे यह समझ में नहीं आता। मान्यवर, पेयजल के लिये कोई कारगर योजना इस बजट में नहीं दी गई। मेरा क्षेत्र बड़ा दुर्गम क्षेत्र है। वहां पर बरसात में पानी नहीं रुकता है वह बहकर बाहर चला जाता है और वहां पर भूजल स्तर बहुत नीचे है। मान्यवर, सरकार ने वहां पर बिजली कटौती नहीं करने की घोषणा की थी लेकिन बहन जी के चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद वहां पर फिर से कटौती शुरू हो गई है। मेरे क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है। हजारों हेक्टेयर भूमि बिना सिंचाई के पड़ी हैं जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो 100 नलकूप योजना लागू की गई ताकि उसकी हजारों हेक्टेयर भूमि को पानी मिल सके लेकिन इस बजट में उसका

कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, लघु सिंचाई के लिये आपने कहा कि डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना के अन्तर्गत 14 नलकूपों की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, एक क्षेत्र के लिये पिछली सरकार में 100 नलकूप और अब पूरे प्रदेश के लिये कुल 14 नलकूप। तो 14 नलकूपों के साथ पूरे प्रदेश को कैसे सिंचित करेंगे। मान्यवर, निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के लिये 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यह योजनावर्ष 1985 में शुरू की गई थी और इस योजना के अन्दर सामान्य जाति के किसान को 4 हजार रुपये और अनुसूचित जाति के किसान को 6 हजार रुपये देने का काम होता है। मान्यवर, किस प्रकार से 60 करोड़ रुपये में 2 लाख निशुल्क बोरिंग करायेंगे। इसलिए मान्यवर, यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन है और तथ्यों के विपरीत है। मैं बताना चाहता हूं कि मा0 काशी राम नगर विकास योजना में दो सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था नगरीय अवस्थापना के लिए की गयी। आप अम्बेडकर उद्यान के लिये 322 करोड़ की व्यवस्था करते हैं, रमाबाई वाटिका के लिये 44 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अन्दर मा0 काशीराम नगर विकास योजना के लिये दो सौ करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं, तो यह कैसे सम्भव हो पायेगा। मान्यवर, प्रत्येक नगर की अलग-अलग जरूरतें हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे अपने नगर के अन्दर 40 करोड़ रुपये सीवरेज सिस्टम के लिये और 48 करोड़ रुपये की योजना पीने के पानी के लिये पड़ी हुई है जिसके लिये अंशदान सरकार द्वारा दिया जाना है, जब यह अंशदान सराकर देने का काम करेगी तब यह योजना लागू होगी।

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, आपसे आग्रह है कि जल्दी समाप्त कर दें।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं सुन लें। मान्यवर, प्रदेश में हजारो हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है। आज किसानों के अन्दर हाहाकार है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार वहां पर जायट्रोफा प्लान्टेशन कराने का काम करे। जायट्रोफा वह पौधा है जिसको न पानी चाहिए, जिसको देखभाल कुछ नहीं चाहिए, अगर जायट्रोफा का प्लान्टेशन हम लोगों ने बड़े पैमाने पर कराने का काम कर दिया तो जो हमारी खराब पड़ी हुई भूमि है, उस भूमि पर पैदा होने वाली जायट्रोफा की फसलों से किसानों को एक अच्छी आय मिलने लगेगी और हम बायो डीजल के निर्माण में अग्रणी प्रदेश बनने का काम करेंगे। मान्यवर, इस पर केन्द्रीय सरकार की बहुत सारी सब्सिडी है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज कानून व्यवस्था के नाम पर बहन जी ने बहुत लम्बा चौड़ा भाषण पढ़ने का काम किया, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कानून व्यवस्था के नाम पर केवल प्रतिपक्ष को पीड़ित करने का काम किया जा रहा है। मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूंगा। मान्यवर, 28 जून को मैंने इस पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया कि मेरे थाने का इंस्पेक्टर प्रेस कांफ्रेंस करके मुझे अपमानित करने का काम किया है। इस पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आपको अपमानित करने का काम नहीं किया जायेगा। संसदीय कार्य मंत्री जी इस समय नहीं हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब

बैठे हैं, आपके आश्वासन के बाद हमें बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक लिस्ट जारी हुई प्रदेश में माफियाओं की और उस लिस्ट में मेरा नाम भी था। मान्यवर, मेरे ऊपर कभी धारा 107/17 नहीं लगी, धारा 151 नहीं लगी, मैंने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, कहीं लूट नहीं की, डकैती नहीं की, कब्जा नहीं किया, अपहरण नहीं किया और मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाये जा रहे हैं। मुझे बदनाम करने का काम कियाजा रहा है। आज मैं बोलने का साहस इसलिये कर पा रहा हूं कि कल मैंने मा0 अध्यक्ष जी को अपनी पीड़ा कहने का काम किया। अगर यह बात सरकार के संज्ञान में है तो निश्चित रूप से यह गम्भीर बात है और अगर सरकार के संज्ञान में नहीं है, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से कहना चाहूंगा कि ऐसा बेलगाम अफसरों के ऊपर लगाम लगाने का काम किया जाय। एक बात और कहना चाहता हूं कि उस दिन 12.00 बजे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जौहर विश्वविद्यालय पर वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि कुछ नहीं होगा और साढ़े चार बजे बुल्डोजर चलाया गया तो सदन में इस तरह के आश्वासन न दिये जायें। जो सदन में आश्वासन दिये जायें उसका निश्चित रूप से पालन होना चाहिए। अन्त में आपने मुझे बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट जी का नाम पुकारे जाने पर अनेक मा0 सदस्य खड़े हो गये)

अधिष्ठाता-

हमारे पास नामों की सूची आयी है हम उसी के अनुरूप बुलायेंगे। आजाद जी आप बैठ जायें आपका नाम है, महाना जी आपका भी नाम है अभी आप बैठ जायें। मैंने श्री गौरी शंकर एडवोकेट जी का नाम पुकार लिया है, कृपया उन्हें बोलने दें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और यह जो वर्तमान बजट है जिसको कि प्रस्तुत किया गया है उसके प्रथम पृष्ठ से ही मैं अपनी बात को प्रारम्भ कर रहा हूं और आपने कहा कि "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" और यह अच्छा श्लोगन एवं सिद्धान्त है आपने यहां पर रखा और इसको दोहराने की जरूरत नहीं समझता क्योंकि इसमें समय लगेगा और भगवान बुद्ध का अमर संदेश है कि-

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम
उदार चरितानांतु बसुधैव कुटुम्बकम्

जब आपकी इतनी बड़ी सोच है कि वसुधा मात्र हेतु ही भगवान बुद्ध का संदेश था कि वसुधा को ही एक परिवार माना गया। तो देश को परिवार मानिये, प्रदेश को परिवार मानिये और हर दल जो भी उसको परिवार की तरह सोचता हो उसको परिवार की तरह समाहित करिये। अब आपने यदि यह भाव रखा होता और आपने कहा भी कि हमारी सरकार का लक्ष्य समाज में व्याप्त गैर बराबरी वाली समाज व्यवस्था को बदल कर एक समतामूलक समाज व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें सर्वजन और सर्वसमाज का हित निहित है। यही मंशा बहुजन समाज में समय-समय पर

जन्मे सन्तों, गुरुओं और महापुरुषों की भी रही हैं इस देश में समतामूलक समाज की व्यवस्था स्थापित करने में यह आपने बात कही है खासतौर से महापुरुषों का नाम लिया। यह समतामूलक समाज व्यवस्था की स्थापना का सवाल है हमारा मानना है कि यहां अकेले बहुजन समाज को संगठित करके समतामूलक समाज व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती और इसके लिये सवर्ण हिन्दुओं को भी साथ लेकर चलना होगा। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब डा0 भीम राव अम्बेडकर के समतामूलक समाज व्यवस्था अस्तित्व में आ सकती है जहां आपने इस बात का उल्लेख किया वहीं भारतीय संविधान के रचयिता डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर जी के आर्टिकिल 14 को भूल गये जो कहता है "इक्यूलिटी बिफोर ला और आर्टिकिल 15 कहता है अनुच्छेद-15 कहता है कि प्रोहिबिशन आफ डिस्क्रीमिनेशन आन ग्राउण्ड्स आफ रिलीजन रेस कास्ट, सेक्स आर प्लेस आफ बर्थ" किसी प्रकार के वर्ग के हिसाब से किसी प्रकार से भेदभाव नही होगा तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह भेदभाव कैसा ? आपने आते ही आते जन हित में चलाई जाने वाली जो योजनाएं थीं उनको आते ही बन्द कर दिया। ऐसा कौन सा आपका मानक था, आपके पास कौन सा मापदण्ड था कि आपने इन्हें बन्द किया। इसमें क्या कमी थी ? जरा यह बतायें। आपने पैरामेडिकल कालेज बन्द किया, इसमें क्या आपत्ति थी ? इसलिये कि प्रदेश की सरकार जो भी हो उसके पास जनता का पैसा होता है और वह जनता के हित के लिये होता है। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय होता है, यह सभी का मूल सिद्धान्त है तो फिर वह आपका सिद्धान्त कहा चला गया ?

आपने पैरामेडिकल कालेज बन्द किया दो न्यू इंजीनियरिंग कालेज बन्द किये, डा0 लोहिया लौह इन्स्टीट्यूट को बन्द किया, आठ तक बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, कापी-किताबें सभी जातियों की लिये थी उसको बन्द किया। कन्या विद्याधन योजना जो किसी एक वर्ग विशेष के लिये नहीं थी, 20 हजार रुपया मिलता था और उसमें परिवार में अगर तीन लड़कियां हैं तो 60 हजार रुपया आता था और उस 60 हजार रुपये में एक लड़की की शादी हो जाती थी और उसके बाद फिर नम्बर आ जाता था तो आगे लड़कियों की शादी होती थी, सबके लिये था। इसी तरह दिल्ली से नियोडा मैट्रोपोलिटन योजना थी, ग्राम्य तालाब योजना थी, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिये क्या योजना आपने अपनाई उसका कोई उल्लेख नहीं। अधिवक्ताओं के लिये चैम्बर बनाना क्या बुरा था ? उसको बन्द किया, उसकी जगह क्या लाये ? उसका कोई उल्लेख नहीं। बेरोजगारी भत्ता बंद किया, आपने कहा नौकरी दे देंगे यह सम्भव नहीं है। लगभग 34-35 साल हो गये हमने देखा है कि कोई भी सरकार, कोई भी समाज इतना सक्षम नहीं हो सकता है कि वह कह दे कि हम सबको नौकरियां दे देंगे क्योंकि कितने लाखों लोग आते हैं, ग्रेजुएट बनते हैं, इसलिये यह कहा गया था कि या तो रोजगार दो नहीं तो जब तक रोजगार न दो तब तक बेरोजगारी भत्ता दो। इसमें हर वर्ग बिरादरी के लड़के थे और उन लड़कों से पूछो आप यूनिवर्सिटी में जाइये, मैं खुद वर्तमान में भी यूनिवर्सिटी में पी0एच0डी0 कर रहा हूं हमसे लोग पूछते हैं कि आप बताइये कि बेरोजगारी भत्ते में क्या कमी थी ?

श्री अधिष्ठाता-

आप जल्दी समाप्त करें। माननीय गौरी शंकर जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं सामान्यतः एक सदस्य को पांच मिनट का समय दिया गया है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मुझे बहुत समय नहीं लेना होता है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं यहां हमारे बहुत से साथी लोग बैठे हैं, और मंत्री पदों पर बैठे हैं। शासन सत्ता के लोग बैठे हुए हैं, इतने न हो जाइये दम्भ में चूर कि सब बात आपके दिमाग से निकल जाय और मान्यवर, इसीलिये खासतौर से इस बात का उल्लेख करता हूं कि-

इतिहास के पन्नों ने वे दौर भी देखे हैं
कि लमहों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई।

जो गलतियां करते हैं उन्होंने सजा पायी है। यह लम्हे होते हैं। जो दम्भ में चूर होकर काम करते है। उनके लिये संदर्भित है कि-

"आंधियां मगरूर दरख्तां को पलट जाती है
बस वही साख बचती है जो लचक जाती है
आसमां छूने का खुद ही हो जायेगा अहसास
जब जमीं पैरों से निकल जायेगी।"

मान्यवर, सड़कों को गड्ढामुक्त करने की योजना थी उसमें क्या बुरा था। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास की योजना थी आज पूरा प्रदेश उससे प्रभावित है एक बकायदा उसके लिये प्रावधान किया गया था वह क्या बुरा था। असेवित ब्लाक में इण्टर कालेज/डिग्री कालेज खोलने की योजना थी वह क्या बुरी थी। इसी तरह से त्वरित विकास योजना थी वह क्या बुरी थी। लोहिया विकास योजना थी हमारी सरकार की, आपने डा0 अम्बेडकर जी के नाम पर योजना बनायी है। यह मान्यवर, मूलभूत सिद्धान्त है कि समतामूलक समाज के वे सभी प्रणेता रहे हैं। अब किसी का भी नाम हो क्या खराब किया था ? इसी तरह से लोकतंत्र सैनानी सम्पन्न योजना थी उसमें क्या बुराई थी ? भूमि सेना योजना थी उसमें लक्ष्य बनाये गये थे उसमें क्या बुरा था ? मान्यवर, इन सब चीजों को सभी को सोचने की जरूरत है।

मान्यवर, अब प्रदेश की आय व्यय की स्थिति को देख लें। टैक्स से 35000 करोड़ थी उसमें 21 हजार करोड़ तनख्वाह पर खर्च करते हैं। नान टैक्स में 11 हजार करोड़ की आय है हम 11 हजार करोड़ रु0 ब्याज देते हैं। इस तरीके से टोटल आय की मद में 46 हजार करोड़ रु0 आते हैं। हम 5800 करोड़ पेंशन की मद में देते हैं। इस तरह से टोटल खर्च 37800 करोड़ रु0 आता है। हम क्या करना चाहते हैं। हमारी समझ में नहीं आता है, प्रदेश में इतना कर्जा है। आपको प्रशंसा करनी चाहिए थी पिछली सरकार की जिसके समय में घाटे की पहले ही पूर्ति कर दी गयी थी। आपको विकास को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए बल्कि विकास के लिये प्राथमिकतायें तय होनी चाहिए। सरकार कोई भी प्राथमिकता वही रहनी चाहिए नहीं तो पूंजी निवेश

होना बन्द हो जायेगा। मान्यवर, विकास के लिये चार आवश्यक चीजें हैं जिन पर चिन्तन करने की आवश्यकता हैं अच्छा नियोजन, अच्छे नियोजन पर अच्छा क्रियान्वयन, उसकी मानीटरिंग तथा विकास योजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन। अब मान्यवर, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना आयेगी इस पर आपकी क्या नीति होगी इसको बताने की जरूरत है। इसी तरह से जैसे पूर्वांचल विकास निधि है बुन्देलखण्ड विकास निधि है उसी तरह से मध्यांचल विकास निधि भी बननी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय गौरी शंकर जी, आप समाप्त करें।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

मान्यवर, मैं पन्ने सब लाया था यह यूं ही रख रहा हूं।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, माननीय गौरीशंकर जी वरिष्ठ सदस्य हैं उनको मौका दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

आप अपनी पार्टी के सदस्यों का समय ले रहे हैं।

माननीय गौरी शंकर जी, कृपया आप अपना स्थान लें, मैंने महाना जी को बुला लिया है। आप अपनी बात समाप्त करें।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जब कोई सरकार आती है तो उसकी कोई नीति निर्धारित होती है और नीति अपनी जनमानस तक जनहित में किस प्रकार वह ले जायेगी यह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। जनता के बीच में इस सरकार की पहली छवि, जैसा कि इस बात को कहा जाता है कि होनहार बीरवान के होत चीकने पात।

(श्री गौरी शंकर के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय गौरीशंकर जी की [illegible] नहीं जायेंगी।

माननीय अम्बिका चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ है कि थोड़ा-थोड़ा समय देकर ज्यादा लोगों को बुलवायें।

कृपया अपने माननीय सदस्य को समझायें, यह आपका पत्र मेरे पास है।

आपकी कोई बात नहीं [illegible] जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पालने में उसके बारे में पता चल जाता है। मान्यवर, यह सरकार बनी और सरकार बनने के बाद इनका पहला बजट आया और पहला बजट जिस समय आया उस समय इस बात को देखने को मिला कि बहुत सारी स्थितियां जो प्रदेश के विकास के लिये होंगी वह जनमानस के बीच में आयेंगी। लेकिन जो पहला बजट आया उसमें बहुत बढ़िया नारा जरूर लिखा होगा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। लेकिन सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के बारे में इसमें कोई बात नहीं लिखी है। मान्यवर, केवल इस बात का नारा देने के बाद, किताबों के अन्दर लिख देने के बाद प्रदेश का हर व्यक्ति खुशहाल हो जायेगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिये वहां उद्योग होना आवश्यक है। मैं इस बात से सहमत हूं कि विगत कुछ दिनों पहले जो एक औद्योगिक विकास परिषद् थी उस औद्योगिक विकास परिषद् से कुछ सदस्यों का विकास अवश्य हुआ होगा, प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ लेकिन इस सरकार के द्वारा भी पूरे बजट भाषण में मैने कई बार कागज पलट कर देखा, पन्ना पलट कर देख लिया पन्ना नम्बर एक से आखिरी पन्ना तक उद्योग नाम की कोई चीज नहीं थी। माननीय उद्योग मंत्री जी बैठे हैं बड़े वरिष्ठ हैं, बहुत संवेदनशील हैं बहुत मैं उनका आदर करता हूं लेकिन उद्योग से सम्बन्धित कोई बात नहीं है तो रोजगार से सम्बन्धित कोई बात नहीं होगी, उद्योग से सम्बन्धित कोई बात नहीं होगी तो रेवेन्यू से संबंधित कोई बात नहीं होगी, उद्योग से सम्बन्धित कोई बात नहीं हो तो विकास से संबंधित कोई बात नहीं होगी। मान्यवर, मैंने बहुत पलट कर देख लिया हो सकता है कि मेरी इस बजट की किताब से कोई पेज गायब हो गया हो तो मुझे नहीं मालूम लेकिन इस पूरे बजट भाषण में उद्योग का कोई नाम नहीं है। मान्यवर, उद्योग नहीं होगा तो प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे विषय थे जो नई सरकार के पास आने चाहिए थे वह आये नहीं अब पहले बजट में कोई अच्छी बात आती तो मुझे प्रशंसा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। लेकिन जो कमियां होती हैं तो विपक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट करे। मान्यवर, केवल इस बात के लिये कि पूर्ववर्ती सरकार क्या करती थी उसका निर्णय पलट देना चाहिए इस बात तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

मान्यवर, विधायक निधि बढ़ाने की बात हुई जिस समय यह सरकार बनी तो मई में यह सरकार बनी। भयंकर गर्मी, आम जनमानस पीने के पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहा, पीने का पानी आम जनता को मिले यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी-कभी हम सारे के सारे विधायक जनता से चुनकर आते हैं चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों जनता चुनती है हम सब लोगों को बराबर से, वह व्यवस्था लोकतांत्रिक हो सकती है कि कौन उधर बैठेगा कौन इधर बैठेगा लेकिन जिम्मेदारी हम सब लोगों की बराबर की है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि क्या यह बात सच नहीं है कि विगत दो महीने के अन्तर्गत हम सब जो अपनी विधान सभाओं से आते

हैं जनता और जनमानस पीने के पानी के लिये हमारे पास शिकायत लेकर आती है, हैण्डपम्प खराब पड़े हैं तो हैण्डपम्पों को ठीक करने की बात करते, रिबोरिंग की आवश्यकता है तो रि-बोरिंग की बात करते, आवश्यकता है तो नये हैण्डपम्प की बात करते मान्यवर, कोई न कोई प्राथमिकता तो होनी ही चाहिए। अगर सरकार बनने के बाद यह प्राथमिकता हो सकती है कि कोई एक शानदार इमारत खड़ी कर दी जाय तो सरकार बनने के बाद यह भी प्राथमिकता हो सकती है कि खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराकर आम जनता को पानी देने के लिए प्राथमिकता दी जाय। उसके बाद यह भी प्राथमिकता हो सकती थी कि खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराकर आम जनता को पानी देने के लिये प्राथमिकता पर व्यवस्था की जाय। हैण्डपम्प विधायकों को 200-200 मिलते थे, सभी 403 विधायकों और विधान परिषद् के सदस्यों के लिये, इसे तत्काल जारी करने की आवश्यकता है। 'क्या बरखा जब कृषि सुखानी' जिस समय गर्मी निकल जायेगी, बारिश हो जायेगी, तब तक आदमी तड़प-तड़प कर बेहाल हो जायेगा, उसके बाद अगर हैण्डपम्प गये तो तब तक पानी का लेवल भी ऊपर हो जायेगा, तब हैण्डपम्प सही तरीके से लग भी नहीं पायेंगे। मान्यवर, माननीय नसीमुद्दीन साहब वरिष्ठ मंत्री हैं, वह जो कुछ सरकार में कहते हैं, मुझे मालूम है कि एक मिनट में वह मान लिया जाता है। मान्यवर, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जब आपका हैण्डपम्प देना ही है और मुझे मालूम है कि आपको देना ही है। घोषणा किसे करनी है केवल यह बात हैं मुझे भी मालूम है और आपको भी पता हैं आप भी बहुत महत्वपूर्ण पद रखते हों, आप ही घोषणा कर दो। 200-200 हैण्डपम्प सभी विधायकों को दे दो, जनता की कम से कम प्यास बुझाने का काम तो करो।

(कई सदस्यों द्वारा 500-500 की आवाजें)

मैं तत्काल 200-200 कह रहा हूं, बाद वाली बात अलग है। हमारे सभी माननीय सदस्य 500 कह रहे हैं, यह सदन सर्वोपरि है और सदन के सभी सदस्यों की जो भावना हो, तो मुझे उस भावना के साथ जुड़ने में प्रसन्नता होती है। सबकी भावना 500 की है तो मैं 500 कह दे रहा हूं लेकिन तत्काल 200 हैण्डपम्प भेज देंगे तो कृपा होगी।

मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा जितना समय आपने निर्धारित किया है, उतने समय के अन्दर ही अपनी बात कहूंगा। यह बात सच है, मैंने कहा कि अगर कोई अच्छी बात होगी तो उसे कहने में कोई हर्ज नहीं है। गुण्डों और अपराधियों के ऊपर एक संदेश गया है लेकिन कहीं गेहूं के साथ में घुन तो नहीं पिस रहा है, इसको भी बड़ी सावधानी के साथ देखना पड़ेगा। कानून कहता है नियम कहता है कि किसी निर्दोष आदमी को कभी नहीं फंसाना चाहिए। मान्यवर, अगर कहीं-कहीं भाई भाई का झगड़ा हो गया तो अपराधी करार करके उनको जेल के अन्दर डाल देना, यह ठीक नहीं है इसके लिये ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, कभी-कभी होता है कि प्रदेश की सरकार की मंशा बहुत साफ होती है और है भी कानून व्यवस्था के मामले में मैं कहता हूं लेकिन नीचे के स्तर पर भी इसका दुरुपयोग न हो, यह बड़ी सावधानी से देखने

की आवश्यकता है। यह मेरा सुझाव है। मैं किसी भी प्रकार से सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं। जो बात अच्छी है उस बात को सार्वजनिक रूप से सदन में कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मान्यवर, उद्योग के साथ बिजली जुड़ी है और बिजली के साथ उद्योग जुड़ा है। आपने डेढ़ महीने में ऐसा कौन सा सुधार कर दिया कोई ऐसे पावर संयंत्र लगा दिये जिससे पावर जनरेशन बहुत बढ़ गया और बिजली के अन्तर्गत बहुत सुधार हो गया। अगर कोई ऐसी जादुई छड़ी करके इन्होंने कर दिया हो तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन बिजली की स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसी भी कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है, अगर इसमें प्रगति नहीं होगी तो कैसे चलेगा। मान्यवर, मैं कानपुर महानगर से आता हूं। नोएडा चूंकि नेशनल रीजन कैपिटल के अन्तर्गत आता है, उसके बाद कानपुर महानगर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। कानपुर महानगर को विद्युत कटौती से मुक्त करने के लिये मैं माननीय नसीमुद्दीन जी से निवेदन कर रहा हूं क्योंकि सबसे वरिष्ठ मंत्री यही हैं। मेरा निवेदन है कि मैं बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखूंगा। आप उसमें से कुछ न कुछ अवश्य मानोगे, मुझे ऐसा लगता है।

मान्यवर, नगर विकास के लिये हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि दो सौ करोड़ रुपये पूरे प्रदेश के लिये हैं मान्यवर, एक योजना केन्द्र सरकार ने अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत चलाई, उसमें कुछ शहरों को लिया गया, हजारों करोड़ की योजना है। इसके बाद वह कहते हैं कि 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार को देना है, 30 प्रतिशत लोकल बाडीज को देना है, वह किस हिसाब से देंगे, यह एक अलग विषय होगा। जिस समय नगर विकास विभाग का बजट आयेगा तब मैं इस पर अलग से बोलूंगा। लेकिन प्रदेश सरकार ने बजट के अन्तर्गत उसका प्रावधान नहीं किया और मैंने पूरे बजट में पढ़ने की, ढूंढने की कोशिश की कि 20 प्रतिशत हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित कर देंगे यह कहीं मान्यवर, मुझे तो मिला नहीं। केन्द्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं, हम उनका लाभ भी उठाने के लिये तैयार नहीं हैं। हम उनके साथ अपना अंश देने को तैयार नहीं हैं। 50 प्रतिशत वह दे रहे हैं, 30 प्रतिशत लोकल बाडीज को देना है, 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार दे देगी तो कुछ शहरों का भला हो जायेगा। मान्यवर, यह भी कहीं हमको दिखाई नहीं पड़ता। मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे आज सदन के अन्दर मैंने महंगाई का विषय उठाया था। जमाखोर और कालाबाजारी हावी होते चले जा रहे हैं। महंगाई मान्यवर, कोढ़ बनकर आम गरीब आदमी को खाता चला जा रहा है। इसके लिये सरकार को तत्काल चिन्ता करने की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो दीर्घकालिक योजनाएं होती हैं। जिनको तत्काल प्रभाव से देखने की आवश्यकता होती है।

मान्यवर, कानपुर महानगर में गंगा बैराज एक महत्वपूर्ण योजना बनी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस समय मेरे पास नगर विकास विभाग का दायित्व था, उस समय मैंने इसको पूरा करने का काम किया और इस बात की भी मुझे खुशी है कि उसका शिलान्यास आदरणीय

मुख्य मंत्री बहंन कुमारी मायावती जी ने किया। मान्यवर, उस शिलान्यास को पूरा करने का काम मैंने किया लेकिन अभी भी कुछ काम अवशेष है, जिसके पूरा हो जाने से पूरे कानपुर को पानी मिल सकेगा। जब यह योजना शुरू की थी तब मैं सरकार में मंत्री था और उस समय मुख्य मंत्री मायावती जी थी, उस समय कुछ काम शेष रह गया था मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसे पूरा करायें। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि शहरों में भी आबादी की बहुत बड़ी समस्या है, उसे समायोजित करने की जरूरत है। गांवों में जिस प्रकार से किसानों को सुदृढ़ करने की जरूरत है क्योंकि जब किसान सुदृढ़ होगा तो देश और प्रदेश सुदृढ़ होगा लेकिन शहरों का भी महत्व कम नहीं किया जा सकता शहरों का भी बहुत महत्व है और शहरों की ओर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी 200 हैण्डपम्पों की घोषणा कर दें, बहुत बड़ी कृपा होगी, सारे के सारे सदस्य आपको धन्यवाद देंगे और जिस गरीब आदमी को वह पानी मिलेगा हम उसे भी बता देंगे कि यह हैण्डपम्प माननीय मंत्री जी ने लगवाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

चौधरी सत्यपाल सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बजट सामने आया, बहुत गम्भीरता से सभी माननीय सदस्यों ने उसे पढ़ा और सुना। मैं कहना चाहता हूं कि गांवों के विकास से ही देश एवं प्रदेश की तरक्की होगी, उत्तर प्रदेश एवं एक देश की तरक्की करनी है, तो प्रत्येक गांव का विकास बहुत जरूरी है। किसानों, मजदूरों और गरीबों के नेता स्वर्गीय चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर जाता है। मान्यवर, गांवों की आबादी जिस संख्या में बढ़ रही है सरकार द्वारा बेरोजगारों को नौजवानों को नौकरी देने का सवाल हो, चाहे भत्ते का सवाल हो, इससे किसी तरह की सांत्वना और तसल्ली आज के नौजवानों को होने वाली नहीं है। चौधरी साहब की अर्थनीति थी कि जब तक गांव-गांव में लघु और कुटीर उद्योग नहीं लगायेंगे तब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा तब तक इस देश और प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि लघु और कुटीर उद्योगों के लिये जिससे गांव में रहने वाले हर वर्ग के नौजवानों को काम मिले। उसके लिये इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार के लिये बजट में प्रावधान किया जाए। जो डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना शुरू की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन पिछली सरकारों ने हर विधायक को दस-दस गांव समग्र ग्राम विकास योजना का प्रस्ताव देने का फैसला किया था लेकिन इस सरकार ने डा0 अम्बेडकर ग्राम योजना में गांवों की संख्या घटाकर पांच-पांच कर दी है। मेरा आपसे निवदेन है कि गांव के विकास के लिये हर विधायक को दस-दस गांवों का प्रस्ताव देने का अधिकार दिया जाय कृषि के लिये बहुत अच्छी बात है कि कृषि पर पैसा दिया गया है। माननीय कृषि मंत्री जी कल बता रहे थे लेकिन एक समस्या पूरे प्रदेश में है और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, किसानों की फसलों को

जंगली जानवर जैसे नीलगाय, जंगली सुअर बड़ी तादाद में नष्ट कर देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के खेतों को बचाया जाए, किसान खेती करते हैं, बीज बोते हैं, लेकिन उसको जंगली जानवर द्वारा पूरी तरह से उजाड़ दिया जाता है मान्यवर, इसके लिये भी इस बजट में प्राविधान किया जाए। अभी मैं पढ़ रहा था वृद्धावस्था पेंशन के बारे में जिसमें कहा गया है कि इसे डेढ़ सौ से बढ़ाकर तीन सौ रुपये कर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने इसी योजना के तहत 200 रुपया कर दिया है और सिर्फ 100 रुपया प्रदेश सरकार ने दिये हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार 200 रुपये दे और इस वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपया कर दिया जाए। बिजली का जहां तक सवाल है तो बहुत बड़ा बजट सरकार ने पेश किया है लेकिन आजकल जो किसानों की दशा है, ऊर्जीकरण के लिये मात्र 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में है। मैं यह कह सकता हूं कि यह बहुत कम धनराशि है। जब अम्बेडकर पार्क के सौन्दर्यीकरण के लिये, रमाबाई पार्क के लिये लगभग पौने 400-400 करोड़ रुपये दिये जा सकते हैं तो पूरे प्रदेश के किसानों के ऊर्जीकरण के लिये कम से कम 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था विद्युत कनेक्शन देने के लिये रखी जाए। आज सबसे बड़ी बिडम्बना यह है कि कोई भी सरकार आये, किसानों की बात करती है लेकिन किसांनों का हित नहीं हो पा रहा है। आज किसान विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है तो उसे 10 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर का कनेक्शन दिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि 3 हार्स पावर और 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन किसानों को दिया जाए। पिछड़े क्षेत्रों की बात आयी बुन्देलखण्ड को बुन्देलखण्ड निधि के रूप में धन दिया गया, पूर्वांचल को भी पूर्वांचल निधि के नाम से धन दिया गया, ठीक है जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको दीजिए। अभी आदरणीय गौरी शंकर जी मध्यांचल की बात कर रहे थे। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा राजस्व इस प्रदेश को देता है, उसके अनुपात में हमारे ऊपर खर्च किया जाए। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का सवाल है, आज वहां पर बेरोजगार नौजवान पूरी तरह से भटक रहा है, दिल्ली के आसपास के जो 20-22 जिले हैं उनमें बेरोजगार नौजवान चोर, डकैत और लुटेरों में तब्दील होता जा रहा है, कारण है कि रोजगार के लिये कोई अवसर नहीं हैं। यहां के लोगों की बेरोजगारी को दूर करने के लिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाईयां स्थापित की जाएं और हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाए। प्रदेश के हर हिस्से को, हर व्यक्ति को मांगने का अधिकार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब इलाहाबाद जाते हैं तो 600 से 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को काफी असुविधा होती हैं सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की व्यवस्था करे और यदि बेंच की स्थापना करना जल्दी सम्भव न हो तो जनहित में सस्ते दाम हेतु मोबाइल कोर्ट की स्थापना की जाए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 चौधरी साहब अब समाप्त करिये।

चौधरी सत्यपाल सिंह-

शिक्षा के ऊपर मैं थोड़ी सी बात कहूंगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के लगभग 1 लाख, 10 हजार रिक्तियां हैं, आज स्थिति यह है कि प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं। बजट में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिये कोई प्राविधान नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिये सरकार कोई प्राविधान करे। अगर प्राइमरी स्कूलों की यही दशा रही तो बेसिक शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो जायेगी। तमाम प्राइमरी विद्यालय हैं जो एकल विद्यालय है। मेरे क्षेत्र में 42 विद्यालय हैं जिनमें एक-एक अध्यापक नियुक्त हैं उनमें 200-250 से लेकर 400-500 बच्चे पढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिये केवल 10 करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान किया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

चौधरी सत्यपाल जी, अब समाप्त करिये और भी माननीय सदस्य हैं उनको अवसर दीजिए।

चौधरी सत्यपाल सिंह-

मान्यवर, 10 करोड़ रुपये का बजट पूरे प्रदेश के लिये है। मेरे क्षेत्र में एक अहिरौला ब्लाक खैर गांव है वहां पर एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, गांव के 5 मजरे हैं वहां केवल एक अध्यापक है, वहां पहले 400 बच्चे थे, अध्यापक न होने से अब केवल 30-40 बच्चे रह गये हैं। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बेसिक प्राइमरी स्कूलों में जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाय जिससे शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

चौधरी सत्यपाल सिंह-

जो सन् 1887 के प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन की डेढ़ सौवीं वर्षगांठ मनाई जा रही है उसके लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं है इसे 150वीं वर्षगांठ के लिये बजट में रखकर प्राविधान करें जिससे आने वाली पीढ़ी को अपने क्रान्तिकारियों एवं देश पर शहीद होने वाले अपने पूर्वजों की जानकारी हो और वह गर्व कर सके।

*श्री राम प्रकाश कुशवाहा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आदरणीया मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। आदरणीया मुख्य मंत्री द्वारा पेश किया गया उत्तर प्रदेश का वर्ष 2007-08 का बजट महामानव गौतम बुद्ध की परिकल्पना पर आधारित संघ की असल तस्वीर का परिचायक है। प्रदेश के अन्तिम व्यक्ति को शासन की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का अप्रतिम प्रयास बजट में किया गया है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से वृद्धावस्था, किसान व विधवा निराश्रित महिलाओं के लिये पेंशन को डेढ़ सौ से बढ़ाकर दो गुना करना एक उल्लेखनीय कदम है। सरकार द्वारा चार लाख नये पेंशनार्थियों को बढ़ाने से वंचित वर्ग में राहत पहुंची है। मान्यवर, अपराध के खिलाफ कटिबद्ध सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये बजट में जो प्रस्ताव किया है उससे पुलिसबल का मनोबल शिखर तक पहुंचेगा। इससे सरकार की अपराध मुक्त समाज की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती हैं गुण्डा, माफिया व असामाजिक तत्वों को जड़ से समाप्त करने के लिये शासन द्वारा बजट में प्रस्तावित राशि से जन सुरक्षा की भावना प्रगाढ़ होगी। नयी सरकार को गठित हुए सिर्फ डेढ़ माह हुआ हैं शान्ति व्यवस्था की तुलना करें तो यह सरकार अव्वल साबित हुई है। बजट में सर्वजन सुखाय का नीति वाक्य वास्तव में धरातल पर उतारा गया है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक किसानों, महिलाओं आदि वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाकर समान धारा में शामिल करने के लिये बजट में प्रस्तावित योजनाएं बेजोड़ हैं। पेयजल की समस्या प्रदेश की ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी है। परन्तु इस गम्भीर होती जा रही समस्या से निपटने के लिये जो सरकारी योजनाएं बजट में हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे पेयजल की समस्या का निदान होगा। बिजली अब समाज की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हो चुकी है। वर्तमान में बिजली की मांग व आपूर्ति का जो अन्तर प्रदेश में है उसको निश्चित रूप से पाटा जा सकता है। पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र के लिये लगभग दो गुना धन प्रस्तावित किया है। स्पष्ट है कि बिजली के लिये हाय तौबा मचाने के साथ केन्द्र पर आक्षेप लगाने वाली पिछली सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार वास्तव में बिजली की समस्या के निदान हेतु गम्भीर है। अभी कानपुर के सदस्य कह रहे थे कि कानपुर में बिजली की आपूर्ति लगभग पिछली सरकारों की तरह ही है मैं उनको बताना चाहता हूं कि कानपुर में आज विद्युत की आपूर्ति पहले से काफी अच्छी चल रही है। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। किसानों को सिंचाई के लिये पानी, बीज, खाद फसल सुरक्षा विपणन तथा कीटनाशक व मृदा परीक्षण आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बजट में जिस प्रकार महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित हैं उससे प्रदेश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि निश्चित हैं फसलें अच्छी होंगी तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का जो सपना माननीय कांशीराम जी ने देखा था वह बजट से दृष्टिगोचर होता है कि वह सपना हकीकत में साकार होगा। युग पुरुषों द्वारा दिखाये गये रास्तों पर चलना व उनकी स्मृतियां सहेजना सभ्य समाज की आवश्यक जिम्मेदारी है। बजट में डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक व संग्रहालय के लिये जो व्यवस्था की गयी है उससे भविष्य की पीढ़ियों के लिये बाबा साहब द्वारा सामाजिक परिवर्तन के लिये किये गये प्रयास जीवित होंगे। डा0 अम्बेडकर गांवों के विकास में पिछली सरकार द्वारा की गयी उपेक्षा किसी से छिपी नहीं है। ऐसी स्थिति में दुर्दशा को प्राप्त हो चुके डा0 अम्बेडकर गांवों के विकास हेतु बजट में प्रस्तावित डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना नामक नवीन योजना वास्तव में प्रशंसनीय है। अम्बेडकर गांवों का द्रुतगामी विकास इस योजना के

अन्तर्गत होगा तथा ये ग्राम विकास के सभी मानक पूरा करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में प्रस्तावित योजनाओं जिसमें कई पिछड़े जनपदों में जिला चिकित्सालयों का निर्माण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण आदि से प्रदेश की मान्यवर, गरीब जनता के स्वास्थ्य के प्रति सजग वर्तमान सरकार का सराहनीय कदम हैं इसके अलावा प्रदेश के हजारों लोगों के रोजगार के लिये रोजगार परक योजनाओं को बजट में प्राथमिकता दी है जिससे प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कर चिकित्सा शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिये नवीन योजनाएं बजट में प्रस्तावित की हैं उससे प्रदेश के पिछड़े तबकों के समाज में शैक्षिक उत्थान अवश्यंभावी है। अंततः मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि प्रदेश का बजट जो सुश्री बहिन मायावती जी ने पेश किया है वह एक सराहनीय बजट है और शिक्षा, कृषि एवं पेयजल सभी के बारे में इसमें समुचित प्राविधान है। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछली छुट्टी के दिन संडे को जब मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था तो एक महिला वहां आई और कहने लगी कि विधायक जी, अब कम से कम हम आराम से सब्जी ले सकते हैं, अपनी बेटी के साथ कानपुर तक जा सकते हैं। मैं विपक्ष के अपने सभी साथियों से जो खास तौर से कानून व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, उनसे कहना चाहता हूं कि आप आम जन मानस से जुड़ने का काम करें उसके बाद कानून व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी मिल जायेगी। मान्यवर, अब मैं ज्यादा न कहते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री बहिन मायावती जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2007-2008 के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें।

(माननीय श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मैं एक आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें। पांच मिनट का समय आपको मिलेगा।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, ठीक है। मान्यवर, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत साधारण बजट पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, यह बजट जो वर्ष 2007-2008 के लिये प्रस्तुत किया गया है उसमें पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिये कुछ नहीं कहा गया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थनगर जनपद के कपिलवस्तु में माननीय मुख्य मंत्री कुमारी मायावती जी स्वर्गीय कांशी राम जी के साथ 22 मई, 97 को गई थीं और वहां पर्यटन की दृष्टि से 7 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं और उनका शिलान्यास भी किया था, उसमें हवाई पट्टी भी शामिल थी। उसके बाद की सरकार ने उसको उखाड़ फेंक दिया। आज तक

वहां कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। मैं यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि कपिलवस्तु क्षेत्र के लिये विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था और कमिश्नर उसके अध्यक्ष हैं। मान्यवर, इसका न तो कोई स्टाफ है, न उसके कोई सदस्यों का गठन किया गया और न ही उसका कार्यालय ही बन पाया। मैं आपके माध्यम से यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि थाईलैंड, जापान, कम्बोडिया, श्रीलंका आदि की सरकारों ने वहां पर बौद्ध मंदिर निर्माण के लिये कहा था यदि इनको वहां पर जमीन दे दी जाय तो यह सरकारें वहां पर बौद्ध मंदिरों का निर्माण करेंगे और इससे हमारी सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। इसी तरह से मान्यवर, कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। मान्यवर, पिछले वर्षों में बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग जिला मुख्यालयों पर हर साल होती थी लेकिन अब की बार यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि इस तरह से बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग कराई जायेगी। मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग पूर्व की भांति कराई जाय ताकि अध्यापकों की कमी पूरी हो जायेगी। अध्यापकों की कमी के चलते आज तमाम स्कूल बन्द हैं या शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। इसी तरह से मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों से हमारे श्रमिक, मजदूर दक्षिण भारत या विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। मान्यवर, इन श्रमिकों के पलायन को बचाने के लिये कोई उपाय सरकार द्वारा नहीं किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नये उद्योग धंधे लगाये जायं ताकि हमारे यहां से जो इस तरह से मजदूरों व श्रमिकों का पलायन हो रहा है उसको रोका जा सके। मान्यवर, हमारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त इलाका है इसको बाढ़ से बचाने के लिये, इसको मजबूत करने के लिये इसमें कोई योजना नहीं है। मान्यवर, सहकारिता के विषय में कहना चाहता हूं कि पूर्वी इलाके में मेरे जनपद के जिला सहकारी बैंक में किसानों का 36 करोड़ रुपया जमा है और एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैंने तारांकित प्रश्न भी इस सम्बन्ध में लगाया था तो जवाब आया था कि आर0बी0आई0 रेग्युलेशन ऐक्ट के तहत कार्यवाही होगी। मान्यवर, सहकारिता किसानों और मजदूरों की रक्षा के लिये बनी है इसलिये यह सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब किसानों का जो पैसा इन सहकारी बैंकों में जमा है वह उनको वापस दिलाया जाय।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 1985 से लेकर आज तक कोई ट्यूबवेल नहीं लगा। जो ट्यूबवेल लगे हैं वह खराब हैं। नये ट्यूबवेल लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

पांच मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी हमारे बैठे हुए हैं। हमारा जनपद सिद्धार्थनगर नेपाल के बार्डर से सटा हुआ है दस किलोमीटर की रेंज में खाद का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। दस किलोमीटर में ढाई तीन लाख

की जनता बसती है और वह खाद लेकर कहां-कहां से आती है और जब एक बोरा खाद लेकर जनता दस किलोमीटर से आती है तो पुलिस पकड़कर उसको कहती है कि आप बाहर ले जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

उन गरीबों किसानों पर भी ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, अभी पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर चले गये मैंने एक प्रश्न किया था कि पिठनी का पुल जो जर्जर हो गया है और जो 1970 का बना है। उसको बनवा दिया जाए। इन्होंने कहा कि मरम्मत करा दिया है पुल चालू है लेकिन मेरे पास सूचना आई है कि वह पुल टूट गया है। शिक्षा के विषय में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां न कन्या डिग्री कालेज है इण्टर कालेज हैं न कोई टैक्निकल स्कूल है...

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

लुम्बनी दुद्धी मार्ग महत्वपूर्ण मार्ग है उसका 11 से 24 किलोमीटर एकदम खराब पड़ी है। 47वें कि0मी0 में पुल टूट गया है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जनपद में न तो महिला डाक्टर है, न स्टाफ है न पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 डी0 पी0 यादव जी, पांच मिनट में खत्म कर दें।

श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव-

मान्यवर, मेरे दल से कोई बोला नहीं है मैं पहला व्यक्ति खड़ा हुआ हूं तो कम से कम मुझे 20 मिनट का समय दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

अध्यक्ष जी के निर्देश हैं।

श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव-

मान्यवर, बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने बोलने का मौका दिया, आम बजट की साधारण चर्चा में हिस्सा लेने के लिये। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुनियादी जरूरतों से अलग है। तो भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने जन उपयोगी बजट दिया है और यह अच्छी कोशिश जरूर कही जा सकती है कि पूरे विभागों के लिये जिस तरह से अलग-अलग पिछली सरकार की तुलना में ज्यादा बजट दिया है। क्योंकि प्रदेश इतना बड़ा

है समस्यायें भी उतनी बड़ी हैं। प्रदेश में जो जरूरतें हैं वह इस कदर हैं कि जिधर भी नजर जाती है उधर गरीब लोगों की तो विशेषकर बहुत परेशानी है। मैं मुख्यतः कुछ बिन्दुओं को लेकर अपनी बात कहना चाहूंगा सुझाव के तौर पर भी, कुछ छोटे-छोटे सुझाव देने की कोशिश है मेरी। मुख्यतः जब हम समतामूलक समाज की बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात करते हैं तो जरूर हमको पूरे प्रदेश की गरीब जनता अभाव और परेशानी में रह रहे लोगों की तरफ देखकर अपनी बात कहनी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले शिक्षा, जो बुनियादी जरूरत ही नहीं बल्कि कह सकता हूं कि आज किसी भी सामान्य व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिये जरूरी है उस शिक्षा के लिये बहुत अच्छा बजट मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिया है तो भी प्रदेश इतना बड़ा है कि उस बजट को, पूरी शिक्षा की हालत को सुधारने के लिये समुचित नहीं कहा जा सकता है। यानि शिक्षा की स्थिति यह है कि कई जिलों और क्षेत्रों में तो मान्यवर, पहले मैं अपने क्षेत्र का जिक्र करना चाहूंगा। मान्यवर, मैं 26-सहसवान, जनपद बदायूं से विधान सभा में आया हूं, यानि कि इन 60 वर्षों में उस क्षेत्र को ऐसा देखने में बिल्कुल नहीं लगता है कि यह आजाद भारत का हिस्सा है। यानि पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी पी0जी0 कालेज, डिग्री कालेज वहां पर न होना इस बात का सबूत है कि आज तक सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी जैसे-तैसे निभाई, उसका जीता-जागता हुआ नमूना सहसवान क्षेत्र है। वैसे जनपद बदायूं वी0आई0पी0 क्षेत्र के रूप में पिछले 3-4 वर्षों से जाना जाता है। तत्कालीन मुख्य मंत्री भी वहीं से चुन कर आये थे लेकिन मुझको बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज भी बदायूं जनपद में, न तो सहसवान क्षेत्र में और न विसौली क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को छोड़ दीजिये, को शिक्षा के लिये भी कोई डिग्री कालेज, वहां पर बनाने का काम नहीं किया गया। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो बुनियादी जरूरत है, जो जिन्दगी को आगे बढ़ाने की सीख देती है, जो प्रदेश और देश के भविष्य को जोड़ने का काम करती है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मान्यवर, उच्च शिक्षा के बारे में महज दिल्ली और लखनऊ से मात्र कुछ दूरी पर बसा हुआ क्षेत्र आज भी शिक्षा के लिये तरसता है। मैं दूसरी बात किसानों को खेती की सुविधाओं के बारे में कहना चाहूंगा। यानि इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रदेश को देश के अन्दर कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है। कृषि के लिये जब एक सस्ते बीज, पानी और सुविधाओं का समीकरण नहीं बनता है, तब तक मैं समझता हूं कि किसान को किसी भी तरीके से यह नहीं कहा जा सकता कि हम किसान को बहुत बड़े सहयोग या कृषि के लिये बहुत बड़े बजट के रूप में कुछ दिया है। प्रदेश जितना बड़ा है, उसके अनुसार किसानों को यहां सुविधाओं के रूप में उसको जो कर्ज मिलता है, वह ब्याज रहित कर्ज के रूप में पैसा मिलने की सुविधा होनी चाहिये। लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने यह सुविधा किसानों को नहीं दी है, विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को। मान्यवर, गन्ना मंत्री जी यहां नहीं है, यह कहा गया है कि 30 अगस्त तक टोटल गन्ना किसान का पेमेंट हो जायेगा, यह बहुत स्वागत योग्य बात है लेकिन

जिन परेशानियों को गन्ना किसान झेलता है, किसान जिस परेशानी में रहता है, उसके अनुसार और सुविधायें देने का काम किया जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव-

मान्यवर, मैं एक दल के रूप में यहां मौजूद हूं और मैं पहला विधायक हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात समाप्त करें। ओझा जी आप अपनी बात प्रारम्भ कीजिये।

श्री धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव-

मान्यवर, जनपद बदायूं के उन सुझावों को मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र सहसवान तथा बिसौली में विद्युत व्यवस्था के सुधार के सम्बन्ध में जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र सहसवान तथा बिसौली में डिग्री कालेज की स्थापना के संबंध में विधान सभा क्षेत्र सहसवान तथा बिसौली की जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण के संबंध में और जनपद बदायूं के खराब पड़े हुए सरकारी नलकूपों की मरम्मत व रख-रखाव के संबंध में जनपद बदायूं की परिवहन व्यवस्था के सुधार के संबंध में, बदायूं के क्षेत्र सहसवान के अन्तर्गत नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्साधिकारियों व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती के संबंध में, जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत ग्राम सर्फाबाद, सौहर खाजाहीदाबाद में राजस्व विभाग द्वारा किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि का मुआवजा देने के संबंध में, नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों की अधिगृहीत की गई भूमि का समुचित मुआवजा दिये जाने के संबंध में कार्यवाही कराये जाने के मेरे सुझाव हैं इनको क्रियान्वित करने के लिये बजट में समुचित व्यवस्था का अनुरोध करता हूं। आखिर में मैं इस जनोपयोगी बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, यह जो बजट का प्रारूप मैंने देखा है, यह एकदम दिशाहीन और जनविरोधी बजट है। दिशाहीन मान्यवर, इसलिये कि जिस पार्टी की कोई राजनैतिक आडियोलोजी न हो, कभी हमारे साथ बैठते हैं, कभी तिवारी जी के साथ बैठते हैं तो जिस पार्टी का कोई पोलिटिकल आइडियोलाजी न हो, वह बजट कैसे बनायेगा। यह बजट आंकड़ों का एक मकड़जाल है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ नासमझ लोग यहां पर हैं। यहां पर आने से पहले कुछ पढ़ लिखकर आना चाहिये। हमारे सामने त्रिपाटी जी बैठे हैं। मान्यवर, हमने वर्ष 1950 में बेरोजगारी का नारा दिया था कि बेकारों को काम दो या बेकारी का दाम दो। मान्यवर, समाजवादियों ने जो भी नारा दिया आज से 50 साल पहले, जिसके लिये लाठियां खाई और जेल भी गये तो जब भी मौका मिला हमने उसे पूरा भी किया। मान्यवर, 1969 में नारा दिया-बिना मुनाफा खेतीबारी, लगे न उस पर माल गुजारी। तो जब हमारी सरकार बनी तो हमने उसे लागू किया। भले ही हमारी सरकार चली गई लेकिन हम अपने सिद्धान्त से नहीं हटे। हम हवा में नहीं जिंदा हैं। हम हवा में राजनीति नहीं करते हैं, हम जातियों की राजनीति नहीं करते हैं। जातियों की राजनीति करने वालों का हश्र तमिलनाडु में देख लिया होगा। एक बार आसमान दूसरी बार जमीन फिर आसमान फिर जमीन। मान्यवर, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता बन्द कर दिया कहा गया कि रोजगार देंगे, कौन सा रोजगार देंगे ? सुनिश्चित रोजगार 80 रुपया। त्रिपाटी जी हायर एजुकेशन के मंत्री जी है आज एम0ए0 पास लड़का 80 रुपये पर नौकरी करेगा। कौन सी योजना है नौकरी देने की। बेटियों ने आधा पेट खाकर ढिबरी के नीचे पढ़कर प्रथम श्रेणी प्राप्त की। आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 हो सकती थीं। लेकिन बाप नहीं पढ़ा सकता था तो हमने 20 हजार रुपये दिया बोलो क्या गलत किया हमने ? मान्यवर, गांधी जी तो चले गये, राष्ट्रपिता गांधी उत्तर प्रदेश से निष्कासित हो गये। यह तस्वीर है मान्यवर, यह कल तस्वीर रहेगी कि नहीं रहेगी, मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन जिसकी प्रेरणा, मेहनत से, जिसके दर्शन से श्री काशीराम जी के नाम पर यहां जो आए हो उनके नाम पर 200 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश के लिये। यही आपकी सोच है। मान्यवर, मैं 1989-90 में मंत्री था और मुझे याद है कि जो हमारी तहसील है वहां पर 100 ट्यूबेल लगवाये थे और आज पूरे प्रदेश में 14 ट्यूबेल दिये हैं। किसानों के हमदर्द हैं आप। हम तो बड़े अपराधी थे 17 हजार करोड़ के गन्ना बकाये का हमने भुगतान किया और 2600 करोड़ आप भी दे देना। गन्ना किसानों की जो दुर्दशा हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है। पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड का नाम लिया गया। बुन्देलखण्ड की नंगी तस्वीर हमारे मित्र ने पेश किया है। पूर्वांचल की तस्वीर इससे ज्यादा दुखदायी है। कितना पैसा दिया आपने 395 करोड़ रुपये दोनों के लिये। 19 जिले हमारे पूर्वांचल के और बुन्देलखण्ड को लेकर आपने दिया 395 करोड़ और शहर में पार्क को सजाने के लिये पैसे का जिस तरीके से प्रयोग हो रहा है। मान्यवर, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।

श्री अधिष्ठाता-

आपका 5 मिनट का समय समाप्त हो रहा है। अब समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, दे दिया 322 करोड़ रुपया, सजाइये शहर को मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आसमान में ले जाइये ऊंची बिल्डिंग को लेकिन हमारे गरीब पूर्वांचल को उजाड़ने का काम न करें।

इसकी छूट आपको नहीं दी जायेगी। झोपड़ी को उजाड़कर महल बनाने की छूट नहीं दी जायेगी। मान्यवर, आधा पूर्वांचल बाढ़ से डूब जाता है। महाराजगंज, संतकबीरनगर, देवरिया बाढ़ से डूब जाता है। इसके लिये कोई योजना आपने दी है। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आपने नारा दिया सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का, इसको आधार बनाकर जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उन इलाकों के लिये कुछ धन तो दीजिये। एक बात और कहना चाहता हूं बौद्ध परिपथ की बात कही गई थी पहले, यह बहुत ऊंची परियोजना थी सुश्री मायावती, मा0 मुख्य मंत्री जी की और उन्होंने खुद यह अभियान चलाया था, वह अभी भी वहीं पड़ी हुई है, हमने इसमें कुछ काम किया था लेकिन इस बजट में कोई इसकी चर्चा नहीं की गई है। यह अन्तर्राष्ट्रीय परिपथ है, जापान इसमें काफी पैसा दे रहा है, विदेशी बुद्ध देश पैसा दे रहे हैं, आप भी तो कुछ देने की बात कीजिये। यह सुनिश्चित होना चाहिये कि इस वित्तीय वर्ष में इस योजना को पूरा किया जाय। मान्यवर, गोरखपुर से नैपाल जाने के लिये एक बहुत छोटी सड़क है, गोरखपुर-पिपराईच, परतावल छोटा बारी नैपाल का बार्डर है। यह सबसे कम दूरी की सड़क है, नैपाल की हाल आप सभी जानते हैं, राजनैतिक दृष्टि से वहां उथल पुथल मची हुई है, तो यह राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे बनाया जाय। अन्त में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके विरोध में बोलने के लिये अवसर दिया। श्रीमन् हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय ओझा जी ने सारगर्भित बात बहुत ही अच्छे ढंग से की और जो सरकार की कमियां थी उनको बताया। श्रीमन्, इस बजट में बड़े-बड़े वायदे और नारे दिये गये हैं, इन्हें पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं दो तीन खास चीजें बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को। मान्यवर, जिनके हाथ में छाले और पैरों में बेवाई है, उन्हीं के दम से रौनक आपके बंगलों में आयी है। वह गरीब मजलूम झोपड़ी बनाकर रहता है। आदरणीय चौधरी साहब कह रहे थे कि 'धरती पुत्र' तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 1989 में जब एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी किसानों के नेता 'धरती पुत्र' मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री बने थे, तो उन्होंने उन गरीब मजलूमों के लिये अपनी पहली कलम से दस हजार के कर्जे माफ किये थे और आगे भी माफ करने की बात कही थी। यह कर्जा माफ हुआ।

मान्यवर, शिक्षा की बात आयी है, स्कूल खोले जायेंगे, मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि एक भर्ती की लाख दस हजार प्राइमरी के अध्यापक रिटायर हो चुके हैं लेकिन बजट में अध्यापकों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। माध्यमिक शिक्षा की हालत और खराब है। यहां पर चौदह हजार पद रिक्त हैं, आठ हजार प्रधानाचार्य विद्यालयों में नहीं हैं इन्हें भर्ती करने का कार्य इसी तरह से हर क्षेत्र में है। बी0एस0पी0 के संस्थापक स्व0 मा0 कांशीराम जी के नाम पर एक

नगरीय योजना चलाई गई। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय स्व0 मान्यवर, कांशीराम के नाम पर एक योजना चलाई गई है, मैं निहायत आपत्ति के साथ कहना चाहता हूं मान्यवर, कांशीराम जिन्होंने साइकिल चलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन के गरीब लोगों को इकट्ठा किया और आज उसका फल सत्ता पक्ष खा रहा है, लेकिन नगरीय योजना में उनका नाम डाला गया है मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह महान आत्मा जिन्होंने उत्तर प्रदेश की गली कूचों में चल कर बहुजन समाज और सबको जगा करके दोस्तों आपको इस लायक बनाया है तो मान्यवर कांशीराम के नाम पर ऐसी योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जाय तो नगरीय न होकर के गांव, गरीब और गली तक जाय यह मेरा आपसे निवेदन है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी एक बात और कह कर अपनी बात को समाप्त करने की ओर ले चलूंगा, यह सरकार के साथी जो उनकी आदत गलत हो गई है, कहते हैं कानून व्यवस्था हम ठीक कर देंगे, मान्यवर, मेरा दावा है कि इस सदन में खड़ा हूं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप पता लगावायें विलजेन्स भेज दें, कि कानून व्यवस्था के नाम पर क्या किसी थाने में दरोगा घूस नहीं ले रहे हैं क्या हाइवे पर निकलने वाली ट्रकों पर रिश्वत बन्द हो गई क्या तहसीलों की रिश्वत बन्द हो गई ? हमारे साथियों को सोचना पड़ेगा और गरीबों को न्याय दिलाना पड़ेगा। एक बात और कह कर के अपनी बात समाप्त करूंगा, अल्पसंख्यकों के लिये इस बजट में जो 18 प्रतिशत है मान्यवर, खासकर मुस्लिम समाज के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भारत सरकार ने सच्चर कमेटी गठित करके मुस्लिम तबकों के लोगों के लिये पढ़ाई लिखाई और मसायलों अन्य की बात के लिये प्रेरित किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, आपका समय पूरा हो गया है। माननीय कृष्णाराज जी आप अपनी बात कहें।

श्री अरिफ़ अनवर हाशमी-

मान्यवर, बस एक मिनट का समय दे दें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला इस बजट में कहीं नहीं है। मुसलमानों की दशा इस सूबे में अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी दशा को सुधारने के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुस्लिम बच्चों की शिक्षा और उनके उत्थान के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बुनकरों की दशा सुधारने की कोई बात नहीं की गई। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्रीमती कृष्णा राज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2007-08 के इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया गया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, यह बजट पूरा सत्ता पक्ष के मद में भरा हुआ बजट प्रतीत होता है ऐसा लगता है कि जो बार-बार इनके मन में बात आती है कि

हम बहुमत से आये हैं इसलिये यह जो बजट पेश किया गया है, उसमें सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय के सम्बन्ध में जो कहा गया है, मैं समझती हूं कि यह बजट सर्वजन दुखाय बजट है। इस बजट में कहा गया है कि 33 प्रतिशत आबादी गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन करती है और यह जितने भी सत्ता पक्ष के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं, यह उसी वर्ग से आने का दावा और दम्भ भरते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि आपने आते ही आप और हम सभी ने देखा कि गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे थे, जो रोजमर्रा में अपनी जिन्दगी का और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे उनके लिये आपने क्या किया ? साक्षात उदाहरण देखना चाहते हैं तो इसी परिसर के आजू-बाजू देखेंगे और अन्य हमारे इसी लखनऊ राजधानी में जो सड़कों के किनारे ठेला, खोम्चे और अपने खोखे लगाये बैठे हुए जो हमारे गरीब लोग थे, बेरोजगार थे उनको आते ही इस सरकार ने तत्काल अपने नियम और जो हितों की बात करते हैं उनके जीवन और उनकी सुरक्षा की बात करते हैं उनके परिवार के पालन पोषण की बात करते हैं तत्काल उन्होंने कारगुजारी की और यह है सर्वजन सुखाय बजट, सर्वजन हिताय बजट। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि प्रदेश में वर्ष 1995-96 से अम्बेडकर ग्राम सड़क योजना चल रही है और मैंने यह देखा है इस अम्बेडकर गांव के लिये इस सरकार ने भी इस वर्ष में लगभग 1000 करोड़ रुपये बजट का प्राविधान किया है। मैं यह कहती हूं और मैंने यह देखा कि आज भी वर्ष 1995-96 के ही गांव चयनित किये गये हैं।

मान्यवर, और कार्य-प्रणाली यह है कि वहां पर वहीं खड़न्जा, वही डामर, वही रि-बोरिंग हो रही है वही जो वर्तमान में है। तो अन्य ग्रामों का और प्रदेश का सुधार कैसे होगा। उसका परिवर्तन करने की योजना बनायें इस ग्रामीण योजना में जो अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं इस सरकार के द्वारा इसमें कोई परिवर्तन करने का नया प्रावधान इस बजट में देखने को नहीं मिला। यह सरकार उन गरीबों के हित में बहुत बात करती है जिसके लिये राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क योजना बनी है ताकि उन्हें रोजगारी मिल सके उसके अन्तर्गत उनके परिवार को जीविका की सुरक्षा देने की बात कही जाती है। मान्यवर, लेकिन जितने भी कार्य हो रहे हैं वह ट्रैक्टर और जे0सी0बी0 के माध्यम से हो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जायें।

श्रीमती कृष्णा राज-

मान्यवर, आज तालाब खत्म हो रहे हैं। मान्यवर, एक मिनट का मौका दे दें। मान्यवर, आज कोई ऐसी योजना जरूर बनावें ताकि यहां जो बजट प्रस्तावित है वह जनपदों में जायेगा, विभागों में जायेगा उसका कार्यान्वयन उसका अनुपालन कड़ाई से करने का प्रावधान कर रहे हैं क्या ? मान्यवर, सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है। मान्यवर, मैं इसका साक्षात उदाहरण हूं। मान्यवर, इसी राजधानी लखनऊ में 21 तारीख को मेरी गाड़ी की चोरी हो गई ओ0सी0आर0 से।

जब विधायक के साथ यह घटना हो गई तो अन्य आम जनता के साथ क्या हो रहा है इसका अंदाजा लग सकता है। मैं लखीमपुर खीरी जनपद से आती हूं। वह नेपाल के बार्डर से घिरा हुआ है। वहां पर माओवादियों का आतंक है। यह देश की सीमा की सुरक्षा का सवाल है सुन लें। वहां की सुरक्षा व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। विकास के बारे में कहना चाहती हूं कि इस प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से वह काफी बड़ा जनपद है। वहां की जो सड़के हैं वह काफी जर्जर हैं। वहां की दो तीन बड़ी नदियां हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो जाती हैं और बाढ़ से लोग बेघरबार हो जाते हैं और जिसमें हजारों एकड़ फसल नष्ट हो जाती है। दैवीय आपदा के संबंध में राहत प्रदान करने के संबंध में हमारे जनपद के लिये कोई प्रावधान इसमें नहीं है। मान्यवर, ऊर्जा विभाग के लिये इसमें 9200 करोड़ का प्रावधान है। जिसमें नये संयंत्र लगाने उत्पादन और वितरण व्यवस्था को ठीक करने के लिये प्रावधान किया गया है।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो नगरों और गांवों में विद्युतीकरण हुआ था उसके तार जर्जर हो गये हैं। ट्रांसफार्मर्स को भी बदले जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी है वहां की विद्युत व्यवस्था काफी जर्जर है तार इतने पुराने हैं कि आये दिन विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी भी महिला हैं लेकिन महिलाओं के विकास और उत्थान के लिये कोई प्रावधान बजट में नहीं है। मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन को डेढ़ सौ रुपये से बढ़ाकर तीन सौ रुपये कर दिया गया है। लेकिन तीन सौ रुपये मिलने से महिलाओं की कोई प्रतिष्ठा नहीं बचती है सम्मान नहीं बढ़ता है। उनके कल्याण के लिये कोई विशेष प्रावधान इसमें नहीं है। हमारा प्रदेश कृषि प्रदान है हमारा जनपद कृषि पर आधारित है। 70 प्रतिशत गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न होने की वजह से वहां पर किसानों में घोर निराशा व्याप्त है। इसी के साथ-साथ वहां पर दलहन और तिलहन की फसल के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार किसानों को प्रोत्साहित करे इसके लिये। मान्यवर, हमारे यहां जंगल नजदीक होने के कारण नील गायों का बहुत आतंक है उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। सरकार समता मूलक समाज की बात कहती है जो सड़कों पर 1000 करोड़ का प्रावधान हुआ है इसके बटवारे में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों में समता दिखाई जानी चाहिये ताकि हर एक को दस-दस करोड़ मिल सकें। मान्यवर, मैं इस बजट को जन विरोधी और घोर निराशावादी मानती हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट पर बोलने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता-

आपने अपनी गाड़ी गायब होने की बात कही थी।

सुश्री कृष्णा राज-

मान्यवर, जिस दिन इस सदन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, रहने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, आपने सामान्य बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। इस कारण इस बजट में सबसे पहले जो शान्ति व्यवस्था का जिक्र किया गया है उसके बारे में कहना चाहूंगा। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अन्यायमुक्त, अपराध मुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, केवल विकास युक्त वातावरण पैदा करके प्रदेश के अन्दर कानून के द्वारा कानून का राज कायम करने की बात कही है। अधिष्ठाता महोदय, कानून क्या है ? इस सरकार ने एक आदेश जारी किया कि 3 वर्ष पहले की जो घटना है तो उसकी एफ0आई0आर लिखी जाय। मान्यवर, कानून का पहला नियम है कि डिले डिफीट्स इक्वटी, अगर किसी घटना की 3 साल पहले की घटना की एफ0आई0आर0 लिखाई जाती है तो कितने ही मुकदमें इसलिये छूट जाते हैं कि इसमें डिले इन एफ0आई0आर0 है जो अपराधी है उनको सजा नहीं मिल पाती है तो यह जो सरकार है यह कानून का स्वयं उल्लंघन कर रही है और कानून से कानून का राज स्थापित करने की बात बिल्कुल गलत है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी आतंकवाद के घेरे में हैं। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में एक राज्य था जिस सरकार ने शपथ लेने के तुरन्त बाद वायदा किया था कि मैं यहां पर कानून व्यवस्था स्थापित करके जंगलराज समाप्त करूंगा लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद यहां पर शिया सुन्नी दंगे होने लगे, यहां पर हिन्दू मुस्लिम दंगे होने लगे, यहां पर साम्प्रदायिक दंगे होने लगे और चारों ओर साम्प्रदायिकता का वातावरण पैदा हो गया। इतना ही नहीं दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की खुफिया एजेन्सी ने इस सरकार को लिख करके भेजा कि यहां से तीन आतंकवादी अयोध्या में हमला करने के लिये गये हुए हैं सरकार के पास पत्र आया। मैंने इस बात को यहां पर रखा था लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया और अयोध्या में हमला हो गया, संकट मोचन पर बम विस्फोट हुआ 26 लोग मारे गये, दशास्वमेघ घाट पर बम बिस्फोट हुआ, श्रमजीवी एक्सप्रेस पर बम विस्फोट हुआ, आतंकवादी घटनायें नहीं रुकी, लखनऊ आज आतंकवादियों का शरणगाह बन गया है। इस सरकार के आने के बाद जो उम्मीद थी कि आतंकवाद की घटनाओं पर रोक लगेगी लेकिन "हूजी" जैसे संगठन सामने आ गये और एक दर्जन से ऊपर आतंकवादी आज पुलिस की रिमाण्ड में हैं। सबसे बड़ा तथ्य जो मैं कहना चाहता हूं एक आतंकवादी जो बंगाल से कलकत्ता से पकड़कर लाया गया है उसने अपने बयान में कहा है कि हम लोगों को ऐसे सोफस्टिकेटेड वैपेन की ट्रेनिंग दी गई है यह स्ट्रिफ रायफल है, जिसकी मारक क्षमता 3 किमी से ऊपर है। इसकी एक खास बात और है यह सारे समाचार पत्रों में आया है कि इससे निकली हुई बुलेट से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि यह किस दिशा से आई है। अगर ऐसे स्ट्रिप रायफल्स उत्तर प्रदेश में है तो इस बात की सम्भावना है कि यहां पर वजीरगंज, नाका आदि क्षेत्रों में ये पाये जा सकते

है। मान्यवर, एक मिनट दे दें। इसलिये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आतंकवादियों के चपेट से बचाया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य समाप्त करें, मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

इसलिये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आतंकवादियों की चपेट से बचाया जाय। मैं उत्तर प्रदेश में सिमी पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग करता हूं। मान्यवर, लखनऊ में सीवर की गम्भीर समस्या है। इस पर भी चिन्ता करने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कालीचरन राजभर जी अपनी बात शुरू करें।

श्री कालीचरन-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2007-2008 के इस बजट के समर्थन में बोलने के लिये अवसर दिया, हम आपका आभार प्रकट करते हैं इसी के साथ-साथ सुश्री बहन कुमारी मायावती, मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2007-2008 के बजट के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं कु0 बहन मायावती, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश जी को तहेदिल से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस बजट भाषण में पिछड़े व दलित समाज में पैदा हुए महापुरुषों महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियार साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के नाम का उल्लेख किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियों की सरकारों ने कभी भी हमारे इन पिछड़े व दलित समाज में पैदा हुए इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम नहीं किया बल्कि बदले की भावना से इन महापुरुषों के नाम पर बनाये गये जिला, मंडल व तहसीलों को समाप्त करने का काम किया गया। मान्यवर, पहली बार बजट का आकार 1 लाख 911 करोड़ रुपये है जो पिछली बार के बजट से 22 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, वर्ष 2007-2008 के बजट में सम्मिलित कुछ योजनायें जैसे डा0 अम्बेदकर ग्राम समग्र विकास योजना के तहत पिछली सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था ऐसे गांव में अधूरे पड़े कार्यों जैसे नाली, खण्डंजा, सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु बजट में अच्छा प्रावधान किया गया है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने सामाजिक सुरक्षा के लिये अभी तक वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो 150 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रति लाभार्थी को मिलती थी, उसको मुख्य मंत्री जी ने संतोषजनक धन देकर ऐसे पेंशनधारकों को 300 रुपये प्रतिमाह करने का काम किया है, जो स्वागत करने योग्य हैं मान्यवर, पिछड़े जिलों जैसे बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिये 395 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, प्रदेश के सबसे पिछड़े तीस जनपदों के विकास के लिये 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। किसानों के लिये बहुजन समाज पार्टी की सरकार और बहन कुमारी मायावती जी ने

गांवों और किसानों की खुशहाली के लिये क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिये 1647 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है जो सदन को एक स्वर से इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के अति पिछड़े, अनुसूचित जाति के लिये एकीकृत ग्राम विकास योजना प्रस्तावित है तथा नेत्रहीन, मूक बधिर और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये बजट में संतोषजनक धनराशि प्रस्तावित की गयी है। मान्यवर, पिछली सरकार ने जो बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्याधन उपहार स्वरूप देने का काम किया था, हमारी सरकार ने उसको समाप्त करके बालिकाश्री योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए सभी वर्गों के जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, परिवार की कन्याओं को योजना का लाभ सीधे देने का निर्णय लिया है। मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, सुश्री कुमारी बहन मायावती जी ने अपने 2007-2008 के बजट में चिकित्सा स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, किसानों की खेती की सिंचाई के लिये, दवा इलाज के लिये गरीबों, दलितों, मजलूमों और सर्वसमाज के लिये जो बजट में प्रस्ताव किया है, सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पूरे सदन को ऐसे बजट का समर्थन करना चाहिए। मान्यवर, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है बस एक ही मुद्दा रह गया है कि हमारे दलित पिछड़े व समाज में पैदा हुए महापुरुषों का विरोध करना। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं अपनी तरफ से आभार प्रकट करते हुए सुश्री बहन मायावती जी द्वारा प्रस्तुत 2007-2008 के बजट पर बल देते हुए कहना चाहता हूं यह गरीबों के हित में बजट है, किसानों के हित में बजट है, सर्वसमाज के हित में बजट है और पूरे प्रदेश के हित में बजट है इसलिये सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्ष के भी माननीय सदस्यों को मेजें थपथपाकर इस बजट का स्वागत करना चाहिए। मैं मान्यवर, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री राजाराम त्यागी-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, काफी उठापटक लगाने के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं सत्तापक्ष द्वारा दिये गये बजट में डाक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक और रमाबाई वाटिका हेतु जो 366 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है उसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। किन्तु एक ओर जहां 366 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस मद में दी गई है वहीं अनुसूचित जाति के आवास के लिये तथा इन्दिरा आवासों के लिये मात्र 360 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन्दिरा आवास और जो अनुसूचित जाति के आवास है इनके द्वारा अनुसूचित जाति के समाज के लिये रहने की व्यवस्था की जाती है, इसलिये यह अपर्याप्त है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसमें संशोधन [illegible] ौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, 813 नये प्राथमिक वि[illegible] जाने की घोषणा की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि

नये विद्यालय खोले जायें लेकिन अभी तक जितने विद्यालय खुले हुए हैं, उनमें शिक्षक कितने हैं, पर्याप्त शिक्षकों की भी व्यवस्था किये जाने की मांग मैं आपके माध्यम से करता हूं। कोई भी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं होने चाहिए और उच्च कोटि की प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसकी इस बजट में व्यवस्था नहीं की गई है, विद्यालय खोलने की बात कही गयी है लेकिन मिड-डे-मील जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, वह मानक के अनुसार नहीं है। उसमें यह व्यवस्था नहीं की गयी है कि किस दिन कौन सा भोजन बनेगा लेकिन इसका समुचित पालन नहीं किया जा रहा है कि किस दिन कौन सा भोजन बच्चों को दिया जायेगा और इस तरह का कोई प्राविधान बजट में भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस व्यवस्था का सुनिश्चित तरीके से लागू कराया जाए क्योंकि बच्चों को आये दिन खिचड़ी ही दी जाती है। सिंचाई के नाम पर माननीय सदस्यों ने कहा कि 14 नलकूप पूरे प्रदेश में दिये गये हैं जो कि अपर्याप्त हैं। कम से कम 70 (सत्तर) की जाय। सिंचाई के नाम पर कोई नई नहर की व्यवस्था नहीं है और न ही इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि नयी नहरों के निकाले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज पानी का जलस्तर गिरता चला जा रहा है, जलस्तर गिरने का कारण तालाबों का अतिक्रमण भी है। माननीय उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण को हटाने के लिये आदेश भी दिया है। लेकिन अब भी आवश्यक कार्यवाही नहीं हो पा रही है और आपके बजट में भी ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं की गयी है इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन कराये जाने की व्यवस्था करायी जाए। तालाबों में पानी भरे जाने की आवश्यकता है, जल स्तर बढ़ाने के लिये उन तालाबों में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अधिष्ठाता महोदय, जेल के लिये जैमर और सी0सी0टी0वी0 पर पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। ये न करके नई भरती व जेलों में सतर्कता बरती जाय। एक बात और अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि नये महाविद्यालयों की व्यवस्था की जाए क्योंकि इण्टरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद हमारा छात्र मारा-मारा फिरता है, बजट में सिर्फ यह लिख दिया गया है कि नये डिग्री कालेज खोलने के लिये सरकार प्रोत्साहन देगी। किन्तु बजट का प्राविधान नहीं किया गया है। महोदय पर्यटन के नाम पर बजट में कुछ नहीं दिया गया है उत्तरांचल प्रदेश बनने के बाद वैसे भी ज्यादातर पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश से कट गये हैं। मैं नये पर्यटक स्थल बनाये जाने की मांग करता हूं इसके लिये अलग से बजट भी दिया जाना चाहिए। महोदय, रायबरेली जिले में यदि डलमऊ में गंगा घाट नछरांवा मे भंवरेश्वर तथा अहोरवा भवानी व समोहवा की 62 बीघे टांडाझील को विकसित कर दिया जाय तो अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकते हैं इसका प्रावधान भी इस बजट में नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुदान देने की बात कही गयी है, लेकिन उसकी धनराशि निश्चित नहीं की गयी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके लिये अलग से बजट निश्चित किया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, और ज्यादा कुछ न कहकर अन्तिम बात यह कहना चाहता हूं कि पर्यटन के विकास के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं सरकार से चाहूंगा कि पर्यटन विकास के लिये बजट की व्यवस्था की जानी चाहिए और पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये, मैंने माननीय सदस्य अब्दुल वारिस खां को बुला लिया है।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, मैं रायबरेली जनपद से विधायक हूं, रायबरेली में गंगा नदी बहती है और इलमऊ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए, इससे वहां के गरीबों को लाभ मिलेगा और तमाम लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अब्दुल वारिस खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। वर्ष 2007-2008 का जो बजट है उसको मैंने गम्भीरता पूर्वक देखा है। उस पर मैं सरकार से कुछ बातें कहना चाहता हूं और कुछ बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डा0 भीमराव अम्बेडकर विकास योजना के अन्तर्गत अम्बेडकर गांवों के विकास की बात कही गयी है, ठीक है आप अम्बेडकर गांवों का विकास करिये लेकिन और भी ग्राम हैं उनके विकास के लिये भी योजना होनी चाहिए। माननीय कांशी राम नगर विकास योजना के लिये 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, आज जो नगर निकाय हैं वह बहुत बदहाली में हैं उनको भी कुछ धनराशि दी जाए। विद्युत व्यवस्था के लिये उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। वहीं उसकी सप्लाई और ट्रांसमिशन के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। आज एच0 टी0 लाइनें जा रही हैं बहुत जर्जर हैं, विद्युत उप केन्द्र बहुत कम हैं जिससे समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। विद्युत के निर्बाध आपूर्ति के लिये इस ओर सोचा जाना चाहिए जिससे विद्युत आपूर्ति ठीक से हो सके। मुजफ्फरनगर से मैं चुनाव जीतकर आया हूं। वहां पर बिजली का संयंत्र लगाया जाय और उनको प्रोत्साहित किया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जर्जर भवनों के निर्माण एवं डाक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए। मेरी विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काफी कम हैं। इसलिये जलालाबाद नगर पंचायत और चौसाना गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने की मांग करता हूं। जहां तक शान्ति व्यवस्था की बात है हमारे यहां स्थिति काफी जटिल है। बजट में पुलिस के आधुनिकीकरण और नये थानों के खोलने की बात कही गयी है मेरी मांग है कि प्राथमिकता के तौर पर जनपद मुजफ्फरनगर का नाम इसके लिये जोड़ लिया जाए।

परिवहन के लिये नेशनल हाई-वे जो घोषित हो चुके हैं उन पर प्राइवेट बसों का संचालन बाधित हो रहा है, ऐसी स्थिति में जनता को असुविधा से बचाने के लिये उन मार्गों पर रोडवेज की बसें संचालित करायी जाए। हमारे क्षेत्र में दिल्ली-यमुनोत्री राजमार्ग है उसको 4 लेन का कराया जाए। गन्ना नीति के बारे में सरकार ने बजट में कहा है मैं चाहूंगा कि जो मिल हैं उनमें एथनॉल के निर्माण की स्वीकृति देकर एथनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। इससे दोहरा लाभ होगा, एक तरफ हमें ईंधन उपलब्ध होगा वहीं दूसरी तरफ गन्ने की खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा साथ ही इससे रोजगार भी मिलेगा। मैं अल्पसंख्यक वर्ग से हूं इसलिये एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मदरसों के लिये 42 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गयी है। मैं चाहूंगा कि मदरसों में प्राथमिकता के तौर पर हिन्दी को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाये, जिससे हम अपनी मातृभाषा और मुख्यधारा से जुड़े रहें। मदरसों में हमारी जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर अनुदान दिया जाय तो मेरा सुझाव है कि हिन्दी को अनिवार्य कराया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री अब्दुल वारिस खां-

मान्यवर, एक अन्तिम बात कहना चाहता हूं कि चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने प्रमोद तिवारी जी के अनुरोध पर विधायक निधि एक करोड़ से सवा करोड़ कर दिया है। मैं चाहूंगा कि हर मा0 विधायक के प्रस्ताव पर 200 हैण्डपम्प और 7 किलोमीटर सड़क देने की बात कही गयी थी, उसको भी कराया जाए।

*श्री मदन चौहान-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। वर्तमान सरकार जो है उसने समता मूलक समाज और सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कही है। सवा करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात कही है। लेकिन निवेश कौन करेगा जिससे रोजगार पैदा होंगे इसकी कोई स्पष्ट नीति की घोषणा नहीं की गयी है। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्याधन समाप्त करने की घोषणा की है तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले रोजगार उपलब्ध कराकर उन लोगों को रोजगार देना चाहिए था तब तो समता मूलक समाज की स्थापना होगी। मैं सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सदस्यगण जो बजट के माध्यम से अपनी बात कहते हैं तो उन कही हुई बातों का कहीं संज्ञान नहीं लिया जाता है-हम लोग बोलकर चले जाते हैं इसलिये मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण भी चाहूंगा कि क्या हम लोगों द्वारा कहीं हुई बातों पर ध्यान दिया जायेगा। मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। पर्यटन हमारे प्रदेश का ऐसा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र है जिससे रोजगार मिल सकता है और रेवेन्यू आ सकता है लेकिन पर्यटन के सम्बन्ध में ऐसा प्राविधान नहीं किया गया जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और रेवेन्यू आ सके व पैसे का आवागमन हो। मैं अपने क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के बारे में कहना चाहता हूं यह पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है। वहां पर हरिद्वार की तर्ज पर उसको विकसित करने की सरकार की योजना है लेकिन वहां पर किनारे इतनी गहराई है कि कोई डूब जाये तो पता भी न चले। वहां पर दशहरा या अन्य मौके पर कितने ही लोग डूब जाते हैं न ही उनके हानि की भरपाई होती है न ही कोई संज्ञान लिया जाता हैं उनका नाम प्रदेश के किसी रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पाता है।

गढ़मुक्तेश्वर में घाट को विकसित किया जाय सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अन्तिम संस्कार किया जाता है लेकिन गढ़मुक्तेश्वर में अन्तिम संस्कार स्थल की स्थिति अत्यन्त भयावह है। गढ़मुक्तेश्वर में हर साल कार्तिक माह नवम्बर में मेला लगता है जो देश का सबसे बड़ा मेला होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उन श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। विद्युत व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं हर सरकार द्वारा मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाये जाते हैं कि हम 10 हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेंगे लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं मैं कहना चाहूँगा। आज कर्मचारियों के माध्यम से गरीब आदमियों की लूट हो रही है किसी के यहां बिजली नहीं लगी लेकिन उसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो जाती है और तहसील से आर0सी0 जारी हो जाती है किसी तरह से 10 प्रतिशत देकर उसकी जान छूटती है। कुछ को तो जेल भी भेज दिया जाता है। पिछली सरकार में पांच हार्स पावर का कनेक्शन दिया जाता था उसको बढ़ाकर इस सरकार ने 7 हार्स पावर कर दिया गया। इस व्यवस्था को पूर्व की भांति किया जाय। किसी की बिजली के तार से चिपककर मृत्यु हो जाय तो उसकी भरपाई नहीं हो रही है। मैं अपने सिम्भावली विद्युत क्षेत्र की एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा हमारे यहां रसूलपुर में महिपाल सिंह नाम व्यक्ति की तार छूने से मृत्यु हो गयी उसकी भरपाई नहीं की गई कि उसके बच्चों को कुछ सहायता दी जाय क्योंकि न तो उसके पास जमीन है और न रोजगार है। मान्यवर, उसकी कुछ भरपाई करने की कोशिश सरकार करे। मान्यवर, मैं अभी एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि वहां पर लीला नाम की एक सत्तर वर्षीय महिला जिसके घर पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं था उसके नाम एफ0आई0आर0 कर दी गई। कल परसों जाकर एक कर्मचारी आता है और उसके यहां कोई कनेक्शन बता दें कि है.....

श्री अधिष्ठाता-

अब माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, अभी तो शुरू किया है आगाज देखते रहिये। मान्यवर, इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका जायेगा तो ऊर्जा विभाग द्वारा किसानों को फायदा होने के बजाय, गरीबों को फायदा

होने के बजाय यह एक तरह से समता मूलक समाज नहीं बन पायेगा यह सर्व जन रुलाय समाज बन जायेगा। मान्यवर, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, जिस तरह से प्राधिकरण बने हैं नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर इनके द्वारा किसानों की भूमि जो अधिग्रहीत की जाती है उसका मुआवजा किसानों को कितना मिलता है। मान्यवर, यह सरकार किसानों का दम भरती है। माननीय मुख्य मंत्री जी जिस क्षेत्र से आती हैं जहां पर इनका घर है वहां किसानों की जमीन 300 रुपये में ली जा रही है जबकि उन्हें 1500 रुपये के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां मेट्रो रेल के लिये भी प्राविधान होना चाहिए। इन प्राधिकरणों के बोर्ड में जन प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि वे जनता की आवाज उठा सकें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें। आपका पांच मिनट का समय पूरा हो गया हैं श्री वाचस्पति जी, आप अपना भाषण प्रस्तुत करें।

(माननीय सदस्य श्री वाचस्पति का नाम पुकारे जाने के बाद माननीय सदस्य श्री मदन चौहान और श्री वाचस्पति के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री वाचस्पति-

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मुख्य मंत्री बहिन मायावती जी द्वारा वर्ष 2007-2008 के लिये प्रस्तुत बजट बहुत अच्छा बजट है। इतना अच्छा बजट तो इससे पूर्व की जितनी भी सरकारें रही हैं उसमें से किसी ने भी इतना अच्छा बजट पेश नहीं किया है। मैं इस बजट के समर्थन में आपके आदेशानुसार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सर्व समाज के विकास के लिये यह बजट बहुत ही अच्छा साबित होगा। हमारी सरकार ने किसानों के विकास के लिये अभूतपूर्व वृद्धि करने के लिये 1647 करोड़ रुपये का बजट में प्रस्ताव किया है और 490 करोड़ का प्रस्ताव नई योजनाओं के लिये किया है जो कि एक सराहनीय कदम है। इसके अतिरिक्त कानून के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो बजट में इस बारे में कहा गया है वह बिल्कुल सही है। आज इस परिपेक्ष में हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री महाना जी ने भी स्वीकार किया है कि वास्तव में कानून में परिवर्तन हुआ है। मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि आदरणीय बहिन जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करना चाहिए। आज पुलिस विभाग अनुसूचित जाति के किसी भी पुलिस अधिकारी को नहीं रखा जाता था। बहुत ही कम उसमें रखा जाता था। आज इसमें 30 प्रतिशत की उनकी तैनाती सुनिश्चित की गई है और यह एक सराहनीय कदम है। इसी तरह से पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों के लिये भी 70 प्रतिशत किया है।

मान्यवर, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिये भी इस बजट में अच्छे प्राविधान किये गये हैं। 10 करोड़ रुपये माध्यमिक शिक्षा के लिये दिया गया है इस तरह से यह शिक्षा के क्षेत्र में भी एक सराहनीय कार्य है। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के लिये 320 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

इस बजट में दिया गया है। साथ ही 5-5 गांव चयनित कराने के लिये भी दिया गया है। पुराने अम्बेडकर गांवों में जहां काम नहीं हुआ था, उनको भी करने के लिये प्रस्ताव करके माननीय बहिन मायावती जी ने सराहनीय कार्य किया है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिन नये मण्डलों और जनपदों को पिछली सरकार ने खत्म कर दिया गया था उनको पुनर्जीवित करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है और इतना ही नहीं आधे अधूरे कार्यों को भी पूरा करने का संकल्प लिया है। कौशाम्बी भी ऐसे नवसृजित जनपदों में से एक रहा है। पूर्व की सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था लेकिन वर्तमान सरकार ने इसको बहाल किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह इलाहाबाद से सम्बद्ध था और 80 किलोमीटर की दूरी से लोग चलकर के इलाहाबाद के लिये न्याय के लिये पहुंचते थे लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जब भी वह वापस इलाहाबाद से लौटकर जाते थे तो मायूसी उनको होती थी। न अधिकारी मिलते थे और न कोई काम होता था। समय और धन दोनों का दुरुपयोग किया जाता था। ऐसे महान कार्य के लिये हमारी मा0 नेता बहन कुमार मायावती जी ने इससे पूर्व जब वह मुख्य मंत्री जी थीं तो कौशाम्बी जनपद को आदरणीय बहन जी ने नया जिला बनाया तब वहां पर सभी विभागों में और डी0एम0 और एस0पी0 की नियुक्ति कर दी गई थी।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री वाचस्पति-

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 264 सिराथू विधान सभा में लगभग 30 वर्षों से रामगंगा और करारी माइनर बिल्कुल सूखी पड़ी है उसमें तीस वर्षों से पानी नहीं आया है। मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री वाचस्पति-

मैं इसलिए भी यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की भी मंशा है कि टेल तक पानी पहुंचाना। इसलिए मैं चाहता हूं कि टेल तक पानी पहुंचे और जनपद का विकास हो। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता-

श्री सुरेश तिवारी जी अनुपस्थित हैं। मा0 राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह भी नहीं हैं।

*डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। क्योंकि मेरी तबियत भी ठीक नहीं है। मान्यवर, मैंने पूरे बजट को पढ़ा लेकिन एक बात मुझे कहीं नजर नहीं आई। जल की बहुत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ी समस्या है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बावजूद जल के संचय, रिचार्ज की कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं आप देखें कोई गाड़ी अगर बैटरी से स्टार्ट होती है उसको आप चलाते हैं रोशनी जला लेते हैं, तब तक चलती रहेगी जब तक आपका डाइनमो चार्ज होता रहेगा। जब बैटरी चार्ज नहीं होगी तो वह नहीं चलेगी। इसी तरह यह पृथ्वी है, जब तक इसको चार्ज नहीं किया जायेगा तब तक इसमें जल कहां से आयेगा। मुसीबत खड़ी हो जायेगी। लेकिन बजट में रिचार्जिंग का कहीं कोई प्राविधान नहीं है। इसके लिये मीटिंगें बड़ी की जा रही हैं। जिलेवार मीटिंग की जा रही है। मीटिंग करने से क्या हो जायेगा जब तक इसका कोई इंतजाम नहीं होगा। यह भी कहा जा रहा है कि शहरों में नक्शे वही पास होंगे जो रिचार्जिंग उपकरण बोर करवायेंगे। दूसरी बात मान्यवर, बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्या धन यह शिक्षा से जुड़ा हुआ अहम सवाल है जो कन्यायें प्राइमरी से लेकर आठवां तक पढ़ती थीं वह 12वीं पास करना चाहती हैं कि कन्या विद्या धन मिलेगा। तो जो लड़कियां नहीं पढ़ती थीं उनकी शिक्षा आगे बढ़ी। इसी तरह से बेरोजगारी भत्ता हैं दसवां, बारहवां पास कर लिया जब नौकरी नहीं मिलनी तो पढ़कर क्या करेंगे, वह यह सोच थी। जब बेरोजगारी भत्ता मिलने लगा तो इच्छा जागी कि अगर मैं बी0 ए0 कर लूंगा तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या नौकरी मिलेगी और फिर बी0ए0 करना भी इतना जरूरी है क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था यहां है कि जिसके अन्तर्गत ग्रेजुएट कांस्टीटुसेन्सी में एम0एल0सी0 चुनाव होता है उसमें ग्रेजुएट ही वोटर होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो ग्रेजुएट वोटर बन गया उसके लिये व्यवस्था हो गयी तो इनको बुरा लग गया। 'स्त्री शूद्रोअपि' के सिद्धान्त को भूल गये और इन योजनाओं को समाप्त करने की योजना बना डाली। दोनों को मृतप्राय कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ऐसी योजनायें थीं जिसके द्वारा पूरे प्रदेश में शिक्षा का जागरण हो जाता। मान्यवर, गन्ना पर बड़ा विचार हो चुका है। गन्ना, चीनी समस्या और समाधान पर तीनों पर बड़ी चर्चा हो चुकी है। इस पर कह रहे हैं कि नई नीति बनाई जा रही है। पहले नई कोई नीति नहीं लाई गई। अब तक की जो नीति थी केन्द्र सरकार एम0एस0पी0 घोषित करती थी। एम0एस0पी0 रेट शक्कर की रिकवरी के आधार पर घोषित होता था। मान्यवर, गन्ना, चीनी, समस्या और समाधान के लिये आवश्यकता इस बात की है कि यहां पर शुगर काम्प्लेक्स नहीं है। मान्यवर, गन्ने से पहले रस बनता है, फिर शुगर बनती है, फिर शीरा बनता हैं मान्यवर, शीरे से पावर एल्कोहल बनाया जाए, खोई से परफ्यूरल बनाया जाए जो कपड़े का उत्तम साधन है जो खोई होती है उससे कनाइड बोर्ड और हार्ड बोर्ड बनाया जाए। मान्यवर, इसमें जो मथी होती है, मथी से रबड़, गोंद, मोम निकाल लिया जाय और शेष मथी से खाद बनाई जाए और ये सब कारखानें एक ही जगह पर लगाये जायें जिससे गन्ने का मूल्य केवल शुगर पर ही आधारित न हो बल्कि सारे बाई प्रोडक्ट पर निर्धारित हो तो किसान को गन्ने का मूल्य भी अच्छा मिलेगा और शुगर मिलों को भी फायदा होगा।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। कहा गया है कि अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त और भयमुक्त समाज बनायेंगे। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा

मान्यवर, एक रमेश कुमार, स्टाम्प विक्रेता तहसील से चलता है, दिन के तीन बजे ठीक कोतवाली के सामने एक लाख अड़सठ हजार रुपये जो स्टाम्प खरीदने के लिये ले जा रहा था, उसे लूट लिया, अब तक कोई पता नहीं चला है। ग्राम सरायं मजरा सैदापुर भाऊ में छेदीलाल के घर में डकैती पड़ी, छेदी लाल का डकैतों ने मर्डर कर दिया और उनका लड़का गम्भीर रूप से घायल हो गया और पूरा घर लूट कर ले गये। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मान्यवर, इसी प्रकार ग्राम विष्णुपुर, मजरा भसड़िया में रामेश्वर, अनुसूचित जाति, अनन्तराम, राजाराम, राम सागर, दयाराम, बांके लाल, चंदा, सीताराम, राम सनेही, पैकरमा, गंगा राम व अवधेश, कुल 12 लोगों के कच्चे पक्के घरों को एक दबंग बसपा नेता ने 50-60 लोगों को ले जा करके गिरा दिया और लूटपाट की, उस पर पुलिस अभी मौन है। अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई हैं मान्यवर, ये कुछ घटनाएं भयमुक्त, अपराधमुक्त होने की हंसी उड़ा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

होम्योपैथिक चिकित्सा एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री (श्री राजेश त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं वर्ष 2007-2008 के बजट पर उसके समर्थन में अपनी बात करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी पूर्व में हमारे वरिष्ठ सदस्य हमें पुकारे जाने के बावजूद भी अपने उद्बोधन में बहुत सी बातें कह रहे थे चूंकि मैं पहली बार चिलकहर विधान सभा से इस सदन में आया हूं, मैं अपने बुजुर्गों और वरिष्ठ साथियों का सम्मान करना जानता हूं। मान्यवर, मैं महात्मा गौतम बुद्ध, सन्त कबीर और गुरु गोरखनाथ की धरती से आया हूं, इसलिए मैं सम्मान करता हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट के बारे में विपक्ष के लोगों ने बहुत सी नकारात्मक बातें कही हैं, सत्तापक्ष के लोगों ने भी सकारात्मक बातें कही हैं, मैं पहली बार आया हूं चूंकि मैं 18 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूं, बहुत कुछ लिखा पढ़ा है लेकिन पहली बार यहां देखने को मिला है। मान्यवर, मुझे बहुत अफसोस है कि कथनी और करनी में कितना अन्तर है। प्रबोधन के दौरान भी हमने देखा था। वहां सुनने और सदन में बहुत अन्तर देखा। इस सदन की परम्पराओं के बारे में सुनता रहा हूं। प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान भी बहुत कुछ शिष्टाचार और आचरण के बारे में बताया गया था मगर मुझे अफसोस है कि वरिष्ठों के ही कथनी करनी में अत्यन्त अन्तर दिखा। मैं वरिष्ठ सदस्यों से उम्मीद करूंगा कि ऐसा आचरण करें जिससे कथनी और करनी का अन्तर मिट सके और हम जैसे नवागत सदस्य उनका अनुसरण कर सकें। मान्यवर, अब मैं बजट के बारे में कहना चाहता हूं और निश्चित रूप से अपनी मुखिया, गरीबों की रहनुमा, माननीया मुख्य मंत्री कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मान्यवर, यह जो बजट आया है वह दलितों, शोषितों, पीड़ितों और समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हैं उनके सम्मान में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है इसके लिये मैं उन्हें अपने क्षेत्र और अपने जनपद की जनता की ओर से बधाई देता हूं। निश्चित रूप से यह गरीबों के हित का बजट है। एक बात

बार-बार विपक्ष की तरफ से आ रही है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर, श्री कांशीराम जी के नाम पर नगर विकास योजना के लिये मात्र 200 करोड़ रुपये देने की बात की गयी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि घबराइये नहीं यह संख्या बढ़ती जायेगी। जो उनके सम्मान के लिहाज से बहुत कम हैं हमें यह आश्चर्य हो रहा है कि जो लोग कल तक ब0स0पा0 के संस्थापक मान्यवर, साहब का नाम लेना भी पसन्द नहीं करते थे आज उनके नाम पर चलायी जा रही योजना की धनराशि कम की बात कहकर उनका अपमान मान रहे हैं। इस पर हमें यह कहना है कि आप चिन्ता न करें आगे-आगे देखते जाइये यह संस्था कहां तक जाती हैं ये बढ़ती ही जायेगी। मान्यवर, पूर्वांचल निधि के बारे में चिन्ता व्यक्त की जा रही है कि पूर्वांचल को कम धन मिला है। मैं पूर्वांचल का हूं और मुझे पूर्वांचल का दर्द पता है। माननीय गौरी शंकर जी और माननीय श्री ओझा जी को अभी मैं सुन रहा था मान्यवर, यह सही हो सकता है कि पिछली सरकार में पूर्वांचल के लिये बजट कुछ अधिक रहा हो। लेकिन बात बजट की नहीं नीयत की हैं आप बहुत बड़ा बजट दे दें और अपने लोगों को लूटने के लिये खुली छूट दे दें तो इससे अच्छा है कि थोड़ा बजट हो लेकिन बेहतर तरीके से साफ नीयत से कार्यवाही हो, तो ही ठीक होगा।

मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी ने मुझे होम्योपैथी विभाग दिया है। मान्यवर, मीठी गोली होती छोटी जरूर है लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। मुझे उम्मीद है कि यह बजट पूर्वांचल के लिये भी निश्चित रूप से लाभकारी होगा। मान्यवर, माननीय गौरी शंकर जी ने कहा है कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। मैं कहना चाहता हूं कि वह हमारे तरफ की ओर से बात कह रहे थे। क्योंकि उन्होंने लम्हों में कुछ ऐसी खता कर दी कि प्रदेश के आम जन को उबरने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन हमारी सरकार और मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में मान्यवर, अब निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के दिन बहुरेंगे। आपने हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया उसके लिये आभार प्रकट करता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, आपने मुझे बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समतामूलक समाज में श्री ज्योतिबा फूले और कांशीराम जी जैसे अनेक महापुरुषों का सराहनीय योगदान रहा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उनका योगदान सराहनीय है लेकिन जब सवर्ण समाज की बात आती है, मान्यवर, मेरे सामने ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनकी दूसरी तरफ श्रम मंत्री श्री वेदराम भाटी जी बैठे हुए हैं और साथ ही हमारे कई माननीय सदस्यगण ऐसे हैं जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठकर राजनीति की है। हमारे कृषि मंत्री जी तो उनके बड़े भक्त रहे हैं। समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जब इस सदन में बात आयेगी तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम न लिया जाए तो बात अधूरी रह जायेगी। जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू करके पूरे समाज में दलित, गरीब, मजदूरों को भूमि आवंटित करने का काम किया था लेकिन उनका नाम लेने में आपको परहेज है। हमारे कृषि मंत्री जी की कोई मजबूरी रही होगी, कुछ हाथ बंधे हुए होंगे, कुछ

बोलने की उनकी सीमायें होंगी। श्रम मंत्री जी बैठे हुए हैं, इस देश के समाज सुधारक, क्रान्तिकारी, किसानों की बात करने वाले विजय पथिक रहे थे। उनका नाम भी आ गया होता तो अच्छा होता। इनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, बोलने नहीं दिया गया। हमारे ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी का नाम, जिन्होंने यह कहा था कि "अन्तिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे कैसे लाया जाय" यह सिद्धान्त दिया, लेकिन उनका भी नाम इसमें नहीं है। मंत्री जी की मजबूरी है, कुछ बोलने की शक्ति उनमें नहीं है। वह कुछ तो प्रयास करते। महात्मा गांधी जी, सरदार बल्लभ भाई पटेल आदि महापुरुषों का नाम आ गया होता तो अच्छा लगता। यह लगता कि समता मूलक समाज की स्थापना की जा रही है, लेकिन ऐसा न करके केवल वही मानसिकता कि हमें केवल एक वर्ग की बात कहनी है, केवल दलितों की बात कहनी है, एक ही एजेन्डे पर चलना है।

श्री अधिष्ठाता-

सिरोही जी पांच मिनट का समय है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, और सदस्यों को बीस-पच्चीस मिनट का समय मिला है। हमें भी दीजिये। तो मान्यवर, कृषि मंत्री जी ने लगभग सोलह सौ करोड़ की बात कही थी। 1.6 प्रतिशत कृषि का बजट दिया है और विकास दर 5.7 प्रतिशत की बात कही है। इस प्रदेश के पच्चहत्तर प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हैं, जब तक कृषि पर बजट नहीं बढ़ाया जायेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कैसे इसको बढ़ायेंगे इसमें कोई योजना परिलक्षित नहीं है। विकास दर दस प्रतिशत आगे ले जाने की बात कही जाती है, लेकिन कोई कार्य योजना नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा कि सरकार की ओर से 34 जिले आतंकवाद की चपेट में बताये गये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका समय समाप्त हो गया है। माननीय आजाद जी आप बोलें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, दो मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आजाद जी को बुला लिया है।

*श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2007-2008 का बजट, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें उत्तर प्रदेश की जनता के लिये, उत्तर प्रदेश के गरीब, दलित, मजदूर, छात्र और नौजवानों के लिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें कोई योजना नहीं रखी गयी है। यह पूरी तरह से दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, छात्र विरोधी और किसान विरोधी बजट है और इस बजट से उत्तर प्रदेश के किसान का भला नहीं हो सकता। जब तक कोई योजना धरातल पर नहीं ली जायेगी तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में तैंतीस प्रतिशत जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनके विकास के लिये इस सरकार ने कोई योजना नहीं चलाई है और न कोई योजना बनाने की बात की है। अगर देखा जाय तो उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण अंचलों में निवास करती है और ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाली जनता के लिये धरातल पर कोई योजना नहीं चलाई गई है, अगर गांव का किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा, किसान को खाद बीज कृषि उपकरण पानी की आवश्यकता प्राथमिकता के आधार पर देना होगा तभी किसानों का विकास सम्भव हो सकता है।

प्रदेश के विकास का रास्ता खेत खलिहानों और गांव से होकर जाता है प्रदेश के किसानों के लिये सिंचाई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, नहरों में पानी न आने से खाद्यान्न में कमी आ सकती है। प्रदेश के जितने नलकूप हैं, पानी नहीं दे रहे हैं किन्हीं न किन्हीं दोषों से खराब पड़े हैं, लेकिन आज तक सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्य-योजना नहीं बनाई है जिससे कि सिंचाई का समुचित प्रबन्ध हो सके। इन सबके बावजूद इस वर्ष गेहूं की कटाई-मड़ाई के समय असमय बरसात से किसानों का गेहूं खेतों में ही पड़ा रह गया और सड़ गया, किसान के घर की पूंजी भी बरबाद हो गई, सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले और दैवीय आपदा होने पर जो फसल क्षति हो उसका मुआवजा मूल्यांकन करा कर सरकार किसान को दे किसान के विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिये जो बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है वह बहुत ही कम है। भू-जल स्तर घटने से प्रदेश में पेयजल की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से भू-जल का दोहन हुआ है उससे भू-जल का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदेश के 182 विकास खण्डों का जल स्तर प्रति वर्ष पांच सेमी0 घट रहा है और प्रमुख नगरों का जल स्तर 22 सेमी0 से 56 सेमी0 तक घट रहा है। पूर्वी एवं मध्य उत्तर प्रदेश का 66 प्रतिशत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 79 प्रतिशत, बुन्देलखण्ड में 43 प्रतिशत भूजल का दोहन किया गया है जिससे पेयजल का संकट और फसलों की सिंचाई का संकट उत्पन्न हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये और बुन्देलखण्ड के विकास के लिये पूर्वांचल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि का बजट इस सरकार ने 395 करोड़ रुपये रखा है जो बहुत ही कम है, इससे बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता है, जबकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूर्वांचल के विकास के लिये वर्ष 2006-07 के लिये 522 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सड़क, पुल, विद्युत एवं अन्य विकास हुए। प्रदेश के 30 सबसे पिछड़े जनपदों के समग्र विकास के लिये जो सरकार ने

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि बनाया है, पोषित योजनाओं के लिये जो 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है वह बहुत ही कम है, इससे प्रदेश के पिछड़े जनपदों का विकास नहीं हो सकता है। डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि देश प्रदेश में जब तक अमीरी गरीबी की खाई रहेगी, तब तक देश और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। अमीर और अमीर होता चला जायेगा और गरीब और गरीब होता चला जायेगा।

समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के अलावा आज तक किसी सरकार ने कोई कारगर योजना नहीं चलाई। वर्तमान सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें गरीबों के लिये कहीं कोई स्थान नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में अंधाधुंध वनों के कटान से पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिये कोई योजना नहीं चलाई है। पुरानी प्रजाति के वृक्षों का भारी पैमाने पर कटान हो रहा है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। राजमार्गों, ग्रामीण मार्गों, जिला मार्गों के किनारे छायादार एवं पुराने प्रजाति के वृक्ष जैसे-पीपल, बरगद, नीम, देशी आम, जामुन, महुआ आदि वृक्ष लगाये जायें। 93 घनमीटर वन, 08 डेसीबल ध्वनि प्रदूषण को दूर करता है। एक हेक्टेयर वन से 20 वाहनों से निकलने वाले कार्बन डाई आक्साइड को सोखने की क्षमता रखता है। पूरे प्रदेश की आबादी को आक्सीजन मुहैया कराने के लिये प्रदेश में 17 करोड़ वृक्ष लगाना आवश्यक है जो वृक्षारोपण किये जायें उनका रख-रखाव किया जाना आवश्यक है, आज तक जितने भी वृक्षारोपण किये गये हैं। अगर देखा जाये तो मौके पर 20 प्रतिशत ही वृक्ष जीवित होंगे। प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति कराई जाय। अस्पतालों में समुचित डाक्टरों का प्रबन्ध कराया, मरीजों को समुचित दवाइयां उपलब्ध कराई जायं। किसानों की खतौनी देने में तहसीलों में धांधलीबाजी हो रही है, आज तक गांव के सम्पत्ति रजिस्टर नहीं तैयार किये गये हैं। पट्टेदारों को कब्जा अभी तक नहीं दिलाया गया है। बी0पी0एल0 कार्ड गरीबों के नहीं बनाये गये, मिट्टी का तेल और खाद्यान्न की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है, उसको रोकने के समुचित उपाय किये जायें। प्रदेश में 36 लाख गन्ना किसानों के लिये सरकार द्वारा कोई योजना नहीं चलाई गई। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में 21137 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। [illegible] भी सदस्यों को अपनी बातें कहनी हैं।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, आज यह सरकार बेरोजगारों की बात करती है। इस सरकार ने बजट में बेरोजगारों के लिये कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाया है। मैं बजट पर सरकार को धन्यवाद देता हूं। अगर सरकार ने शिक्षित [illegible] ने के लिये बजट में व्यवस्था [illegible] ती। कोई योजना बनाई होती इन्होंने [illegible] चलाई है। मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन की बात बढ़ चढ़ कर कही जाती है कि 30[illegible] दिया है। मान्यवर, क्या तीर मार दिया। 200 रु0 तो

भारत सरकार दे रही है आपको भी 200 रुपये अपनी ओर से देना चाहिये था और इसे बढ़ाकर 400/- रुपये करना चाहिये था। यह सरकार अपने को गरीबों का हमदर्द कहती है लेकिन गरीबों के दुख दर्द दूर करने के लिये इसमें कोई प्रावधान नहीं है। मान्यवर, शिक्षा का स्तर आज घट रहा है। प्राइमरी स्कूलों में इस सरकार ने अध्यापकों को नियुक्ति देने का वायदा किया था लेकिन अभी तक कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। मान्यवर, यह बजट गरीब विरोधी है, दिशाहीन है। इससे इस प्रदेश का विकास और उत्थान नहीं हो सकता है।

*श्री भगवती प्रसाद सागर-

मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस देश की आजादी के 59 साल बाद पहली बार इस सदन में ऐतिहासिक बजट बहन मायावती जी द्वारा पेश किया गया है। उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, देश की आजादी के इतने सालों के बाद भी किसी ने समता मूलक समाज की स्थापना की कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारे बहुत बड़े समाज की जिसमें दलित हैं, निर्बल वर्ग के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको दूसरों पर निर्भर बनाया गया था उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। मान्यवर, इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी द्वारा प्रस्तुत किया गया यह ऐतिहासिक बजट है। मान्यवर, वर्ष 2007-2008 के इस बजट में ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये और शहरी अवस्थापना को सुदृढ़ बनाने के लिये बजट में जो प्रस्तावित किया गया है वह सराहनीय है। मान्यवर, बजट का आकार एक लाख नौ सौ ग्यारह करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष के बजट से मान्यवर, 22 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, 2007-08 के बजट में लगभग 8900 करोड़ की 512 नई योजनायें प्रस्तावित हैं। नई योजनाओं के लिये की गई व्यवस्था पिछले साल के बजट से 37 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, प्रदेश की अवस्थापना विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 18 हजार 430 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जो गत वर्ष की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, प्रदेश के संतुलित सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु आयोजनागत योजनाओं के लिये लगभग 30 हजार 777 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है जो पिछले बजट से 39 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, इस बजट में लगभग 6 हजार 146 करोड़ रु0 की राजस्व बचत अनुमानित है जो पिछले साल के बजट से अनुमानित राजस्व बचत 1 हजार 123 करोड़ के मुकाबले 5023 करोड़ रु0 अधिक है। मान्यवर, राजकोषीय घाटा लगभग 12425 करोड़ रु0 रहने का अनुमान है जो पिछले वर्ष के मूल बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटे से 227 करोड़ रु0 कम है। मान्यवर, इस बजट की जो मुख्य योजनायें हैं, डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत साढ़े तीन हजार ग्राम सभाओं को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये, जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करने के लिये इस बजट में प्रावधान किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब इस देश में मानवता मर चुकी थी और मानवता कराह रही थी ऐसे समय में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जन्म लेकर ऐसे विषम परिस्थितियों में इस देश में व्यक्ति बाद में चलता था जाति पहले चलती थी जहां एक ओर लोगों को गन्दे तालाबों में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, ऐसे समय में जब मानवता समाप्त हो गई थी, ऐसी व्यवस्था को खत्म करने के लिये बाबा साहब ने संघर्ष किया और उनके संघर्ष में उनकी पत्नी रमा बाई अम्बेडकर ने जो सहयोग किया मान्यवर, इस सदन को बताना चाहता हूं कि रमा बाई अम्बेडकर ने जब बाबा साहब विदेश में पढ़ने गये थे।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। आपका 5 मिनट हो चुका है।

श्री भगवती प्रसाद सागर-

मान्यवर, अभी तो शुरुआत हुई है, यह हमारे साथ अन्याय है, उधर तो आधा-आधा घंटे लोग बोलते हैं। मान्यवर, अभी तो शुरुआत हुई है।

श्री अनूप सन्डा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के ऊपर अपनी बात कहने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, हमारे सामने के सदस्य बराबर कई बार अपने भाषणों में बजट के आकार की बड़ी चर्चा कर रहे हैं और बजट के आकार के ऊपर बड़े मुग्ध से लगते हैं और मुझे रहीम दास की वह पंक्तियां याद आती हैं कि:-

"बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर।"

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के वह किसान अब धरती का सीना चीर करके हमको अन्न देने का काम करते हैं उन किसानों के लिये सिंचाई सुविधा के नाम पर जबकि बजट बड़ा हो गया है 22 प्रतिशत से ज्यादा, ऐसी परिस्थिति में हमारी मुलायम सिंह यादव सरकार ने सिंचाई के लिये 3520 करोड़ रुपये का प्राविधान किया था इस सरकार ने मात्र 2073 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। यह हालत है सरकार की। 2006-07 में माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य के नाम पर 4029 करोड़ का प्राविधान किया था जो 2005-06 के बजट से 65 प्रतिशत भी ज्यादा था और इस सरकार ने 15 प्रतिशत उसमें वृद्धि किया है। मान्यवर, हम जिस सुल्तानपुर जनपद से आये हैं वहां के एक कवि हुए हैं पं0 राम नरेश त्रिपाठी उनकी पंक्तियां हैं :-

न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजे के आस-पास में,
ढूंढ ले वन्दे, राम मिलेंगे दीनजनों के भूख प्यास में।

मान्यवर, अब यही सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी था कि वह समाज का अन्तिम आदमी जिसकी जिन्दगी में कोई रोशनी नहीं है उसकी जिन्दगी में रोशनी आये। मान्यवर,

मैं 2-3 ऐसी घटनायें आपको बताना चाहता हूं जो इस सरकार में हुई हैं और यह तस्वीर आपके सामने साफ हो जायेगी। यहां से 200 मीटर की दूरी पर दारुलशफा में एक बाप बैनर लगाये हुए बैठा है "जिन्दगी बचा लो" मान्यवर, उसका 18 साल का बच्चा एप्लास्टिक एनीमिया से बीमार होकर पी0जी0आई0 में भर्ती है। उसने इस संवेदनशील सरकार से मांग की है अपने बच्चे को बचाने की और वह बाप सहायता के इंतजार में आज भी बैठा हुआ है यह हालत है। मान्यवर, मैं सुल्तानपुर की बात बताता हूं एक सफाई कर्मी महिला, सुल्तानपुर के महिला चिकित्सालय में प्रसव के लिये भर्ती होती है और 10 हजार रुपये उससे मांगा जाता है और वह देती भी है और जनरेटर न चलने के नाम पर उस महिला का इलाज नहीं होता है, उस महिला और उसके बच्चे दोनों की मौत हो जाती है और उसके बाद उस परिवार के लोग रोते बिलखते हैं, सामाजिक संस्थाओं के लोग जाते हैं और मान्यवर, यह इंसाफ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मैजेस्ट्रेटी जांच उस घटना पर होती है, उसमें इस बात की जांच नहीं होती कि किसके दोष की वजह से उस महिला की मौत हुई है। जांच इस बात की होती है कि हंगामा करने वाले लोग कौन थे जिन्होंने एक गरीब की मौत के ऊपर नारेबाजी की, यह मान्यवर, इंसाफ हो रहा है।

मान्यवर, आज सुबह दारुलशफा में हमारे कमरे में एक आदमी लंगड़ाता हुआ पहुंचा, जाति से दलित था। मैंने पूछा क्या तकलीफ है तो बताया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिये जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय बना हुआ है उसके बगल की झोपड़ पट्टी जो साफ की गई, उसमें उसकी झोपड़ी भी बगैर नोटिस के उजाड़ दी गई और ऐसी तमाम झोपड़पट्टियां हैं जिनको उजाड़ने की योजना है जिनको नोटिस मिल रही है। मान्यवर, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सौन्दर्यीकरण क्या ऐसे ही होगा ? अगर गरीब का बच्चा अपने घर पर चैन से रह नहीं सकेगा, कमजोर आदमी अपनी रोजी-रोटी नहीं कमा सकेगा, गरीब आदमी की जिन्दगी सुरक्षित नहीं होगी तो मान्यवर, क्या यही सौन्दर्यीकरण होगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज जिस क्षेत्र से हम चुनकर आये हैं उस क्षेत्र की हालत बहुत बुरी है। सुल्तानपुर जहां से हम चुनकर आये हैं सिर्फ हमारे क्षेत्र की नहीं, पूरे जनपद की हालत बुरी है। मान्यवर, आप अभी बत्ती न जलाइये हमको अपने पुलिस अधीक्षक से बड़ा डर लगता है। हमारे सामने सत्ता के लोग बैठे हैं हमारे जिले के साथी परन्तु यह कह नहीं सकते हैं। मान्यवर, आप बत्ती बुझा दीजिये हम दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। सुल्तानपुर जहां से हम चुनकर आये हैं वहां हालत यह है कि 40 प्रतिशत से ज्यादा इलाकों में आज भी सड़कें नहीं हैं। नहरों में पानी नहीं आता है हमारे यहां सरकार ने घोषणा की थी कि चीनी मिलें तब तक बन्द नहीं की जायेंगी जब तक किसानों का पूरा गन्ना नहीं ले लिया जायेगा। हमारे सामने बैठे सुल्तानपुर के माननीय सदस्य मुस्करा रहे हैं। वहां पर किसानों की ट्रालियां खड़ी रही और चीनी मिल का गेट बन्द कर दिया गया यह काम हो रहा है। पेयजल संकट की यह हालत है कि 500 से ज्यादा हैण्डपम्प अगर एक क्षेत्र को दिये जायें तो भी कम हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री अनूप सन्डा-

मान्यवर, बिजली कटौती की यह हालत है कि ग्रामीण इलाकों में मात्र 6-6, 7-7 घण्टे बिजली मिल रही है और आज वहां पूरे जनपद में बिजली के तारों को बदलने और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के लिये हमारे क्षेत्र की जनता को इस बात की आवश्यकता है। सुल्तानपुर के विकास हेतु विशेष पैकेज की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य समाप्त करें। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है, माननीय सदस्य अपनी बात शुरू करें।

श्री पंकज कुमार-

मान्यवर, आपने मुझे बड़े संघर्ष के बाद बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। इस सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये एक अच्छा स्थान दिया गया, यह एक अच्छी शुरुआत है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, आज हमारे क्षेत्र में लड़कियां शिक्षा से दूर होती जा रही हैं, क्योंकि इण्टरमीडिएट पास करने के बाद मेरे क्षेत्र की लड़कियों को करीब 20-25 कि0मी0 दूर जाकर शहर में दाखिला मिलता है। क्योंकि मेरे क्षेत्र में कोई भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अपने बजट में मेरी इस छोटी सी मांग को सम्मिलित कर लिया जाय।

मान्यवर, मुजफ्फरनगर से शामली होते हुए दिल्ली जो मार्ग जाता है, मैं उसे फोर लेन बनवाने का भी अनुरोध करता हूं। मान्यवर, लोक लेखा समिति द्वारा एक जांच की गई थी, सिंचाई विभाग के लगभग 700 करोड़ रुपये के खर्च की। उसमें लगभग 400 करोड़ रुपये का घोटाला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो लोग इस घोटाले में सम्मिलित हों चाहे वह इस सदन के सदस्य हों या न हों, चाहे उसमें मैं भी शामिल हूं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी [illegible] की जाय। मान्यवर, मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

* श्री ओम प्रकाश (श्री ओ0पी0 सिंह)-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2007-2008 के नेता सदन द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का मौका दिया मैं इसके लिये आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। [illegible] मैं वर्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2007-2008 के बजट पर जो नेता सदन द्वारा रखा गया है, के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। वर्ष 2007-2008 का बजट सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धान्त पर आधारित है। निश्चित रूप से यह बजट गैर-बराबरी वाली समाज व्यवस्था को बदल कर समतामूलक समाज के रूप में स्थापित करने वाला बजट है। अधिष्ठाता महोदय, दोनों पक्षों की तमाम बातों को आपने सुना है, अभी विपक्ष के लोगों ने भी तमाम बातों को रखा और सत्तापक्ष के लोगों ने भी बजट के समर्थन में अपनी बातें कहीं। मैं दो-तीन बातें ही कहूंगा, आज से लगभग दो माह पूर्व प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी जो प्रदेश के सारे धन का दुरुपयोग करने में माहिर थी। मैं दो-एक बिन्दुओं के बारे में कहना चाहूंगा, हमारा प्रदेश निश्चित रूप से गरीब प्रदेश है, इस गरीब प्रदेश को समाजवादी पार्टी के एक सांसद के नृत्य की कीमत तीस लाख रुपये चुकानी पड़ी है। गरीब प्रदेश की गाढ़ी कमाई से लोगों के पेट काटकर तीस-तीस लाख रुपये अपनी पार्टी के एक सांसद के नृत्य की कीमत चुकाने का काम किया गया। उस समय उत्तर प्रदेश विकास परिषद् नाम की एक संस्था को बनाकर इस प्रदेश में अपने कारोबारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से धांधली करने का काम किया गया। मैं बधाई देता हूं माननीया मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने मुख्य मंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश विकास परिषद् नाम की फर्जी संस्था को समाप्त करने का काम किया। आपने देखा उस समय की सरकार बालीवुड के एक अभिनेता और उनके पुत्र पर किस तरह से मेहरबान हो गई, उनकी जितनी पिक्चरें आई उनको करमुक्त करके प्रदेश के राजस्व को हानि पहुंचाने का काम किया गया। इतना ही नहीं आपने बाद में उस प्रकरण को भी देखा जब बालीवुड के एक अभिनेता को फर्जी किसान बनाकर खड़ा कर देने का काम किया गया था। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह बजट उत्तर प्रदेश की जनता का बजट है। किसानों का बजट है, नौजवानों का बजट है, छात्रों का बजट है और प्रदेश में रहने वाली 16 करोड़ जनता के हितों का बजट है। मैंने पहले भी कई बजटों को देखा है, अनुपूरक बजटों को देखा है जब इसी सदन में बजट पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। माननीय प्रमोद तिवारी जी को स्मरण होगा, संसदीय कार्य मंत्री जी को भी स्मरण होगा कि उच्च शिक्षा का बजट था 50 करोड़ रुपये का और 71 करोड़ रुपया एक विद्यालय को दे दिया गया। जब उस पर हमने विरोध करने का काम किया तो उस समय तत्कालीन मंत्री जो इस समय हमारे सामने बैठे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं इतना ही कह रहा हूं कि बजट 50 करोड़ रुपये का था और 69 करोड़ रुपये दे दिये गये तो कृपया फीगर ठीक कर लें।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, बजट था 71 करोड़ रुपये का और 69 करोड़ रुपये एक कालेज को दे दिये गये। मैंने उस समय जब विरोध किया था उस समय तत्कालीन मंत्री के रूप में उस समय के तत्कालीन नेता सदन के इशारे पर खड़े होकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, हम बाबा साहब

अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को दो कौड़ी का कहकर बोलने नहीं दिया था और अपमानित किया था। मैं कहना चाहता हूं कि देखिये हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को प्रदेश की जनता ने सत्तापक्ष की ओर बैठने का काम किया और आपको इस स्थिति में पहुंचाने का काम किया।

श्री अधिष्ठाता-

ओ0पी0 सिंह जी अब समाप्त करिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, एक बात कह कर खत्म करूंगा। बहुत सी बातें कानून व्यवस्था के नाम पर कही गई है। मैं दो बातें कहूंगा। बहुत सी बातें ऐसी हैं अगर उसका उल्लेख करूंगा तो सदन की मर्यादा के हनन् के रूप में होगा। आपने देखा था उस समय इसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सी0ओ0 साहब को कुछ नौजवान लोहियाओं ने जीप की बोनट पर बिठाकर घुमाया था और एस0एस0पी0 के दफ्तर पर लाकर पटकने का काम किया था। सदन में बैठा हुआ हर सदस्य जानता है कि उस समय किस प्रकार से हमारी पार्टी के युवा विधायक राजू पाल की हत्या की गई, कांग्रेस पार्टी के भी नेता की पत्नी की हत्या इसी लखनऊ के हजरतगंज में की गई, श्री जय भार्गव की पत्नी श्रीमती मेहर भार्गव को गोलियों से छलनी करने का काम किया गया था। मान्यवर, 16 वर्षों के बाद एक ऐसी सरकार बनी है जो जनता की सरकार है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, यह जनता की आशाओं की सरकार है और जनता के आशाओं पर खरी उतरने वाली सरकार है, इसलिये यह बजट जनता का बजट है, छात्रों का बजट है, नौजवानों का बजट है, किसानों का बजट है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा माननीय अम्बिका चौधरी साहब से कि जो उस समय तत्कालीन नेता सदन के इशारे पर खड़े होकर विरोध किया था, वैसे आप विरोध करना नहीं चाहते हैं क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष आ गये तब विरोध का स्वर मुखर किया। मैं तो कहूंगा कि इतना अच्छा बजट है कि प्रतिपक्ष को इसकी प्रशंसा करनी चाहिये।

श्री भोला-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बजट पर चर्चा चल रही है, बजट के पहले बड़ी लच्छेदार भाषा में कहा गया है कि 'सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय' के उद्देश्य से यह बजट पेश किया गया है। कैसा 'सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय' ? सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय ऐसे विषय पर जहां प्रदेश ही नहीं पूरा देश, देश ही नहीं, पूरी दुनिया के हित और सुख की बात से जुड़ी हुई है, ऐसे सवाल पर इस बजट में कोई जिक्र तक न हो तो इसे 'सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय' कैसे माना

जाए ? आप जानते हैं कि 'खेल' ऐसी चीज है कि पूरी दुनिया की 90 प्रतिशत जनता उस तरफ आकर्षित होती है और उससे आनन्द और सुख लेती है। लेकिन इस बजट में उसका जिक्र नहीं है, यह कौन सी दूरदर्शिता की बात है ? खेल मामूली चीज नहीं है। खेल से एक नौजवान की जिन्दगी जुड़ी हुई है, खेल से आत्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास होता है। 'खेल' ऐसी चीज है जिससे आदमी का स्वास्थ्य और भविष्य निर्भर करता है, बगैर खेल के आदमी का स्वास्थ्य और भविष्य दोनों अंधकारमय है। 'खेल' ऐसी चीज है जिससे एक नौजवान जो हमारे देश का और प्रदेश का है उसमें सामाजिक सद्भाव का गुण विकसित होता है। जनता में जो साम्प्रदायिक जहर, जातिवाद का नंगा नाच हो रहा है उसको यह दूर करता है। खेल ऐसी चीज है जो आपसी सौहार्द और भाई चारे का वातावरण पैदा कर सकता है। ऐसे खेल का जिक्र न हो यह बड़े दुख की बात है ऐसी चीज से आज नौजवानों को वंचित किया जा रहा है मैं अभी एक गांव में उद्घाटन कर रहा था तो गांव के लोगों ने पूछा कि खेल के लिये इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है मैंने कहा कि बड़े दुःख की बात है कि खेल के बजट का कोई जिक्र ही नहीं है ऐसा नौजवानों के साथ किया गया है। जब-जब देश में मुसीबत आई है इसी नौजवान ने आगे बढ़कर संकट का सामना किया है। बेकारी का सवाल है बेकारों को थोड़ा सा हक मिला तो नौजवानों को काम भी नहीं दिया गया और उनका हक भी छीन लिया गया खुशी तब होती जब उनको काम देकर बेकारी भत्ता समाप्त करते। किसानों के बारे में इस बजट में कहा गया है कि विशेष ध्यान दिया जायेगा किसान को आप जानते हैं कि किसान अन्नदाता भगवान कहा जाता है। इसका लाभकारी मूल्य कौन कहे लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप अपना भाषण समाप्त करें। आपका समय हो गया।

श्री भोला-

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

महिला कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती विद्या चौधरी)-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2007-08 के बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले 16 वर्षों के अन्तराल के बाद "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" के ऐतिहासिक बजट का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि यह बजट शोषित एवं पीड़ितों के लिये मील का पत्थर है। जब तक समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होगी तब तक देश और प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। वह देश एक मृग मरीचिका के समान होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में अपनी मूल भावना में अपनी इस विचार धारा को पिरोया है। जातिवाद, ऊंच-नीच के बन्धन से समाज को मुक्त करने के लिये नारायण गुरू, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और काशीराम साहब ने बीड़ा उठाया। मुझे खुशी है कि आज मुख्य मंत्री और माननीया

मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सरकार के रूप में बजट के माध्यम से अवतरित किया है। मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के माध्यम से गांवों का सर्वांगीण विकास किया जायेगा। नगरीय जनता को सुविधायें देने के लिये काशीराम नगर विकास योजना का भी उन्होंने शुभ आरम्भ किया है। जो बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने महिलाओं का विशेष ख्याल रखते हुए निराश्रित वृद्ध महिलाओं के पेंशन में ऐतिहासिक दो गुने की वृद्धि की है। इसी के साथ रमाबाई अम्बेडकर वाटिका के विकास हेतु बजट में प्राविधान किया है जो दबी कुचली महिलाओं के प्रेरणास्थल के रूप में जाना जायेगा। हमारी सरकार ने जो अम्बेडकर पार्क का निर्माण कराया था पूर्व की सरकार ने उसमें उदासीनता बरती थी।

मैं कहना चाहती हूं कि पिछली सरकार में माननीय आजम साहब ने उस पार्क के बारे में कहा था कि वह पार्क अय्यासी का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने कहा है। उस समय मैं विपक्ष में बैठती थी, मैंने अपने कानों से सुना है। आज लालजी वर्मा जी जिस जगह पर बैठे हैं वे उसी जगह पर बैठते थे और वहीं से संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कहा था। मैं सत्य कह रही हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहिन मायावती जी ने इसका संज्ञान लेते हुए जो कड़ी कार्यवाही की है वह भविष्य के लिये एक नजीर होगी। मान्यवर, इनकी सरकार के समय में लोग गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार से त्रस्त थे उन्होंने यह बहुमत देकर उसे बी0एस0पी0 के हाथी के पैरों तले रौंद दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि बहिन जी के प्रति जनता ने जो अपनी आस्था प्रकट की है, यह बजट उसी का परिणाम है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बजट का आकार एक लाख नौ सौ ग्यारह करोड़ रुपये किया है जो कि पिछले वर्ष के बजट से 22 प्रतिशत है। जोकि प्रदेश की जनता के अधिक विकास का प्रतीक है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। माननीय सलिल विश्नोई जी।

श्रीमती विद्या चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं।

* श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 2007-2008 के लिये प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट मात्र आंकड़ों का जाल है। किसी बजट का आकार यदि एक लाख करोड़ रुपये हो जाय तो इतने बड़े आकार से ही प्रदेश का विकास नहीं हो सकता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिससे किसी सरकार की मंशा नापी जाती है कि आगामी एक वर्ष में वह किस तरह से विकास करने जा रही है, उसकी क्या योजनायें हैं। मान्यवर, बजट एक प्रतिबिम्ब होता है प्रदेश में चलने वाले व्यापार और उद्योग का। बजट प्रतिबिम्ब होता है खेत और खलिहान में पैदा होने वाली पैदावार का और व्यापार की माली हालत का प्रतिबिम्ब होता है। उसी प्रदेश की तरक्की होती है जहां खेत और खलिहान में खुशहाली होती है खेत और खलिहान में खुशहाली तब होती है जब किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलता है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता है। मान्यवर, खेद के साथ कहना पड़ रहा है। इस बजट में दो शब्द भी उद्योग और व्यापार के बारे में नहीं कहे गये हैं। आज पूरे प्रदेश में मान्यवर, उद्योगों की जो स्थिति है। फार्मास्यूटिकल उद्योग, पैकिंग उद्योग, साबुन उद्योग, पान मसाला उद्योग, होजरी उद्योग यह सब हमारे प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तरांचल और दिल्ली इस तरह के उद्योगों के संरक्षण के लिये तमाम तरह की योजनायें और सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के बजट में उद्योगों के लिये किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है कि किस तरह से यहां से पलायन करने वाले उद्योगों को अपने प्रदेश में बनाये रखा जा सके। अगर प्रदेश में उद्योग बन्द होंगे तो लाखों मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे और लाखों परिवारों के सामने रोजी, रोटी का प्रश्न खड़ा हो जायेगा लेकिन सरकार ने कोई रियायत इस तरह की न देकर जो एक तरह का दर्पण दिखाया है। वह प्रदेश के लिये बहुत हानिकारक होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में कहा गया है कि प्रदेश में जो राजस्व की प्राप्ति होती है उसका 60 प्रतिशत व्यापार कर से होता है।

जब हमारे यहां उद्योग नहीं होंगे व्यापार नहीं होंगे तो यह व्यापार कर कहां से आयेगा जिससे आपको राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इसलिये मेरा कहना है कि उद्योग और व्यापार को संरक्षण मिलना चाहिये। मान्यवर, आज विषम स्थिति पैदा हो गई है। किसान को कच्ची तम्बाकू के ऊपर साढ़े बत्तीस प्रतिशत का टैक्स लगा दिया गया है। मजदूरों की बीड़ी पर साढ़े बारह प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है। होजरी के ऊपर भी बढ़ा दिया गया है। आज पूरे प्रदेश में पिछले एक माह से कच्ची तम्बाकू का व्यापार नहीं हो रहा है।

कच्ची तम्बाकू के किसान परेशान हैं कच्ची तम्बाकू पर पहले सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से साढ़े सात प्रतिशत एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी। जब एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगी होती है तो उसमें कोई भी प्रदेश सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। लेकिन इस बार केन्द्र सरकार ने एडीशनल एक्साइज ड्यूटी खत्म की तो उसमें प्रदेश सरकार ने साढ़े 32 परसेन्ट का टैक्स लगा दिया। मान्यवर, यह देखना होगा कि इतने टैक्स लगाने के बाद जबकि बगल के राज्य अपने उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमारे यहां अगर टैक्स की दरें इतनी ज्यादा होंगी तो कैसे हमारे यहां का उद्योग व्यापार पड़ोसी राज्यों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा कर पायेगा। चौधरी चरण सिंह जी ने 1979 में तम्बाकू से टैक्स हटाया था। और उसके बाद किसी सरकार ने टैक्स लगाने की

कोशिश नहीं की। अगर टैक्स लगाना था तो साढ़े सात परसेन्ट की जो एक्साइज ड्यूटी थी उतना ही साढ़े सात परसेन्ट टैक्स लगा दिया जाता अगर टैक्स लगाना ही था। लेकिन साढ़े 32 परसेन्ट टैक्स लगा दिया गया। इसका क्या औचित्य है। आज आबकारी मंत्री दलील दे रहे हैं तम्बाकू नशा है इसको रोकना चाहते हैं अगर सरकार नशे को रोकना चाहती है तो इतनी बड़ी-बड़ी बीयर और शराब की दुकानें बड़े-बड़े शोरूमों में खुल रही हैं सरकार इनको रोकने का पहला प्रयास करे। आज प्रदेश में सुपाड़ी पर कर लगा दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

(श्री विनोद चतुर्वेदी का नाम पुकारा गया)

श्री सलिल विश्नोई-

सुपाड़ी आनी बन्द हो गई है। प्रदेश में मान्यवर, वैट लगाने की तैयारी सरकार चुपचाप कर रही है। लेकिन वैट पर किस प्रकार से लगाया जाए इसमें व्यापारियों से वार्ता कर लेनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने दूसरे मा0 सदस्य को बुला लिया है।

श्री सलिल विश्नोई-

कानपुर महानगर में यातायात को सुगम बनाने के लिये जो ओवरब्रिज है .....

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, आपने मुझे 2007-08 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

(दोनों सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, मैं जनपद जालौन के उरई क्षेत्र से आता हूं। मान्यवर, बुन्देलखण्ड की जो स्थिति है वहां पर चार साल से किसान संकट से जूझ रहा है। कभी सूखे से, कभी बाढ़ से कभी अन्य दैवी आपदाओं से बुन्देलखण्ड का किसान चार वर्ष से लगातार परेशान है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड के नाम पर कई बार यह घोषणायें होती रहीं बुन्देलखण्ड के लिये मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिये एक मंत्रालय अलग से बनाया जाए। ताकि जिस तरह आपके उत्तरांचल का विकास होता था उसी तरह से बुन्देलखण्ड का विकास हो सके। क्योंकि बुन्देलखण्ड में सिवाय खेती के कोई दूसरा रोजगार नहीं है और खेती चार साल से जब यहां का किसान नहीं कर पा रहा है। फसल के मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं पानी की यह हालत है कि बीस फुट नीचे पानी चला गया है पीने के पानी तक की समस्यायें हैं और बिजली की कटौती बीस वर्षों पहले 1980 में कैबिनेट का डिसीजन हुआ था कि बुन्देलखण्ड की बिजली की कटौती नहीं होगी। लेकिन मान्यवर, अभी भी 12 से 16 घण्टे बिजली बुन्देलखण्ड को

प्राप्त होनी है। पानी तक का संकट है। एक और मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में बीस वर्षों से जो पैसा दिया गया आप कोई एक संसदीय कमेटी बनाकर भौतिक सत्यापन जरूर करा लें। इसके निर्देश आप दे दें। क्योंकि जितना भी रुपया बुन्देलखण्ड में गया है विकास के नाम पर मान्यवर, वहां कुछ नहीं है सड़कों की हालत देख लें। सड़कों पर पांच किलोमीटर भी आप एक गियर में नहीं चल सकते हैं। पानी की जो हालत है बिजली की जो हालत है बुन्देलखण्ड की वह किसी से अछूती नहीं है। एक और अनुरोध आपके द्वारा है जिस तरह से भारत सरकार ने विदर्भ के किसानों को पैकेज दिया। मेरा अनुरोध है कि यह सरकार यह सदन भारत सरकार को प्रस्ताव करे कि बुन्देलखण्ड का किसान चार वर्षों से भुखमरी की कगार पर है। आत्म हत्या कर रहा है। शादी के लिये पैसा नहीं है और किसान की जितनी बदतर हालत हो सकती है उतनी है। पूरे देश में ऐसा कोई भू-भाग नहीं होगा जो परेशानी बुन्देलखण्ड के लोग झेल रहे हैं। चार वर्षों से जहां कुछ पैदा न हो ऐसी दैवी आपदा पूरे प्रदेश में नहीं होगी। मेरा अनुरोध है कि सरकार विदर्भ जैसा पैकेज देने के लिये प्रस्ताव पारित करे। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री दुर्गा प्रसाद यादव।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक बड़ी विचित्र स्थिति आ गई। मा0 विद्या चौधरी जी ने एक बहुत गम्भीर बात रखी है और उन्होंने यह कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जी के बारे में, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री आजम खां ने टिप्पणी की, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना [× × ×]यह प्रसंग स्पष्ट नहीं हुआ चूंकि प्रमोद तिवारी जी के साथ टण्डन जी बैठे हैं, उनके साथ बैठने के कारण कोई बात हो सकती है।

(हंसी)

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

उन्होंने कहा कि नेता विरोधी दल के रूप में वहां बैठते थे और कुछ नहीं कहा।

श्री अम्बिका चौधरी-

हम नहीं समझ पाये।

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वह बहुत सीधी-सीधी सदस्य हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं और कहा भी तो मैंने नहीं सुना। उन्होंने जो बात कही कि वह नेता विरोधी दल के रूप में यहां बैठते थे लेकिन तकलीफ चौधरी जी को है कि [× × ×] की बात पर उनका नाम नहीं लिया गया। अभी तक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

परम्परा तो यह रही है कि कार्यवाही में कुछ आ जाए तो उसे निकलवा दिया जाता है अब मेरा कहना है कि अगर कार्यवाही में नहीं आया तो जुड़वा दिया जाए, इनका भी।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, आपने वर्ष 2007-08 के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह सरकार किसानों के हित की बात करती है, छात्रों के हित की बात भी करती है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के हित की बात करती है, इस बजट में कोई लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को। मैं कहना चाहूंगा कि ये किसानों की बात करते हैं, यदि किसी ने काम किया है तो मा0 मुलायम सिंह यादव के शासन में हुआ है और किसी के शासन में नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूंगा आज पानी की व्यवस्था नहीं है। आज प्रदेश में सूखे की स्थिति है, आज नहरों में पानी नहीं आ रहा है, आजमगढ़ जिले की बात भी कहना चाहूंगा, आजमगढ़ में जो भी नहरे हैं, चाहे निजामाबाद रजबहा हो या कोई अन्य छोटी नहर हो, पानी नहीं दे रहे हैं, पानी आता है तो टेल तक नहीं पहुंच पाता है। मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं, आपने कह दिया कि हम टेल तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे लेकिन मान्यवर, टेल तक पानी तभी पहुंचेगा जब सिल्ट की सफाई होगी। जो सफाई होती है, वह केवल कागज पर की जा रही है और बिल का भुगतान हो जाता है। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र सदर आजमगढ़ में निजामाबाद रजबहा है, उसकी टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। बेलवा, बेलहरा माइनर है, किसान सिंचाई का पैसा देता है, अमीन वसूली करता है लेकिन टेल तक पानी कभी पहुंचा ही नहीं। मान्यवर, आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश की यही स्थिति है और नहरों में पानी नहीं आ रहा है। जो सरकारी ट्यूबवेल हैं उनकी भी हालत खराब है। यह सभी लोगों ने स्वीकार किया है, हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि जो भी सरकारी नलकूप हैं, वह खराब स्थिति में पड़े हुए हैं, और जो निजी ट्यूबवेल लगाये हैं, आज इनके शासन में उनको 14 घण्टे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। अगर 14 घण्टे से ज्यादा किसी ने बिजली दिया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव [illegible] में 14 घण्टे बिजली मिली है और शहरों में 20 घण्टे मिली है। मान्यवर, आप चले जायें, चाहे आजमगढ़ की बात हो या पूर्वांचल की हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, यदि कहीं 14 घण्टा बिजली मिलती है तो हम मानने के लिये तैयार हैं। लेकिन इस तरह के झूठे वायदे करके उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर, क [illegible] की बात करते हैं।

मान्यवर, कानून व्यवस्था की बात [illegible] हैं। मान्यवर, बजट में गुण्डाराज को समाप्त करने और भयमुक्त समाज की बात कही गई है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हाल ही मऊ

में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अमर नाथ यादव की पार्टी कार्यालय पर जब मीटिंग चल रही तो मेन रोड पर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। जबकि वहां पर पी0ए0सी0, पुलिस खड़ी रहती है। इसके बावजूद भी हत्या कर दी गई। मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश में राहजनी हो रही है अनेकों घटनायें हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हमारे आजमगढ़ में कम से कम 35 अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज इस सरकार को दो महीने हो गये हैं तो बतायें कि कितने इनकाउंटर हुए हैं। मान्यवर, इन दो महीनों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अपराध बढ़ा है। मान्यवर, यह जो कहा गया कि गुण्डाराज खत्म करेंगे, कानून व्यवस्था कायम करेंगे यह जनता को गुमराह करने की बात है। मैं इस सदन का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। श्री कैलाश सिंह राजपूत जी, आप शुरू करें।

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

मान्यवर, साढ़े तीन साल सरकार में रहे तो इन्होंने कौन सी नहर खोदी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कोई नहर नहीं खोदी।

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी के बीच में बोलने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

दुर्गा प्रसाद जी, आप बैठ जाइये। श्री कैलाश जी, आप शुरू करें। आप बोलें।

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने वर्ष 2007-08 का जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बोलने के लिये आपने मुझे मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीया मुख्य मंत्री जी ने लोकप्रिय बजट प्रस्तुत किया है वह विधान सभा के इतिहास में आज तक का सबसे अच्छा बजट समझा जायेगा।

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी के बोलने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

दुर्गा प्रसाद जी, आप बैठ जाइये। श्री कैलाश सिंह जी आप बोलें। सिर्फ आपकी बातें लिखी जा रही हैं।

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

मान्यवर, बजट की चर्चा में बहुत सी बातें कही गई। श्री अम्बिका चौधरी जी इस समय सदन में नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के थानाध्यक्षों के लिये सामान्य वर्ग से 70 और 30 प्रतिशत एस0सी0 और ओ0बी0सी0 से तैनात करने की बात कही है उसके सम्बन्ध में श्री अम्बिका चौधरी जी कह रहे थे कि एक जाति विशेष के लोगों को ट्रान्सफर किया

गया। मान्यवर, जब पिछली सरकार में पुलिस की नौकरियों में भर्ती होती थी तो पूर्व सरकार जो पिछड़े वर्ग के हितैषी बनने वाली सरकार थी तो एक ही जाति विशेष की लिस्ट बनाकर पूरे प्रदेश में नौकरियां लगाई थीं और सभी वर्गों यहां तक कि सामान्य वर्ग की भी लिस्ट एक जाति विशेष की उस समय के लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव की जाती थी और जाति विशेष के लोगों को भर्ती किया गया जो कि बहुत गलत है।

मान्यवर, पहले जब सरकार थी तो थानों में पूछा जाता था कि आप किस जाति के हैं।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर,. इनको बता दें कि नाम नहीं लिया जाता है। जो आरोप लगा रहे हैं यदि प्रमाण हो तो यह दें।

(इस समय 6 बजकर 6 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि थानों में जाति पूछकर रिपोर्ट लिखी जाती थी। पूरे प्रदेश में हा-हाकार था। पहले हत्यायें रात में हुआ करती थीं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे कन्नौज जनपद में दो सौ से ज्यादा हत्यायें दिन में हुई हैं। एक जाति विशेष के लोगों को थानों में थानाध्यक्ष बनाया गया, कोतवाल को पोस्ट न करके एस0आई0 को पोस्ट करके कोतवाली का चार्ज दे दिया जाता था। जहां तक शिक्षा का मामला है पूर्व सरकार में जिस तरह से शिक्षा का मजाक उड़ाया गया है, साढ़े तीन साल में जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है उन पूरे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। खाद के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि सहकारिता विभाग द्वारा जो भी खाद किसानों को दी जाती थी, वह पूर्व सरकार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देकर काले मार्केट में बेंचने का काम करती थी। कल जब मिट्टी के तेल की काला बाजारी पर यह लोग धरना दे रहे थे। मान्यवर, कन्नौज पूर्व सरकार में वी0आई0पी0 जिला रहा है और हमारे जनपद में जो पांच मिट्टी के तेल के डीलर हैं, उन डीलरों से गरीबों को मिलने वाला राशन का मिट्टी का तेल नहीं दिया गया। उन पांच माफियाओं से सांसद दबाव में गरीबों को मिलने वाला मिट्टी का तेल का पैसा उन माफियाओं से लेकर कन्नौज में समाजवादी पार्टी का करोड़ों की लागत से कार्यालय बनाया गया और पूरे कन्नौज जनपद में खाद्यान्न का पैसा समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लगाया गया। कल जब वह धरना दे रहे थे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। मान्यवर, कानून व्यवस्था के ऊपर कहना चाहूंगा, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है जिस तरह से बहन मायावती जी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में गुण्डों का पता नहीं है, वह कपड़े बदलकर पता नहीं कहां चले गये हैं और इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम है। आम लोग बड़ी शान्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा कन्नौज जनपद, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग आलू पैदा करता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आलू पर आधारित अल्कोहल का कारखाना कन्नौज जनपद में डाल दें तो इससे किसानों

का हित होगा और लोगों को आलू का उचित मूल्य भी मिलेगा। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कुछ और सदस्य हमारी पार्टी के बोलने के बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, दस लोग तो आपकी पार्टी के बोल चुके हैं। जो सूची है उसी क्रम में बोलें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कृष्ण गोपाल पटेल जी नये मेम्बर हैं, इनको आप बोलवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अगर आप सबकी सहमति है तो पटेल जी अपनी बात कह लें।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। वर्ष 2007-2008 के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। 2007-2008 का जो यह बजट आया है निश्चिततौर पर यह प्रदेश की 80 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे जो देहातों में रहने वाली जनता है, उसके हितों की बात करते हैं जबकि यह बजट उनके हितों के विपरीत है सबसे ज्यादा इस बजट में अगर हिस्सेदारी है तो व्यापारियों की हिस्सेदारी है और व्यापारियों से जबकि 17,000 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति होती है और इस बजट में व्यापारियों के हितों की कोई बात नहीं कही गई। क्योंकि व्यापारी और किसान एक धुरी के दो पहिये हैं और अगर किसान खुशहाल होगा तो निश्चिततौर से व्यापारी भी खुशहाल होगा और व्यापारी के यहां पैसा पहुंचेगा। इस बजट में किसानों के हितों की भी कोई बात नहीं की गई जबकि पूरे प्रदेश का किसान आज इस स्थिति में खड़ा है कि तमाम कर्ज के बोझ चाहे बैंकों का कर्जा, चाहे साहूकार का कर्जा, चाहे सोसायटी का कर्जा, आज पूरे प्रदेश का किसान कर्ज में डूबा हुआ है। किसानों के हितों के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया। साथ ही बड़े दुःख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो शौचालयों की बात कही गई है कि 1200 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये कर दिया गया है। निश्चिततौर पर तमाम माननीय सम्मानित सदस्य यहां बैठे हुए हैं मान्यवर, क्या 1500 रुपये में आज के मंहगाई को देखते हुए पर्याप्त है गांव में शौचालय बना दिये जायेंगे 2012 तक।

सरकार कहती है कि सभी गांवों को शौचालययुक्त कर दिया जायेगा लेकिन जब 1500 रुपये में शौचालय नहीं बन पायेंगे तो 2012 तक कहां शौचालय बना करके तैयार कर दिये जायेंगे। मेरा अनुरोध है कि इस बजट में पैसे की व्यवस्था कुछ और बढ़ाई जाये, जिससे गांवों में शौचालयों की व्यवस्था हो। वास्तव में यह महिलाओं के लिये एक शर्मनाक बात है कि हमारी

तमाम ग्रामीण महिलाएं सड़कों के किनारे शौंच के लिये जाती हैं तो बड़ा दुःख होता है जब कोई गाड़ी की लाईट उन पर पड़ती है तो उनको खड़ा होना पड़ता है यह बड़े दुःख की बात है। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं लखीमपुर जनपद का निघासन विधान सभा क्षेत्र है और निघासन विधान सभा क्षेत्र मुझे यह कहने में कोई तकलीफ नहीं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विधान सभा है। क्योंकि नैपाल से जुड़ी हुई विधान सभा और तमाम नदियां हैं इसके बीच में और सबसे अहम मेरी विधान सभा में उत्तर प्रदेश का इकलौता दुधवा नेशनल पार्क है। उस पार्क के लिये मैंने बजट में देखा एक सुहेली नदी है मात्र सुहेली नदी की सफाई के लिये तीन करोड़ कुछ रुपये की व्यवस्था की गई है, लेकिन उस पार्क को बचाने के लिये उसके चारों तरफ बेरीकेटिंग तारों की करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जंगली जानवर निकल-निकल करके बाहर आते हैं पार्क से, जाने कितने जानवर आज के हालातों में पार्क के अन्दर से बाहर आने के बाद उनको मार करके लोग खा जाते हैं। नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र नेपाल की तरफ जानवर चला जाता है। नेपाल में कोई कानून नहीं है, नेपाल में जाने के बाद उनको मार दिया जाता है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस बजट में यह प्राविधान किया जाय कि दुधवा नेशनल पार्क को बचाने के लिये चारों तरफ उसकी फैसिंग की जाय, तार की बैरीकेटिंग की जाय।

मान्यवर, जो लोग उनको मारकर खा जाते हैं उससे भी रक्षा होगी। चारों तरफ किसान की जमीन है उसकी भी रक्षा होगी। मेरा क्षेत्र 7-8 नदियों से घिरा हुआ है मुहाना, सरजू, घाघरा, शारदा आदि नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। सिंचाई मंत्री द्वारा मेरे जनपद व मेरे क्षेत्र के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, जबकि बाढ़ से कई-कई गांव हर वर्ष कट जाते हैं। कोई ठोकर बनाने का बंधे बनाने का प्राविधान इसमें नहीं है। मान्यवर, गन्ना बाहुल्य यह प्रदेश है और प्रदेश के अन्दर निगम की चीनी मिल 22 हैं और 28 कोआपरेटिव सेक्टर की है और सात डिस्टलरियां लगी हुई हैं। मेरे यहां दो चीनी मिलें हैं बिलरायां और सम्पूर्णानगर चीनी मिल यह कहा जाता है कि कोआपरेटिव की चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं। पिछले वर्ष बिलरायां चीनी मिल से 50-60 लाख रु0 का प्राफिट हुआ था घाटा नहीं था। इसको देखा जाय और प्रदेश की जितनी भी चीनी मिले हैं उन पर खासतौर से जो कोआपरेटिव की या निगम की चीनी मिले हैं जो प्राफिट में जा रही हैं उनको बेचने का काम न किया जाय। क्योंकि यह चीनी मिलें केवल मिलें ही नहीं है हमारी मां हैं। हमको भोजन देती हैं। किसानों का गन्ना उसमें पेराई के लिये जाता है, मान्यवर, बहुत सी प्राइवेट चीनी मिलें एक माह पूर्व ही बन्द हो चुकी हैं लेकिन हमारे यहां कोआपरेटिव की चीनी मिलें 22 तारीख 25 तारीख तक चली हैं और तमाम किसानों का बचा गन्ना इन चीनी मिलों ने लिया है।

कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती है। इधर एक महीनें के अन्दर सबसे बड़ी डकैती हमारे यहां पलिया क्षेत्र में पड़ी। 13 जून [illegible] आठ मकानों को लूटने का काम किया गया। 13-14 लोग आये और उनका 7-8 लाख रु0 का समान लूट ले गये। उसमें 4-5 मुलजिम पकड़ने का

काम खाली हुआ है। आज की तारीख में और कोई भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया है। मान्यवर, इसी तरह से 17 तारीख को मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत खजुरिया में एक व्यापारी जो सोने चांदी का व्यापार करता था शाम को दुकान बन्द करके निकल रहा था कि तीन बदमाशों ने उसे घेरकर गोली मारी और सोना चांदी का बैग लूट कर ले गये। ग्रामीणों ने दो मुलजिमों को पकड़ा था। बाकी एक नहीं पकड़ा गया है। इसी तरह से बिलरायां में दो दिन पहले डकैती पड़ी रात्रि तीन बजे के करीब एक परिवार का डेढ़ लाख रु0 लूट लिया गया। एक परिवार में जाग हो गई तो मार पीट करके छोड़कर चले गये। यह कानून व्यवस्था की स्थिति है। इसी तरह से लखीमपुर में जहां पर मेरा फार्म है जहां मैं रहता हूं ग्राम सराय में दो दिन पहले डकैती पड़ी। एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है और एक व्यक्ति घायल हो गया। आप कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। इन सब अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, इसी क्रम में बजट की चर्चा कल जारी रखियेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसी क्रम में चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 जुलाई, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनायें प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री जयबीर सिंह की जो ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत अधोमानक पाइप के प्रयोग से ग्रामीणों को समुचित जलापूर्ति न होने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री मदन भैया की जो प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु भारी डोनेशन लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जो जनपद-मऊ के नत्थूपुर क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी की क़टान रोकने हेतु ठोकर बनवाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना रतन जीत प्रताप नारायण सिंह की जो जनपद-कुशीनगर में जिला चिकित्सालय का भवन पूर्ण निर्मित होने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा पांचवीं सूचना श्री छत्रपाल सिंह की जो नगर पालिका परिषद्, बहेड़ी, जनपद-बरेली में जलोत्सारण हेतु कराये गये कार्यों की टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच कराये जाने तथा समस्या के समुचित निदान से सम्बन्धित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं। छठी सूचना श्री विजय कुमार की जो जनपद-गाजीपुर के जखनियां क्षेत्रान्तर्गत अपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि उपलबध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री शिव गणेश लोधी की जो जनपद-रायबरेली में जिलाधिकारी द्वारा सिंधियार जाति के नाम पर चर्चित थारू जाति के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है तथा आठवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जो आगरा महानगर अन्तर्गत प्रमुख सड़क नेहरू नगर पेट्रोल पम्प से वजीरपुरा होते हुये पालीवाल गेट तक तथा वजीरपुरा से नगला वेनी प्रसाद होते हुये गांधी नगर चौराहे तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं।

नवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जो जनपद-बांदा के बड़ोखर खुर्द ब्लाक के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में पीने के पानी की कमी से विवश होकर ग्रामीणों द्वारा केन नदी के प्रदूषित पानी पीने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की जो विधायक निधि तथा अन्य मदों के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में मानक एवं गुणवत्ता का सख्ती से पालन कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की जो जनपद इलाहाबाद की फूलपुर तहसील अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-30 के वारी रजवाहे के ढ़ोकरी से राजेपुर मार्ग स्थित हेमापुर गांव में नहर की पुलिया टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री राम किशुन की जो जनपद चन्दौली अन्तर्गत अम्बेदकर ग्रामों के पक्के सम्पर्क मार्गों के नवीनीकरण एवं मरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित निविदा को अराजकतत्वों द्वारा प्रभावित किये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की अपेक्षा के प्रतिकूल ग्राम पंचायतों को निर्गत होने वाले धन का संचालन ब्लाक प्रमुखों एवं खण्ड विकास अधिकारियों के संयुक्त खाते के अधीन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा चौदहवीं सूचना श्री दीनानाथ कुशवाहा की जो जनपद देवरिया के सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत महुआपारण करौंदी मार्ग पर उदयपुरा के पास स्थित टूटे पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

1-श्रीमती कृष्णा राज
2-श्री अरविन्द सिंह,
3-श्री राजेन्द्र सिंह
4-श्री अनुग्रह नारायण सिंह
5-श्री बैजनाथ दुबे
6-श्री सनातन पाण्डेय
7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह
8-श्री सुरेश कुमार खन्ना
9-श्री सुनील शर्मा
10-श्री धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव
11-श्री गेंदा लाल चौधरी
12-श्री अब्दुल वारिश खां
13-डॉ0 अजय तोमर
14-श्री शम्भू चौधरी
15-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल
16-श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह

17-श्री उदय राज
18-श्री महेश चन्द्र गुप्ता
19-श्री मिथिलेश कुमार
20-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा
21-श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी
22-श्री राम विशुन आजाद
23-श्री मदन चौहान
24-श्री सुखलाल
25-श्री शिवशंकर
26-श्री विजय बहादुर यादव

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 6 बजकर 24 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक : 5 जुलाई, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 334 विधान सभा (645)-03-12-2007-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।